

आवास भारती

वर्ष 15, अंक 57, अक्तूबर-दिसंबर, 2015



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK



टोडा झोपड़ी

ऐसा माना जाता है कि टोडा नाम की उत्पत्ति "टड" शब्द से हुई है। जोकि टोडा लोगों के पवित्र वृक्ष टड से लिया गया है। टोडा लोग एक छोटे से देहाती समुदाय के लोग हैं जो दक्षिण भारत के सुदूर नीलगिरी पठार में रहते हैं। टोडा लोग कई नामों से जाने जाते हैं जैसे टूडास, टूडावान और टोडर। ये केवल नीलगिरी क्षेत्र में ही मुख्यतः रहते हैं। टोडा लोग छोटे टोडा झोपड़ी में रहते हैं जिसका आकार एक चित्र एमलेट की तरह होता है। जिसमें खिड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आमतौर पर टोडा झोपड़ियां 10 फीट (3 मीटर) ऊंची, 18 फीट (5.5 मीटर) लंबी और 9 फीट (2.7 मीटर) चौड़ी होती हैं। ये झोपड़ियां बेत से बंधी बांस से बनी और छप्पर युक्त होती हैं। प्रत्येक झोपड़ी अबद्ध चट्टानों की चार दिवारी से बंधी होती है। आमतौर पर झोपड़ी के आगे और पीछे का हिस्सा चप्पटे पत्थरों से बना होता है। झोपड़ी में आगे की ओर एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है जो लगभग 3 फीट (90 से.मी.) चौड़ा और 3 फीट (90 से.मी.) लम्बा होता है।

आपको टोडा झोपड़ी के अंदर जाने के लिए झुकना और आगे की ओर खिसकना पड़ता है। यह छोटा द्वार उस झोपड़ी में रहने वालों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है। टोडा झोपड़ी के सबसे आगे के भाग में भित्ति चित्र को दर्शाया जाता है। जोकि टोडा कला का एक रूप है जो अपने आप में दर्शनीय है।

टोडा झोपड़ियों को आकृति को सहयोग देने के लिए और संरचना को सुदृढ़ रखने के लिए धनुषाकार मोटे बांस के उपयोग से खास धनुष की आकृति दी जाती है। जबकि पतले बांस आपस में गुथे होते हैं। ताकि झोपड़ी के पूरे ढांचे को सहयोग मिले और बाहरी छप्पर के लिए सूखे घास का उपयोग किया जाता है। कई टोडा झोपड़ियां मिल कर टोडा गांव बनाती हैं। जिसे टोडा मंड के रूप में भी जाना जाता है। जहां जनजातीय रीति-रिवाजों और उससे संबंधित गतिविधियों को करने के लिए एक मुखिया चुना जाता है। हालांकि अब कई टोडा लोगों ने अपने परंपरागत झोपड़ियों की जगह कंक्रीट के मकान बनाने शुरू कर दिए। कुछ समय पहले परंपरागत झोपड़ियों के निर्माण हेतु एक आंदोलन चलाया गया है तथा पिछले दशक में 40 नई झोपड़ियां बनाई गई हैं।



संपादकीय

आवास भारती का 57वां अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस बार हमने यह प्रयास किया है कि विविध विषयों यथा : मकान क्रय से जुड़े आम आदमी के मुद्दे, भाषा, सामाजिक मुद्दे, सोशल मीडिया आदि पर पाठकों को तर्कपूर्ण जानकारी दी जाए जो कि ज्ञानवर्धक होने के साथ सामान्य जन जीवन में उनके लिए उपयोगी हो। हमने पिछले अंकों की भांति इस बार भी लेखों के साथ कहानी और कविताओं का सामंजस्य बैटाने का प्रयास किया है ताकि पाठक पूरी रूचि के साथ इस अंक को भी पढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि पाठकों को यह अंक भी पसंद आएगा।

मैं आपसे इस बार कुछ चर्चा बढ़ते वायु प्रदूषण के बारे में करना चाहता हूँ। मुझे आज दिल्ली में रहते हुए एक लंबा अरसा गुजर गया है एवं मैं स्वयं यह महसूस करता हूँ कि पिछले 5 से 6 साल में दिल्ली की ही नहीं देश के हर महानगर की आबोहवा में गिरावट आई है एवं साल दर साल यह बिगड़ती ही जा रही है। विश्व के मानचित्र में भी दिल्ली का नाम सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है एवं एक सर्वे के मुताबिक इसी कारण दिल्ली आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी घट गई है। दिल्ली ही नहीं महानगरों के आम आदमी की सेहत में इस कारण से गिरावट आई और विशेष रूप से बच्चों की सेहत पर तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। देश की बढ़ती आबादी और बढ़ती गाड़ियों और औद्योगीकरण शायद इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हाल ही में पेरिस में सभी विकसित और विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मिले और फिर से जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता व्यक्त की लेकिन जिस प्रकार से इस बार विकसित देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और विकासशील देशों को इसमें सहायता करने का भरोसा दिलाया है उससे आशा की एक किरण तो दिख रही है और इस बार जिस प्रकार से भारत ने इस मुद्दे पर विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार किया है वह भी स्वागत योग्य है।

पिछले कुछ सालों में भारत में जलवायु परिवर्तन के नतीजे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं मसलन पहले छह महीने के भीतर दो बार जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का आना, दक्षिण भारत में लगातार दो साल 'फेलीन' और 'हुदहुद' नामक चक्रवाती तूफान और फिर पिछले साल दिसंबर में चेन्नई में आई बाढ़। ये अच्छे संकेत नहीं हैं और हमें जल्द ही प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी क्योंकि विचार करने का वक्त बीत गया है समय आ गया है कि इस तरफ कुछ गंभीर कदम उठाए जाए। ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों पर रोक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करते हुए कारों आदि की बढ़ती संख्या पर रोक, ज्यादा प्रदूषित स्थलों पर एअर फिल्टर की स्थापना, बड़ी संख्या में पादप लगाने, घरों के लिए लगने वाले एअर फिल्टर पर ड्यूटी कम कर उसे आम आदमी के लिए सुलभ बनाने, स्मार्ट सिटी व ग्रीन सिटी संकल्पनाओं को नए बसते शहरों पर लागू करने, निर्माण उद्योगों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक मानदंडों का पालन करने जैसे कारकों को लागू करना जरूरी है और अगर हम अब सक्रिय नहीं हुए तो हमारे आने वाले भविष्य को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगताना पड़ेगा। अपने शहरों को वायु प्रदूषण से मुक्त करने में हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और एक आम नागरिक को भी इस अभियान में साथ देना होगा तभी हम सफल हो पायेंगे।


रंजन कुमार बरुन

संपादक एवं सहायक महाप्रबंधक



झाप की पाती

आपके पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 2015 के साथ "आवास भारती" के विशेष संस्करण की प्रति प्राप्त करके मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, जिसे मैंने बड़ी ही रुचि और हर्ष के साथ पढ़ा। मैं आपको और एनएचबी की पूरी टीम को "आवास भारती" के प्रचार हेतु किए गए सभी प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। पत्रिका की विषय वस्तु, लेखों के प्रस्तुतीकरण और पत्रिका के स्वरूप को देखकर मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता हुई। यह जानकार भी मुझे बेहद खुशी हुई कि एनएचबी को 2013-14 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा एक बार पुनः राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। "आवास भारती" को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों हेतु इस सम्मान प्राप्ति पर, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ।

(आर.वी. वर्मा)

सदस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, आईसीएडीआर भवन,
प्लॉट नं० 6, वसंत कुंज,
इन्स्टिट्यूशनल एरिया, फेज-11,
नई दिल्ली - 110070

विश्व पर्यावास दिवस पर राजभाषा विशेषांक "आवास भारती" का अंक प्राप्त हुआ। 'शासकीय कार्यों में राजभाषा का बढ़ता प्रयोग' तथा 'सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा का प्रगामी प्रयोग' जैसे लेख निश्चय ही राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सहायक है। स्वास्थ्य संबंधी लेख भी जानकारीपरक हैं। कुल मिलाकर पत्रिका संतुलित है। आपको बहुत-बहुत बधाई।

(डॉ० धनेश द्विवेदी)

उप संपादक (राजभाषा विभाग),

गृह मंत्रालय

एनडीसीसी भवन-2, जय सिंह रोड़
नई दिल्ली

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" के अंक-56 जुलाई-सितम्बर, 2015 की प्रति प्राप्त हुई। उक्त अंक के प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका की रूप सज्जा तथा सामग्री संकलन अत्यंत आकर्षक है। रोचक व ज्ञानवर्धक लेख आपे अंदर ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण हैं जिनके समावेश ने पत्रिका को संग्रहणीय बना दिया है। श्रेष्ठ रचनाओं के संकलन से परिपूर्ण सुंदर साज-सज्जायुक्त प्रकाशन से जुटी टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं। आशा है कि भविष्य में भी पत्रिका के अंक हमें नियमित रूप से प्राप्त होते रहेंगे।

(निम्मी भट्ट),

उप मुख्य प्रबंधक (रा.भा.का.)

वाफ़ोस लिमिटेड

राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" को जुलाई-सितम्बर, 2015 के 56वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका के इस अंक में आवास, आवास वित्त, भाषा एवं स्वास्थ्य, समसामयिक राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पृष्ठता से जुड़े सभी लेख उच्च-स्तरीय हैं। लेखों की चयन तथा उनका प्रस्तुतीकरण काफी सराहनीय है। निगम की पृष्ठभूमि को दर्शाता पत्रिका का मुख पृष्ठ परंपरागत 'इकरा घर' अच्छा लगा। पत्रिका की साज-सज्जा बहुत आकर्षक है। आशा है कि ऐसी सुंदर पत्रिका हमें नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हमारी शुभकामनाएं।

(विजय पाटनी), सहायक प्रबंधक (हिंदी)

दि हैण्ड्रीक्राफ़्ट्स एण्ड हैण्डलूमस एक्सपोर्ट्स

कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

जवाहर व्यापार भवन एनेक्सी, 1, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001

आपकी गृह पत्रिका 'आवास भारती' का सन् 2015 "वार्षिक राजभाषा विशेषांक" आकर्षक एवं उपयोगी है। इस अंक में प्रकाशित रचनाएं "ग्रामीण आवास वित्त समस्याएं एवं निदान" और "शहरी आवास वित्त में समस्याएं एवं निदान" पाठक वर्ग को अधिक आकर्षित करता है। इन रचनाओं द्वारा शहरी और ग्रामीण, दोनों ही वर्गों के ग्राहकों को ध्यान में रखा गया है। "स्वास्थ्य में योग का महत्व" द्वारा आज के भाग-दौड़ की दिनचर्या में हमें सीख मिलती है कि थोड़ी मेहनत से स्वास्थ्य कैसे रहें। इसके अलावा पत्रिका में प्रकाशित अन्य रचनाएं भी रोचक हैं। पत्रिका के सफल संपादन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

11, हेमंत बसु सरणी,

कोलकाता - 700001

आपके बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" की प्रति हमें सधन्यवाद प्राप्त हुई। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख सूचनापरक तथा ज्ञानवर्धक हैं। पृष्ठों की साज-सज्जा, प्रकाशित सामग्री की विषय-वस्तु व लेखों में प्रस्तुत चित्रों से पत्रिका का आकर्षण और भी अधिक मुखर हुआ है। हमें विश्वास है कि आपकी पत्रिका के माध्यम से भविष्य में और भी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा जिसके फलस्वरूप यह पत्रिका और अधिक उपयोगी, ज्ञानवर्धक व सूचनापरक बनेगी। एक सार्थक प्रकाशन के लिए संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई।

(राम गोपाल सागर)

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

यूनियन बैंक

239, विधान भवन मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021



विषय सूची

विषय पृष्ठ सं.

पेमेंट बैंक -
एक नई अवधारणा



जब करें डेवलपर्स
के साथ सौदा



घर और
हिन्दी सिनेमा



प्रकृति,
संस्कृति और भाषा



पथ की पहचान



राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
विश्व पर्यावास दिवस समारोह, 2015	7
सतर्कता जागरूकता सप्ताह	8
दिल्ली नराकास वार्षिक समारोह की झलकियां	9
दीपावली समारोह की कुछ झलकियां	10
हरित भवन आज की प्राथमिकता	11
पेमेंट बैंक - एक नई अवधारणा	14
आवास ऋण के विकल्प	16
एस्करो अकाउंट	18
जब नया मकान खरीदना हो	19
जब करें डेवलपर्स के साथ सौदा	20
घर और हिन्दी सिनेमा	22
प्रकृति, संस्कृति और भाषा	24
हमारा पर्यावरण और हमारी भाषा	26
गौरैया	27
बेटियों को यहां जगह क्यों नहीं?	30
बूढ़ी आबादी की हो चिंता	32
कर्म का अर्थ है मेरी करनी, दूसरे का इससे कोई लेना-देना नहीं	33
रेडियो से सामुदायिक रेडियो	34
जीने की कला	36
सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग	37
संगीत के जादू का रहस्य	38
भारतीय संविधान	40
समाधि है निद्रा	41
डिजिटल इंडिया - प्रारूप एवं अर्थव्यवस्था में इसकी उपयोगिता	42
समझें अपनी सांसों का इशारा	44
भूकम्प रोधी ऐतिहासिक इमारतें	46
पथ की पहचान	47
हम सामाजिक कर्ता	48

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन/2001/6138
वर्ष 15, अंक 57, अक्टूबर-दिसम्बर, 2015

प्रधान संरक्षक

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक

डॉ. संजीव शर्मा
कार्यपालक निदेशक

संपादक

रंजन कुमार बरून
सहायक महाप्रबंधक

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिंह
उप प्रबंधक

संपादक मंडल

एस.के. पाटी, उप महाप्रबंधक

मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक

पंकज चड्ढा, प्रबंधक

रवि कुमार सिंह, प्रबंधक

सुश्री स्तुति रुचा, उप प्रबंधक

अड्डा लीला विजयकृष्ण, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर-5 ए, 3-5 तल,
इंडिया हैबिटेड सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003



राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा “पीएमएवाई पर ऋण सहबद्ध) सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) एवं ग्रामीण आवास निधि” पर 31 अक्टूबर, 2015 को गुवाहाटी, असम में आयोजित कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

केंद्र सरकार ने “2022 तक सबके लिए आवास” नामक व्यापक मिशन आरंभ किया है। जिसके तहत ही प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए “ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना” लागू की गई है जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक एक नोडल एजेंसी की भूमिका निभा रहा है। इसी के तहत जागरूकता पैदा करने हेतु बैंक कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में बैंक ने गुवाहाटी, असम में पीएमएवाई ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) एवं ग्रामीण आवास निधि” पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला का शुभारंभ प्रतिभागियों के पंजीकरण और स्वागत के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. संजीव शर्मा जी ने किया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक के महाप्रबंधक श्री वै.राजन और प्रबंधक श्री नीलाद्रि बोस ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के बारे में विस्तार से बताया। यह योजना किस प्रकार से केंद्र सरकार के “2022 तक सबके लिए आवास” नामक व्यापक मिशन को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी इस भी प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र इलाहाबाद बैंक, कोलकाता के खुदरा, ऋण एवं एसएमई, उप महाप्रबंधक श्री संजय माथुर जी ने लिया जिसमें उन्होंने ऋण मूल्यांकन और आवास ऋण आवेदनों के प्रोसेसिंग के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की और कानूनी पहलुओं को समझाते हुए ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, फोलो-अप और चुकौती में क्या दिक्कतें आती हैं या आ सकती हैं और ये कार्य किस प्रकार निपुणता से किया जाए इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री नीलाद्रि बोस एवं उप प्रबंधक श्री राज कुमार नेगी ने लिया जिसमें उन्होंने आवास वित्त में कारोबारी व्यवहार्यता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आवास ऋणों के विपणन की बारीकियों के बारे में जानकारी प्रदान की। सत्र का चौथा एवं अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री वेंकटेश टोटा ने लिया जिसमें उन्होंने ग्रामीण आवास परिदृश्य एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू राष्ट्रीय आवास बैंक के पहलों/योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों के बीच अपने विचार प्रकट किए और इनकी जानकारी प्रदान की। प्रमाणपत्र वितरण के साथ ही इस प्रशिक्षण का समापन हुआ।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पीएमएवाई (सीएलएसएस) पर रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला

प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक ने जागरूकता पैदा करने हेतु 8 दिसंबर, 2015 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. संजीव शर्मा, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के आवास सचिव श्री संजय शुक्ला और छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड के कमिश्नर श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक डॉ. संजीव शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में आवास वित्त सेक्टर को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय आवास



बैंक द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के कार्यान्वयन हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पीएमएवाई-सीएलएसएस पर प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों यथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी संस्थानों को जागरूक करना और इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जरूरी विचार या स्पष्टीकरण के परिचलनात्मक पहलुओं/मुद्दों पर चर्चा करना है। उन्होंने निम्न आय आवास में आपूर्ति कमी, कम मार्जिन होने के कारण वित्त के प्रति विकासकों की अनिच्छा, भूमि स्वत्वाधिकार मुद्दे, अधूरे जमीन रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल नहीं होना, अधिक पंजीकरण एवं स्टॉप ड्यूटी प्रभार आदि जैसे निम्न लागत आवास वित्त के क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने श्री संजय शुक्ला (आवास एवं पर्यावरण विभाग



आवास सचिव) और श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी (छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड के कमिश्नर) की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के आवास सचिव श्री संजय शुक्ला ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि सीएलएसएस संबंधी मुद्दे एसएलबीसी एजेंडा के भी हिस्से थे। उन्होंने रायपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आवास बैंक को कार्यालय खोलने का भी सुझाव दिया।

श्री परदेशी (छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड के कमिश्नर) ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को जागरूक करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को दिए गए 190 करोड़ अनुदान आवास बोर्ड को दे दिया गया है। तथापि, सीएलएसएस योजना राज्य के दूर-दराज के जिलों में भी पहुंचनी चाहिए। बैंकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और लक्ष्य तय होने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यह छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने पीएलआई को एनओसी जारी करने हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण सहबद्ध (सीएलएसएस) पर क्षेत्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय आवास बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत सबके लिए आवास के कार्यान्वयन हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 12 नवंबर, 2015 को चेन्नै, तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री श्रीराम कल्याणरामन ने किया। बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के शीर्ष कार्यपालकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पीएमएवाई (सीएलएसएस) पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- ऋण सहबद्ध योजना (सीएलएसएस) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक ने 27 नवंबर, 2015 को मुंबई में एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना के कार्यान्वयन पर परिचर्चा हुई। कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री श्रीराम कल्याणरामन ने किया। अन्य अधिकारियों में डॉ. संजीव शर्मा, कार्यपालक निदेशक,

श्री वै.राजन, महाप्रबंधक एवं श्री वी.सांबामूर्ति, उप महाप्रबंधक भी उपस्थित थे।



श्रीराम कल्याणरामन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डॉ. संजीव शर्मा, कार्यपालक निदेशक, श्री वै.राजन, महाप्रबंधक एवं श्री वी.सांबामूर्ति, उपमहाप्रबंधक

पीएमएवाई (सीएलएसएस) पर बेंगलोर, कर्नाटक में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला

प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करने हेतु 23 दिसंबर, 2015 को बेंगलोर, कर्नाटक में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री श्रीराम कल्याणरामन जी ने किया। डॉ. मंजुला एन, आई.ए. एस., निदेशक, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, कर्नाटक सरकार, ने कर्नाटक राज्य में पीएमएवाई-सीएलएसएस के कार्यान्वयन पर विशेष संबोधन दिया। यह कार्यशाला भारत सरकार की "2022 तक सबके लिए



आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्रीय आवास बैंक की कोशिश का एक हिस्सा है।



राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों को नेत्रहीन एवं विकलांगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए परिपत्र जारी

राष्ट्रीय आवास बैंक ने "अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस" के अवसर पर नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों को ऋण सुविधाओं पर नीतिगत परिपत्र जारी किए, जो राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर भी उपलब्ध हैं। आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया गया है कि नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों को ऋण सुविधा सहित उत्पाद, सेवाएं, सुविधाएं इत्यादि प्रदान करने में कोई भेदभाव न किया जाए। राष्ट्रीय आवास बैंक ने विशेष तौर पर नेत्रहीन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु पुनर्वित्त सहायता

हाल ही में तमिलनाडु के कई हिस्सों में हुई मुसलाधार बारिश के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा विस्थापित हो गया है और इसके कारण बड़े पैमाने पर संपत्ति की हानि हुई है। तबाह आवास इकाइयों का पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास एक व्यापक कार्य है जिसके लिए सभी पणधारकों की भागीदारी के साथ बहु-आयामी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसी अपेक्षा है कि वित्तीय सेक्टर लोगों की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए नवीन वित्तीय उत्पादों के माध्यम से इस व्यापक प्रयास में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 आवास वित्त कंपनियों को अपने ऋणों को उप-मानक के तौर पर वर्गीकृत किए बिना प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को दिए इन ऋणों को पुनर्निर्धारित करने हेतु सक्षम बनाता है। तत्पश्चात पुनर्निर्धारित ऋण संशोधित नियम एवं शर्तों के द्वारा अधिशासित होंगे।

तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित जिलों के निवासियों को रियायतीदरों पर आवास वित्त के प्रवाह को सुधारने के उद्देश्य के साथ उन्हें मौजूदा आवास इकाइयों के पुनर्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण और उन्नयन में सहायता हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक ने शहरी आवास निधि योजना के तहत घटे दरों पर आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आवास

बैंक ने कथोक्त योजना के तहत लागू आय/क्षेत्र मापदंडों को भी संशोधित किया है। तमिलनाडु के प्रभावित क्षेत्रों के लिए लागू योजना में संशोधन निम्नानुसार है:

- क) उद्देश्य: निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु तमिलनाडु राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दिए उनके प्रत्यक्ष आवास ऋणों के संबंध में आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- ख)
 - मौजूदा आवास इकाइयों के पुनर्निर्माण/मरम्मत/उन्नयन पात्र ऋण
 - ऋण आकर— 10 लाख
 - पात्र ऋण – निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करने वाले आवास ऋण इस योजना के तहत पुनर्वित्त सहायता हेतु पात्र होंगे।
 - ▲ वैयक्तिकों को प्रत्यक्ष आवास ऋण
 - ▲ 10 लाख से अधिक नहीं
 - ▲ 1 दिसंबर, 2015 को या उसके बाद लेकिन 30 जून, 2016 से पहले संवितरित
 - ▲ तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित जिलों में अवस्थित आवास इकाइयों के संबंध में विस्तारित (2011 की जनगणना के अनुसार घोषित)
 - अंतिम उधारकर्ता—ऐसे उधारकर्ता जो उपरोक्त निर्धारित पात्रता ऋण मानदंड को पूरा करते हों।
- ग) पुनर्वित्त अवधि— इस योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता 3 वर्ष से कम और 7 वर्ष से अधिक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- घ) ब्याज दरें एवं प्रभारण सीमा
 - इस योजना के तहत पुनर्वित्त सहायता 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष के नियत दर पर दी जाएगी।
 - ब्याज दर बिना किसी पुनर्निर्धारण के पुनर्वित्त सहायता की पूरे समय सीमा हेतु नियत रहेगा।
 - प्रभारण सीमा— इस योजना के तहत पुनर्वित्त सहायता केवल उन ऋणों के संबंध में दिया जाएगा जहां अंतिम लाभार्थी से प्रभारित ब्याज दर 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- प्रारंभिक तौर पर इस उद्देश्य हेतु कुल 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। संवितरण पहले आओ पहले पाओ आधार पर की जाएगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत निम्नलिखित छः नई आवास वित्त कंपनियां जिनमें सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लि., निवारा होम फाइनेंस लि., खुश हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि., बजाज हाउसिंग फाइनेंस केंप्री लि., ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि., हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लि. को पंजीकरण प्रमाण पत्र (जनता से जमा राशि को स्वीकार करने की अनुमति के बिना) प्रदान किया है। इस प्रकार, रा.आ.बैंक के साथ पंजीकृत आ.वि.कं. की कुल संख्या अब 72 है। नई आवास वित्त कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य किफायती आवास वित्त वर्गों पर ध्यान देना है और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग की आवासीय ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिससे 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।



विश्व पर्यावास दिवस समारोह, 2015



पर्यावासीय प्रश्नोत्तरी 2015

विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारत पर्यावास केंद्र(आईएचसी) के साथ मिलकर भारत पर्यावास केंद्र के संस्थागत व वैयक्तिक सदस्यों के लिए 6 अक्टूबर, 2015 को आठवीं "पर्यावासीय प्रश्नोत्तरी, 2015" का आयोजन किया। प्रश्नोत्तरी का विषय 'सभी के लिए सार्वजनिक स्थल' था। इस प्रश्नोत्तरी में सूत्रधार

की भूमिका टीवी शो की मेजबानी करने वाले जाने माने मीडिया कर्मी श्री जॉय भट्टाचार्य ने की।

इसका उद्देश्य अलग-अलग व्यक्तियों को मानव पर्यावास के भविष्य हेतु उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराना था। इस आयोजन के माध्यम से "विश्व पर्यावास दिवस" के महत्व पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा की गई।





श्री श्रीराम कल्याणरामन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रा.आ. बैंक, सुश्री सौम्या टी. दवे, संयुक्त निदेशक, आईएचसी एवं डॉ. संजीव शर्मा, कार्यपालक निदेशक, रा.आ. बैंक एवं प्रश्नोत्तरी के सूत्रधार श्री जॉय भट्टाचार्य

"आवास भारती" के वार्षिक अंक का विमोचन

डॉ. नदिता चटर्जी, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत पर्यावास दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" के विशेष वार्षिक अंक का विमोचन किया। आवास भारती, राष्ट्रीय आवास बैंक की आंतरिक हिंदी पत्रिका है व इसमें आवास, आवास वित्त, पर्यावास इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर लेख शामिल हैं। यह पत्रिका सरल व आम हिंदी भाषा में प्रकाशित की जा रही है जिससे पाठकों को लेख की सामग्री समझने में मदद मिलती है। आवास भारती ने भारतीय रिजर्व बैंक से आंतरिक हिंदी पत्रिका के लिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं इसके साथ ही अन्य मंचों से भी पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

सबके लिए आवास पर प्रहसन (स्किट)

विश्व पर्यावास दिवस, 2015 के अवसर पर, राष्ट्रीय आवास बैंक के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज, कोयंबटूर के छात्रों द्वारा "सबके लिए आवास" विषय पर प्रहसन (स्किट) प्रस्तुत किया। प्रहसन के विषय, निर्देशन व प्रस्तुतिकरण हेतु विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज, कोयंबटूर को सम्मान के तौर पर प्रमाणपत्रों के साथ पुरस्कार राशि प्रदान की गई।




श्री संजीव कुमार, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री आयशा किराबो केसियारा, उप कार्यपालक निदेशक, यूएन-हेबिटेट, श्री श्रीराम कल्याणरामन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रा.आ. बैंक, डॉ. नदिता चटर्जी, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

श्री श्रीराम कल्याणरामन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रा.आ. बैंक, डॉ. नदिता चटर्जी, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री आयशा किराबो केसियारा, उप कार्यपालक निदेशक, यूएन-हेबिटेट व पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज, कोयंबटूर के छात्र



सतर्कता जागरूकता सप्ताह

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सुशासन के साधन के तौर पर "निवारणात्मक सतर्कता" विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को सतर्कता सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त श्री टी.एम. भसीन, इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा बैंक की सतर्कता नियमावली (विजिलेंस मैनुअल) जारी की गई।



दिल्ली नराकास वार्षिक समारोह की झलकियां





दीपावली समारोह की कुछ झलकियां

राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में दिनांक 5 नवंबर, 2015 को दीपावली समारोह का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत एक रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी। जिसमें बैंक के सभी विभागों ने भागीदारी की। इस प्रतियोगिता में संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग तथा लेखा विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जबकि द्वितीय स्थान पर प्रशासन एवं मानव संसाधन विभाग रहा। तृतीय स्थान पर पुनर्वित्त परिचालन विभाग रहा। समारोह में पारम्परिक परिधान पर भी एक प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें पारम्परिक वेशभूषा हेतु अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में बैंक के सभी अधिकारियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। पेश हैं इस समारोह की कुछ झलकियां।





हरित भवन ऐसे भवन हैं जो पारंपरिक भवनों की तुलना में पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, उर्जा क्षमता को बढ़ाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हैं, कम कचरा उत्पन्न करते हैं और रहनेवाले को स्वास्थ्यकर स्थान उपलब्ध कराते हैं। हरित भवन जल्द ही अपने सौर उर्जा और जल संरक्षण सुविधाओं के साथ पूरे भारत में एक प्रतिमान बन जाएगा। हरित भवन के मूर्त फायदों के अलावा इसके बहुत से अमूर्त फायदे भी हैं जैसेकि स्वच्छ हवा, स्वस्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली, प्राकृतिक रोशनी इत्यादि। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय प्रयास है भारतीय हरित भवन परिषद की स्थापना, जिसका लक्ष्य हरित भवन प्रवृत्ति में प्रवेश करना और वर्ष 2015 तक भारत को हरित भवन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करना है। इस विचार को लोगों के बीच आकर्षक बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार योजना बना रही है कि ऐसे भवनों के लिए न्यूनतम संपत्ति कर को कम किया जाएगा और जो भवन इस क्षेत्र में नहीं आते हैं उन्हें अधिक भुगतान करना होगा। जब यह प्रस्ताव अनुमोदित हो जाएगा तो यह भवन-निर्माताओं के लिए पानी गर्म करने, वर्षा जल के संरक्षण, जल के निरंतर उपयोग के लिए सौर व्यवस्था और अच्छी रोधक क्षमता सहित उच्च स्तर की निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को आवश्यक बना दिया जाएगा। श्री टी.सी.बेंजामिन, शहरी विकास सचिव (प्रमुख), के अनुसार 'महाराष्ट्र क्षेत्रीय शहर योजना अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन ईको-हाउसिंग को सच बना देगा'। इस प्रस्तावित संशोधन में की गई सिफारिशें नोबेल पुरस्कार विजेता श्री आर.के.पचौरी की संस्था टेरी ने की हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने कर लाभ को मौजूदा भवनों के लिए भी विस्तारित करने की योजना बनाई है। आईजीबीसी ने आगामी हरित आवास मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तुत की है। हरित आवास मूल्यांकन प्रणाली एक ऐसी मापन प्रणाली है जो नए आवासीय भवनों जिसमें निर्माण श्रेणियां जैसे कि पृथक आवास, ऊंचे-ऊंचे आवासीय अपार्टमेंट, कच्चे आवास जिसमें वैसे मौजूदा आवास जो आईजीबीसी हरित आवास मानदंड के अनुसार रेट्रोफिट और पुनः अभिकल्पित हो के मूल्यांकन के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि प्रमुख विकासों में देखा गया है, यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि हरित भवन/आवास यहां ठहरे हैं और विकासशील देशों में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

हम अपने भवनों/सोसाइटी में हरित मानकों को अपना सकते हैं और निम्न के माध्यम से योगदान दे सकते हैं :

1. **उर्जा संरक्षण तकनीक** :- उर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे आम प्रणालियों में घरेलू कचरा प्रबंधन, सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल, वर्षा जल संरक्षण, बिजली का कम इस्तेमाल करना इत्यादि शामिल है। आसानी से कार्यान्वित करने के लिए कुछ अन्य सामान्य तकनीक भी हैं। आप अपने घर की दीवारों को हल्के रंग से रंगें। अगर आप गहरे रंग से दीवारों को रंगते हैं तो आपको बल्ब या सीएफएल की रोशनी हल्के रंगों में जितनी प्रकाशित होती है गहरे रंगों में उतने प्रकाश के लिए ज्यादा उर्जा की जरूरत होती है। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उसे ठंडा कर लें। पुराने बल्बों की जगह सीएफएल का प्रयोग करें।

वी. साम्बामूर्ति
उप महाप्रबंधक



खुश्क एवं गर्मी के मौसम में क्लॉथ ड्रायर में कपड़ा सुखाने की जगह कपड़ों को खुली हवा में सूखाएं। उर्जा बचत का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनर्जी स्टार से प्रमाणित कूलिंग और हीटिंग उत्पाद ही खरीदें। अगर आपको थोड़ा सा भोजन गर्म या ठंडा करना हो तो माइक्रोवेब की जगह स्टोव का इस्तेमाल करें और उर्जा बचाएं। आप रेफ्रिजरेटर के दरवाजे ज्यादा देर तक खोले न रखें।

2. **घर में उर्जा की बचत** :- हम अपने घर में विभिन्न प्रकार से उर्जा की बचत कर सकते हैं। अपने घर के खिड़कियों और दरवाजों के चारों ओर वेदर-स्ट्रीपिंग चढ़ाएं और अपने ईंधन की खपत को बचाएं। वेदर-स्ट्रीपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दरवाजे, खिड़कियों और मुख्य मार्ग आदि में छिद्र को बंद करने के लिए सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसका लक्ष्य पानी को घर के अंदर आने से रोकना और पानी को संरक्षित कर उसका फिर से उपयोग करना है। इसका दूसरा उद्देश्य अंदरूनी हवा को घर के अंदर ही बनाए रखना है ताकि घर को गरम या ठंडा करने के लिए ज्यादा उर्जा की खपत ना हो। वेदर-स्ट्रीपिंग के प्रयोग से अगर आप पानी गर्म करने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं तो कम तापमान की जरूरत होती है। आप अपने घर और आसपास की जगह पर कम उर्जा खपत वाली सामग्रियां लगाएं। जैसे कि अगर आप गर्मी के मौसम में अपने कमरे को ठंडा या फिर सर्दी के मौसम में कमरे को गर्म करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो मानक कंपनी की ही मशीन का प्रयोग करें जिससे कि उर्जा खपत कम से कम हो। ठीक इसी प्रकार आप अपने घर और खिड़की आदि के सामने ऐसे पेड़ लगाएं जो छायादार तो हों ही साथ ही ज्यादा से ज्यादा ठंडक देते हों। वैसे भी पेड़ हमेशा से प्राकृतिक संतुलन के स्रोत रहे हैं। बहुत से लोग घर से निकलते समय या बिना कारण के पंखा, कूलर, आदि का प्रयोग करते हैं जिससे ना सिर्फ उर्जा की बर्बादी होती है बल्कि यह पैसे की भी बर्बादी है, अतः यह अच्छा है कि हम घर से निकलते समय बल्ब आदि को बंद करके जाएं।

3. **आप मुफ्त में गर्म पानी प्राप्त कर सकते हैं** :- प्रकृति हमेशा से हमारी हर तरह से मदद करती आई है, अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि सूर्य से अधिक गर्मी और



चांदनी रात तथा बारिश के बाद चलने वाली हवा से ज्यादा ठंडक कोई मशीन नहीं दे सकती है। इसी प्रकार अगर हम वाटर हीटर की जगह पानी को रबर के पाईप में इक्का करें और पाइप को ऐसे फिट करें कि कहीं से भी पानी बहने की जगह ना हो तो उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उससे जो पानी गर्म होगा उसे देख आप हीटर को जरूर भूल जाएंगे। इसका एक फायदा यह भी है कि बिना बिजली खपत के आप गर्म पानी प्राप्त कर सकते हैं और वह भी पाइप के द्वारा जहां चाहें ले जा सकते हैं।

4. **सोलर वाटर हीटर के फायदे :-** पारंपरिक वाटर हीटर से पानी गर्म करने पर बिजली की खपत तो होती ही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि यह वातावरण को प्रदूषित करता है। जबकि सोलर वाटर हीटर से किसी भी प्रकार के प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसके लिए बिजली या किसी गैस की जरूरत नहीं पड़ती है और यह किसी भी मौसम में काम करता है। सोलर वाटर हीटर के चलते जहां हमारी बिजली की बचत होती है वहीं प्राकृतिक गैस भी बचती है। ये संसार में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इस प्रकार से हम प्रकृति को स्वच्छ रखने में अपना योगदान कर सकते हैं। साथ ही यह पारंपरिक वाटर हीटर से ज्यादा दिनों तक चलता है और इसकी उम्र 15 से 40 साल के बीच होती है। जब आप इसकी कीमत और फिर इसके उपयोग का अनुपात निकालें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमें सारी जिंदगी मुफ्त में गर्म पानी मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे लगाने में बहुत झंझट है, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसमें लगे उपकरण का रख-रखाव सरल तरीके से किया जा सकता है। ज्यादातर सोलर वाटर हीटर में रेडिएटर में अंदरूनी पाइप में बहुत सी पट्टियां होती हैं जिस कारण पानी के रिसाव या रूकावट को देखना आसान होता है। अगर आपको मशीन को सुखाना है तो बस पानी के स्रोत को बंद कर दें। आप प्रत्येक पाइप को अलग-अलग कर सकते हैं और इस प्रकार से सभी पाइपें आसानी से सूखती हैं। इसके बाद उसे रंग दें और फिर उसे लगा दें अगले 24 घंटे में हीटर फिर से काम करना शुरू कर देता है। जबकि पारंपरिक हीटर को ठीक करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है।

5. **जल संरक्षण के आसान तरीके :-** अगर आप बारिश के मौसम में जल का संग्रहण करते हैं तो आप गर्मी में बाहरी कार्यों के लिए इसका उपयोग कर लगभग 1,300 गैलन पानी बचा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप अपने बगीचे में सुबह के समय पानी डालते हैं तो भी आपके पानी की खपत बहुत हद तक कम हो जाती है। हमारी

छोटी-छोटी सावधानी ना जाने कितने ही गैलन बर्बाद हो रहे पानी को बचा सकती है। प्रायः देखा गया है कि लोग ब्रश करते समय नल को खुला रखते हैं जो कि पानी की बर्बादी नहीं तो और क्या है, आप अगर इस प्रकार की लापरवाही ना करें तो लगभग 4 गैलन पानी बचाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके पानी की टंकी, शौचालय में पानी रिसाव को सही समय पर ठीक कर दिया जाए तो लगभग प्रत्येक वर्ष 13 बिलियन गैलन पानी बच सकता है। हम चार कपड़े धोते हैं और वाशिंग मशीन में ना जाने कितना पानी बर्बाद करते हैं। हमें हमेशा वाशिंग मशीन की क्षमता के अनुसार पूरे कपड़े धोने चाहिए जिससे हम 9,000 गैलन पानी बचा सकते हैं। वैसे भी एक कहावत है कि बूंद-बूंद से ही सागर भरता है और फिर आपने सर्फ एक्सेल का वह प्रचार तो देखा ही होगा जिसमें महिलाएं कम पानी का प्रयोग कर पानी को एक जगह इक्का करती है। हम बर्तन धोने में भी सही तरीके से पानी के इस्तेमाल से एक साल में लगभग 800 गैलन पानी बचा सकते हैं। यह तो बात हुई उस पानी की जो कुंआ, तलाब, झरना और भूमिगत स्रोत से आता है। जल के सबसे बड़े स्रोत बारिश को हम कैसे भूल सकते हैं। बारिश का पानी अगर हम इक्का करें तो हमारे पानी का बिल बहुत ही कम आएगा और आप उस पैसा का कहीं और उपयोग कर सकते हैं। आप बारिश का पानी गैलनों में या फिर भूमिगत टंकी बनाकर उसमें इक्का कर लें फिर इसे आप पौधों की सिंचाई और अन्य जगह पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको जल को इक्का करने के लिए पाइप का सहारा लेना चाहिए साथ ही पौधों के चारों ओर पत्थर लगा दें ताकि पानी सीधा पौधों में ना गिरे और पानी का अधिक से



अधिक इस्तेमाल हो सके। एक तरफ हम जल संरक्षण और ऊर्जा बचत कर प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं तो दूसरी तरफ कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है जिसपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आप हम सभी जानते हैं कि अगर हम राष्ट्र स्तर पर, समाज के स्तर पर या इस पर एक साथ काम करने की सोचे तो काफी देर हो जाएगी। इसलिए घर से शुरूआत की जाए तो ज्यादा अच्छा है।



6. **घरेलू कचरों का प्रबंधन एवं रिसाइकिल करना** :-हमें पैकेट बंद खानों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पैकेट बंद खाने प्लास्टिक के बैग में होते हैं और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो करोड़ों साल में भी नष्ट नहीं होती है और हमारी मिट्टी को प्रदूषित करती है। इसलिए हमें कपड़े के बैग का प्रयोग करना चाहिए। पेड़ से गिरने वाले पत्तों को एक कन्टेनर में रख दें तो वे प्राकृतिक खाद बन जाएंगे जिसे मिट्टी में डालकर फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर हम अपने घरों में जिन उत्पादों का प्रयोग करते हैं उसमें टॉक्सिक की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह हवा को प्रदूषित करती है और वे देर-सवेर पानी में मिल जाते हैं और प्रकृति को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। आज विश्व का तापमान बढ़ने और प्रदूषण का स्तर बढ़ने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसके साथ ही हमें कचरा प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके तहत हमें खतरनाक उत्पादों को ऐसी जगह दे देना चाहिए जो इसका रिसाइकिल करते हों। हमें पुनः इस्तेमाल होने वाले बैग, बैटरी और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने कपड़े दान में देने चाहिए। हमें कागज के बैग, आइसक्रीम के ट्यूब आदि का भी दोबारा प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने बर्बाद हुए भोजन को भी रिसाइकिल कर सकते हैं। आप अपने बचे हुए खाने, चायपत्ती, आदि को एक गड़ढे में डालें और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। कुछ दिनों के बाद वे खाद बन जाएंगे जिसे आप बगीचे आदि में डाल सकते हैं। यही कारण है कि आजकल कचरे का डिब्बा हर जगह रखा जाता है ताकि गैरजैविक और जैविक कचरों को अलग किया जा सके और फिर उन्हें दोबारा प्रयोग के लिए तैयार किया जा सके। इस प्रकार से हम थोड़े-थोड़े प्रयास से अपने आस-पास को भी साफ रख सकते हैं और प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं। आइए चलते-चलते हम आपको छत के उपर जल संरक्षण के बारे में बताते जाएं। अगली बार अगर आप कचराली झील जाएं तो मंदिर के आसपास गौर से देखें तो आप जल संरक्षण का सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका देख सकते हैं। जहां वर्षा के जल को सीधे संरक्षित किया जाता है ताकि इसका पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल हो सके। कर्नाटक के लगभग 23,683 स्कूलों में पीने के पानी के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तुकार एवं नगर योजनाकर्ता पल्लवी लाटकर ने पाया कि लगातार पानी के बहाव से आसपास के क्षेत्र के जल स्तर का भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि छत के ऊपर जल संरक्षण के लिए टंकी बनना जल संरक्षण का सबसे आसान तरीका है और इसकी लागत भी बहुत कम है। यही कारण है कि थाणे में 90 प्रतिशत झीलों के पास मंदिर हैं ताकि जल संरक्षण

प्रक्रिया को ज्यादा सुचारु तरीके से अमल में लाया जा सके। लाटकर और उनकी टीम ने ही इस नगर निगम परियोजना को एक स्वरूप दिया है। टीएमसी के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और आगे इसके तहत टीएमसी के भवनों में भी छत के ऊपर जल संरक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। लाटकर टीम के एक सदस्य सचिन बाघमारे बताते हैं कि इस प्रणाली में पीवीसी पाइप को मंदिर के किनारे क्षैतिज अवस्था में लगाया जाता है जिसमें की बरसात के समय छत पर गिरने वाला पानी इस पाइप में एकत्रित हो जाता है। फिर पाइपों का एक सेट खड़े में लगाया जाता है जिससे संग्रहित पानी को वितरित किया जाता है। हालांकि भारत प्राचीनकाल से जल संग्रहण प्रणाली का बखूबी इस्तेमाल करता रहा है यहां तक कि हड़प्पा संस्कृति काल में भी जल संग्रहण के प्रमाण मिलते हैं। आज भी राजस्थान और दक्षिण भारत में टैंको और तालाब में जल संग्रहण किया जाता है। आज अगर हमें जरूरत है तो बस अपनी पुरानी परंपरा को फिर से अपनाने और उसे व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाने की।

आज हमारे देश में शहरीकरण के नाम पर बोर वेल के द्वारा भूमिगत जल का जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है वह भावी संकट की ओर इशारा कर रहा है। हम पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उसके संरक्षण पर अभी भी हमारा ध्यान उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिसकी जरूरत है। हमें आज ऐसे कुओं की आवश्यकता है जिसमें लम्बे समय तक पानी रहता है। ऐसे कुओं का एक फायदा यह भी है कि ये आसपास के जलस्तर को बनाए रखता है। ये कुएं छोटे आकार के होते हैं और बालू की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी को ठंडा भी रखते हैं, इनके मुहाने को ढक कर रखा जाता है और नीचे की तरफ खुले रहते हैं। फिर जब वर्षा के मौसम में बारिश होती है तो पाइप के द्वारा पानी अंदर जाता है और संग्रहित रहता है और आसपास के जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है। फिर बाघमारे बताते हैं कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए और इसके रख-रखाव में ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं। बस मानसून आने से पहले छत को अच्छे से धोना पड़ता है ताकि चिड़ियां या अन्य किसी की बीट छत पर ना रह जाए और पेड़ के पत्ते आदि अच्छी तरह से निकाल दिए जाएं। दूसरी ओर इस प्रक्रिया में मात्र 10 प्रतिशत पानी ही वाष्पित होता है। बाघमारे आगे बताते हैं कि लोग नल से पानी पीते समय भी पानी बर्बाद करते हैं, जबकि इस प्रक्रिया के तहत जो पानी नल खुला छोड़ देने या फिर पीते समय नीचे गिरता है वह पाइप के माध्यम से इन कुओं में चला जाता है और इस तरह हम एक हद तक पानी को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लेते हैं, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि एक बूंद पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कचराली में लगी इस योजना की कुल कीमत मात्र 35,000 हजार रूपए है। क्यों आप भी सोच में पड़ गए ना। तो चलिए उपरोक्त बताई बातों को अपना कर अपनी और अपनी प्रकृति की रक्षा करें।



पेमेंट बैंक - एक नई अवधारणा



रामजीवन प्रसाद
उप प्रबंधक

भारत एक कृषि प्रधान विकासशील देश है जिसकी कुल श्रम शक्ति का 51 प्रतिशत आज भी रोजगार के लिए कृषि पर आश्रित है। इतने लोगों के जीवनयापन का साधन होते हुए भी कृषि आज बहुत पिछड़ी हुई है तथा भाग्य भरोसे कृषि की जाती है। कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्याएं निम्न हैं:-

1. वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के स्थान पर परंपरागत तकनीकों का उपयोग




2. सिंचाई सुविधाओं का अभाव
3. कृषि वित्त समस्या
4. अच्छे किस्म के बीजों का अभाव
5. प्राकृतिक घटनाएं (अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि)
6. जरूरत से ज्यादा लोगों का कृषि पर आश्रित होना

उपर्युक्त समस्याओं के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। जैसे तो किसानों के पास नकद धन का अभाव होता है परंतु जब फसल बिकने के बाद पैसा आता है तो बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच न हो पाने के कारण वह इन पैसों का इस्तेमाल सही प्रकार से नहीं कर पाता है। साथ ही देश के विकास में अपनी भूमिका भी नहीं निभा पाता है ना ही देश के विकास का फल उस तक पहुंच पाता है। इसका नतीजा यह होता है कि गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होता चला जा रहा है।

यह जानकर और भी आश्चर्य होता है सवा सौ करोड़ आबादी वाले देश में बैंक सुविधाओं से रहित व्यक्तों की जनसंख्या का 21 प्रतिशत भारत में रहता है। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी एक अभिशाप है क्योंकि

गरीबी के कारण उसके सौदेबाजी करने की क्षमता बहुत कम होती है तथा समाज का अमीर तबका उसके इस कमी का भरपूर फायदा उठाता है। यही नहीं एक तरफ हम देश की दो अंकीय तरक्की की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबी, भुखमरी और कुपोषण आदि के बढ़ती हुई जनसंख्या का समाचार सुनते हैं। इसका सीधा मतलब यही होता है कि देश के विकास का फल नीचे गरीब तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद गरीबी तथा अमीरी की खाईयां बढ़ती जा रही हैं। आजादी के बाद सरकार ने यह पाया कि देश में कार्यरत बैंक जिनका नियंत्रण मुख्यतः पूंजीपतियों के हाथ में था वह केवल पूंजीपतियों के विकास के लिए ही काम कर रही थी। अतः सरकार ने सन् 1969 में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई-नई योजनाएं शुरू करके उन्हें इन बैंकों के माध्यम से लागू करवाया। सरकार ने देश को विकास के अंतिम छोर तक ले जाने के लिए उन्होंने इन बैंकों के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए तथा इन लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने का रोड मैप भी तैयार किया। लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का नियंत्रण करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक पर सौंपा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंकिंग क्षेत्र ने पिछले कुछ दशक खूब प्रगति की है बावजूद इसके, बैंक अभी तक देश की बहुत बड़ी आबादी के पहुंच के बाहर खासकर समाज का पिछड़ा तबका बैंकिंग सुविधा से वंचित रहा है। अतः राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्ययन किया गया कि क्यों समाज का यह वर्ग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है तथा कैसे इन्हें इसके अंदर लाया जाए। कैसे गरीब



तथा वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन में लाया जाए क्योंकि ये वित्तीय समावेशन उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 2005-06 की वार्षिक नीति में यह माना कि



बैंकों की प्रैक्टिस समाज के बहुत बड़े भाग (जनसंख्या) को छोड़ने की होती है ना कि उन्हें इसके अंदर लाने की। वाणिज्यक बैंक होने के कारण इन बैंकों का अंतिम लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। चूंकि गरीबों के पास धन का अभाव होता है अतः वाणिज्यक बैंक उच्च आय वर्ग की ओर आकृष्ट रहता है। अपने प्रॉडक्ट्स की विशेषताएं भी इस तरह से रखी जाती हैं जो उच्च वर्ग को ही फायदा पहुंचाती हैं। केन्द्रीय बैंक तथा सरकार की नीतियों के चलते वे (वाणिज्यिक बैंक) सीधे तौर पर किसी वर्ग को सेवा देने से मना नहीं करते हैं परंतु उनकी नीतियां लाभ-प्रद वर्ग को आकृष्ट करने की ही होती हैं। अतः बैंकों से अपनी प्रैक्टिस में सुधार लाने तथा वित्तीय समावेशन पर जोर देने के लिए कहा। इसके बाद कई तरह के नए नियम बनाए गए बैंकों द्वारा खोले जाने वाले शाखाओं का



एक निश्चित भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाना, केवाईसी नियमों में ढील इत्यादि। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि पूर्ण वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस हेतु एक कमेटी का गठन कर वित्तीय समावेशन की चालू स्थिति, उसके लागू करने के लिए उठाये गए कदम, उनकी मॉनिटरिंग सुधार की आवश्यकता आदि के बारे में रिपोर्ट देने के लिए गठन किया। डॉ० नचिकेत मोर कमेटी ने इस विषय का अध्ययन किया तथा साथ में ही अन्य विकासशील देश जैसे अफ्रीकन देशों में वित्तीय समावेशन की स्थिति की सफलता का अध्ययन किया। अपने अध्ययन के आधार पर कमेटी ने वित्तीय समावेशन से सभी को जोड़ने के लिए पेमेंट बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। कमेटी ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि केन्या जैसे विकासशील देश जहां पहले 7-10: वित्तीय समावेशन की स्थिति थी एम-पैसा चालू होने के बाद आज 90: लोग इसका उपयोग करते हैं तथा 75: ट्रांजेक्शन इसी के माध्यम से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कमेटी के इस सुझाव को माना तथा पेमेंट बैंक स्थापना हेतु नवम्बर 2014 में गाइडलाईन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक का नाम

का प्रपत्र जारी किया। भा.रि. बैंक जो उपरोक्त पेमेंट बैंक स्थापना के उद्देश्य, कार्यक्षेत्रों आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में बताया इसके बाद पेमेंट बैंक की स्थापना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया तथा आवेदन पत्रों में से 11 आवेदन पत्रों को भा.रि. बैंक ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की। पेमेंट बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों का एक नया स्वरूप है। देखा जाए तो पेमेंट बैंक वह सब कार्य करेगा जो एक कर्मिश्यल बैंक अपने जमा खाता धारकों के लिए करता है, परंतु वह किसी भी प्रकार ऋण नहीं दे सकता है। पेमेंट बैंक निम्नलिखित कार्य कर सकता है—

1. प्रति व्यक्ति (ग्राहक) से एक लाख ₹0 तक जमा स्वीकार कर सकता है।
2. एटीएम/डेबीट कार्ड जारी कर सकता है परंतु क्रेडिट कार्ड नहीं
3. भुगतान एवं विप्रेषण की सुविधा
4. अन्य बैंकों के व्यवसायिक कॉरसपॉन्डेन्स की तरह कार्य कर सकता है।
5. जोखिम रहित वित्तीय उत्पादों जैसे म्युचल फंड यूनिट एवं बीमा उत्पाद आदि का वितरण कर सकता है।

चूंकि पेमेंट बैंक से समाज के गरीब तथा वंचित लोगों के पैसे का निवेश होगा अतः उसकी सुरक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया है कि पेमेंट बैंक ऋण गतिविधियां नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त भा.रि. बैंक



ने कहा कि पेमेंट बैंक को नकद जमा अनुपात के अतिरिक्त अपनी मांग जमा राशि का 75 प्रतिशत (एसएलआर) में निवेश करना होगा तथा 25 प्रतिशत राशि अन्य शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में रख सकती है। पेमेंट बैंक स्थापना हेतु कम से कम 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता रखी गई है। साथ ही औसत अनुपात 3 प्रतिशत से कम न रखने की भी घोषणा की है अर्थात् बाहरी दायित्व 33.35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।



आवास ऋण के विकल्प



आदित्य शर्मा
क्षेत्रीय प्रबंधक

रोटी, कपड़ा और मकान यह हमेशा से हमारी बुनियादी जरूरत रही है। रोटी और कपड़ा की बात करें तो यह पहले की तुलना में थोड़ी महंगी तो हुई है लेकिन इसकी उत्पादन और उपलब्धता भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। इसलिए इस क्षेत्र में मांग और आपूर्ति का संतुलन उतना नहीं बिगड़ा है जितना मकान के मामले में हुआ है। शुरूआती दौर में ग्रामीण व्यवस्था, कृषि पर निर्भरता और संयुक्त परिवार होने के कारण लोगों को अपने अलग मकान होने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन जैसे-जैसे कृषि उत्पादन दर में और जनसंख्या बढ़ने के साथ जमीन का आकार छोटा होता गया, वैसे-वैसे बेरोजगारी बढ़ने लगी। ऐसे में जब इंग्लैंड से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति भारत तक पहुंची तो एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिसे हम शहरी व्यवस्था कहते हैं। इन शहरों में कल-कारखाने लगने लगे और लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। शहरों में कल-कारखाने तो खुल गए लेकिन सही मायने में ये शहर इतनी बड़ी आबादी को रखने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। लोगों को नौकरी तो मिल गई लेकिन रहने के लिए छत की कमी महसूस की गई। फिर किराया आवास की शुरूआत हुई। लेकिन यहां भी कई परेशानियां थी। ऐसे में लोग अपने-अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहने लगे। अब संयुक्त परिवार व्यवस्था की जगह एकल परिवार ने ले ली। अब जब परिवार टूटे तो उन सबको अपने लिए मकान की जरूरत महसूस हुई। वे



अब शहर में भी अपना मकान चाहने लगे। शुरूआत में तो इसमें उतनी परेशानी नहीं हुई लेकिन जैसे-जैसे शहरों में आबादी बढ़ने लगी वैसे-वैसे जमीन घटने लगी और 1990 के दशक के उदारीकरण के साथ भारत के महानगर आवास की समस्या से जूझने लगे। अब मकानों की जगह अपार्टमेंट, फ्लैटों ने ले ली। इस क्षेत्र में मुनाफा देख लोगों ने इसमें पैसे लगाने शुरू कर दिए और संपत्ति के दाम आसमान को छूने लगे। आज आलम यह है कि अगर आप दो कमरे का मकान भी खरीदने जाएं तो दिल्ली तो छोड़िए इसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि आनंद विहार, फरीदाबाद जैसे शहरों में इनकी कीमत लाखों में है। ऐसे में समस्या यह है

कि अगर आप अपनी कमाई से घर खरीदना चाहें तो यह मुमकिन ही नहीं रह गया है। ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप मकान खरीदने के लिए बैंक से ऋण लें। आज कल प्रायः बैंक आवास ऋण दे रहे हैं। लेकिन इससे भी कई पेचीदगी है आवास ऋण पर ब्याज दर क्या है? किस बैंक से लोन लेने पर आपको कम बोझ पड़ेगा या फिर क्या आप उसके लिए पात्र हैं भी या नहीं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिल भी जाए तो एक सवाल यह है कि बाजार में किस तरह के आवास ऋण विकल्प मौजूद हैं। आवास ऋण में आपके पास चुनने के लिए स्थिर, अस्थिर और हाईब्रिड लोन प्रोडक्ट मौजूद होते हैं।

स्थिर आवास ऋण—इसमें आपको ऋण (लोन) की अवधि में एक



समान ब्याज देना होता है, चाहे ब्याज दरें बढ़ें या घटें। इसमें उधारकर्ता भविष्य में कैसे भुगतान करता है इसकी सटीक गणना कर सकता है। अधिकतर ऋणकर्ता पूरे ऋण अवधि के लिए इसी विकल्प को पसंद करते हैं वह बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहते।

अस्थिर आवास ऋण—इसमें आपको बाजार में मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से ब्याज देना होता है यानी दरें बढ़ीं तो आपकी ई.एम.आई. भी बढ़ेगी। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि अस्थिर आवास ऋण कुछ मायनों में स्थिर आवास ऋण से बेहतर है। इसमें कई बार ईएमआई बाजार के हिसाब से काफी कम भी हो सकती है लेकिन यह कब तक और कितना होगा यह बाजार पर ही निर्भर करता है।

हाईब्रिड आवास ऋण—यह फिक्सड और फ्लोटिंग का मिश्रण होता है। जहां शुरूआत के कुछ सालों के लिए तो आपकी ब्याज दरें स्थिर रहती हैं लेकिन बाकी समय के लिए वे अस्थिर हो जाती हैं।

अब सवाल यह है कि क्या चुना जाए। अब यह आपको तय करना है कि आपके लिए कौन-सा ऋण (लोन) अच्छा रहेगा। यदि आप भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ौतरी से बचना चाहते हैं तो आपको स्थिर आवास ऋण लेना चाहिए। आमतौर पर स्थिर आवास ऋण मौजूदा ब्याज दरों से 1-2 फीसदी तक महंगा होता है। लेकिन इसे एक निश्चिंतता होती है।



स्थिर ऋण लेते वक्त आपको उसके साथ जुड़े पुनर्निधारण प्रावधान पर ध्यान देना होगा जो बैंक को एक अवधि के बाद आपकी स्थिर ब्याज दर को भी बदलने का अधिकार देता है। आम तौर पर हर स्थिर ऋण (लोन) में पुनर्निधारण प्रावधान होता है। ऐसे में आप उस बैंक का लोन चुनें जिसमें पुनर्निधारण प्रावधान कम से कम 3 साल हो यानी आपकी स्थिर ऋण की दरों में किसी तरह का बदलाव कम से कम तीन साल बाद ही हो।

इसी तरह यदि आप 3 से 5 साल की छोटी अवधि के लिए आवास ऋण लेना चाहते हैं तो अस्थिर आवास ऋण आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा लेकिन यहां ऋण (लोन) लेने से पहले आप कुछ बैंकों के बेस रेट की तुलना कर यह जरूर जान लें कि इन्होंने बीते वक्त में कितनी बार रेट बढ़ाए या घटाए हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम विज्ञापन और मौजूदा कम कीमत की लालच में उस बैंक से ऋण तो ले लेते हैं लेकिन बाद में उच्च ब्याज चुकाना पड़ सकता है।

इसके अलावा वित्तीय संस्थान की पुनर्वितीयन, स्विचिंग या समय पूर्व भुगतान की शर्तों को जानना भी जरूरी है। बैंक की आपटर सेल्स सर्विस के बारे में भी पता लगाएं। इसके अलावा बिल्डर को सीधा ऋण संवितरित न करवाएं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर नियंत्रण आपके हाथ में ही रहे।

जबकि आप अपने लिए एक घर ले रहे हैं तो आवास ऋण लेते समय छोटी-छोटी बात पर ध्यान देना लाजमी है। वरना एक छोटी सी चूक भविष्य में आपके लिए कष्टदायक हो सकती है इसलिए आवास ऋण के बारे में आपको जागरूक रहना चाहिए। इसकी ब्याज दर या अवधि में परिवर्तन के बारे में आपको तुरंत पता चलना चाहिए। यदि आपका बैंक आपसे ऊंची ब्याज दर वसूल रहा है तो आपको अपने बैंक से इन नए ग्राहकों के समान ब्याज दर में परिवर्तित करने को कहना होगा। बैंक भी ग्राहकों से मोलभाव करने में इच्छा दिखाते हैं खासकर जब ग्राहक समय पर किस्तें अदा करता रहा हो। यदि बैंक आपकी बात मानने से इंकार करे तो अपना आवास ऋण दूसरे बैंक में शिफ्ट करने की हल्की-सी किफायत

भी कई बार कमाल कर सकती है।

अवधि कम करवाएं, न कि किस्त

आवास ऋण पर ब्याज दर के कम होने पर किस्त की रकम को कम करवाने की गलती न करें। बेशक यह काफी लुभावना लगे क्योंकि इससे हर महीने आपकी जेब से जाने वाली रकम कम हो जाती है परंतु छोटी किस्त का मतलब है लोन की लम्बी अवधि। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऋण की अवधि को ही कम करें। यदि आपको वास्तव में किस्त अदा करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो ही किस्त कम करवाएं। यह भी पता



कर लें कि ब्याज की जो नई दर आपको ऑफर की जा रही है वह बैंक के बेस रेट से जुड़ी है या नहीं। सुनिश्चित करा

लें कि यह वह प्रमोशनल रेट न हो जो नए ग्राहकों को ऑफर किया जा रहा है। कई बार 'नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें कम ब्याज दर पर आवास ऋण ऑफर करते हैं जिसे 2-3 साल बाद बढ़ा दिया जाता है। चूंकि आम तौर पर आवास ऋण 10 से 15 साल या अधिक की अवधि के लिए होते हैं, लोन पर प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन लाभों से ही संतुष्ट न हों। लोन एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि बैंक के ब्याज के बेस रेट तथा आपको ऑफर किए जा रहे ब्याज की दर के बीच कितना अंतर है। कम शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रकार आप अपने घर को सजाने के लिए हर एक छोटी बात का ध्यान रखते हैं। वहां पर कौन सी चीज सही लगेगी, वहां कौन सा सामान रखना है। तो फिर उस घर को खरीदने में छोटी से छोटी बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए आवास ऋण लेते समय भी सभी बारीकियों पर ध्यान दें और अपने सपनों का घर खरीदें।



एस्क्रो अकाउंट



किशोर कुंभारे
सहायक महाप्रबंधक

रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी तेजी आती है तो कभी मंदी। यह क्षेत्र अनिश्चतता से परिपूर्ण है। यह देखा गया है कि मकान खरीदते समय जो वादे बिल्डर करते हैं वह असलियत में वह पूरे नहीं हो पाते हैं।

इस प्रकार के कई मामले आप को मिल जाएंगे जहां बिल्डर द्वारा क्रेताओं को धोखा दिया जाता है, समय पर मकान की डिलीवरी नहीं दी जाती है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और जितनी जगह प्रारंभ में पार्क आदि के लिए दिखाई जाती है उसमें भी कटौती कर दी जाती है। भारत सरकार ने इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए रियल एस्टेट रेग्युलेटरी बिल पास कराने की तैयारी कर ली है।

यहां यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में निवेश के लिए सुरक्षा और जोखिम आपस में जुड़े हुए हैं। संपत्ति खरीदने का फैंसला जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैंसला होता है। दीर्घकाल में अच्छा पैसा कमाने के लिए संपत्ति में निवेश सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि संपत्ति खरीदना अपने आप में काफी जटिलताओं से भरा हुआ है क्योंकि भारत जैसे देश में भूमि कानून काफी पैचीदे हैं।

आज उपभोक्ता अदालतों में ऐसे बेशुमार केस हैं जहां उपभोक्ता को बिल्डर ने समय पर मकान नहीं दिया है। होता यह है कि बिल्डर एक परियोजना की बुकिंग से प्राप्त धन को अपनी अन्य परियोजना या भूखंड खरीदने में लगा देते हैं और उस परियोजना का निर्माण कार्य या तो धीमा हो जाता है या लटक जाता है। इसके लिए कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं। खरीदार प्रत्यक्ष रूप से बिल्डर के फंड को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।

हालांकि यदि वह सुनिश्चित कर ले कि जिस बिल्डर के पास वह प्लैट बुक कराने जा रहे हैं वह उस परियोजना के लिए एक एस्क्रो अकाउंट का प्रयोग



कर रहा है या नहीं तो इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

दरअसल एस्क्रो अकाउंट एक बैंक अकाउंट है। जोकि किसी विशिष्ट उद्देश्य के इस्तेमाल के लिए निधियों को एकत्रित करता है। अगर बैंक द्वारा किसी

बिल्डर को परियोजना निर्माण के लिए लोन दिया जा रहा है तो अनिवार्य रूप से एक एस्क्रो अकाउंट खोलने का करार किया जाता है एवं इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक ट्रस्टी की नियुक्ति भी की जाती है। इस अकाउंट में लोन देने वाले बैंक के द्वारा बिल्डर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो भी बुकिंग का पैसा भावी विक्रेताओं से लिया जाएगा वह बैंक के माध्यम से इसी बैंक खाते के नाम से लिया जाएगा और इसी में जमा किया जाएगा। किसी भी दशा में किसी भी मकान की बिक्री बिना बैंक से एनओसी लिए नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लिखित होता है कि बिल्डर द्वारा उस अकाउंट में जमा की जाने वाली राशि का किस-किस काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। जिससे की एक परियोजना का पैसा बिल्डर द्वारा एस्क्रो अकाउंट से निकाल कर किसी दूसरी परियोजना में न लगा लिया जाए। अमरीका, ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया में एस्क्रो अकाउंट का प्रयोग काफी होता है, भारत में बिल्डरों के लिए एस्क्रो अकाउंट खुलवाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अब रियल एस्टेट रेग्युलेटरी बिल में एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी जारी दिशा-निर्देशों में एस्क्रो अकाउंट के बारे में स्पष्ट किया गया है।

जब किसी परियोजना से प्राप्त धन राशि का इस्तेमाल केवल उसी के निर्माण में किया जा सकता है तो बिल्डर को अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना पड़ता है और वह हेराफेरी नहीं कर सकता। ऐसे में यदि कोई बिल्डर अपनी किसी अन्य परियोजना के लिए भूमि खरीदना चाहे या वह अपनी किसी अन्य निर्माणाधीन परियोजना को पूरा करने के लिए उस धन राशि का प्रयोग करना चाहे तो वह तब तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि एस्क्रो अकाउंट खुलवाने के वक्त किए गए एग्रीमेंट में इस संबंध में लिखा न गया हो। इससे इतना सुनिश्चित हो जाता है कि यदि खरीदार ने बिल्डर के एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं तो बिल्डर उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संबंधित परियोजना के निर्माण में ही कर सकता है। इस प्रकार निर्माण अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहता है और खरीदार को घर वायदे के अनुसार समय पर मिल जाता है।

आमतौर पर ये फंड्स पहले से तय लक्ष्यों के पूरा होने के साथ-साथ जारी किए जाते रहते हैं। फंड्स का इस्तेमाल किस प्रकार हो इस मामले में भी पर्याप्त पारदर्शिता बरती जाती है। बैंकों के लिए इस व्यवस्था से यह भी लाभ है कि उन्हें लोन की किस्तें भी समय पर मिलती रहती हैं क्योंकि निर्माण में देरी नहीं होती है। स्पष्ट है कि एस्क्रो अकाउंट खरीदार और लोन देने वाले बैंक दोनों के लिए फायदेमंद है।

एस्क्रो अकाउंट का पता कैसे लगाया जाए यह भी एक बड़ी चुनौती है। चूंकि एक आप अपनी जिंदगी भर का पैसा लगा रहे हैं इसलिए यह जरूरी है कि आप बिल्डर से एस्क्रो अकाउंट की जानकारी लें। अगर बिल्डर द्वारा यह जानकारी नहीं दी जाती है तो अच्छा होगा कि आप ऐसे बिल्डर से सौदा न करें। यह देखा गया है कि यदि बिल्डर द्वारा फंड को किसी अन्य परियोजना में इस्तेमाल करने का संदेह होता है तो ही बैंक बिल्डर को एस्क्रो अकाउंट खुलवाने पर जोर देते हैं।

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी बिल के आने से पूरी संभावना है कि बिल्डर के लिए एस्क्रो अकाउंट खुलवाना अनिवार्य हो जाएगा और यह कदम खरीदार और बिल्डर दोनों के ही पक्ष में होगा क्योंकि एक तरफ खरीदार को सही समय पर अपना मकान निर्माण कार्य पूरा होने पर मिल जाएगा और वहीं दूसरी तरफ समय पर मकान का निर्माण पूरा करने पर बिल्डर की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और जन सामान्य का विश्वास रियल एस्टेट निवेश में बढ़ेगा।

जब नया मकान खरीदना हो



आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निवेश एवं कदम एक घर का क्रय करना है। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो मकान आप खरीद रहे हैं उसमें आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो जाए।

नया घर खरीदने वाले लोगों को घर खरीदते समय कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि बाद में उनको पछतावा न हो और उनकी जीवनभर की पूंजी लुट ना जाए।

यह देखा गया है कि अक्सर मकान खरीदने वाले उस सारी कागजी कार्रवाई से परिचित नहीं होते जो कि घर की खरीद की प्रक्रिया में पूरी करनी होती है। चाहे आप किसी जान-पहचान के व्यक्ति के माध्यम से घर खरीद रहे हैं या फिर दलाल से, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अगर आप को अपने अधिकारों तथा प्रतिबद्धताओं की पूरी जानकारी है तो यह पक्का है कि आप को कोई धोखा नहीं दे पाएगा। यह भी देखा गया है कि लालच में आकर कभी-कभी लोग विवादास्पद संपत्ति को खरीद लेते हैं और बाद में कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं और यही संपत्ति बाद में उनके जीवनभर का सिरदर्द बन जाती है। खरीददार को लगता है कि राजनीतिक दबाव बना कर या प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी की मदद से उसको नियमित या वैध करवा लेंगे, लेकिन असलीयत में ऐसा होता नहीं है और बाद में कोर्ट कचहरी का झंझट अलग से पड़ जाता है।

किसी भी संपत्ति का वैध खरीददार बनने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि करार दस्तावेज की सही प्रकार से जांच की जाए। क्योंकि कई बार देखा गया कि करार दस्तावेज ही नकली निकल जाते हैं। संपत्ति को खरीदने के वक्त कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। यदि कोई बिल्डर या विकासक अगर आप को शुरू में करार दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज दिखाने से मना कर दे तो उस संपत्ति को कभी नहीं खरीदना चाहिए। हर करार में साफ-साफ लिखा होता है कि आपने संपत्ति को देख लिया है और आप संतुष्ट होकर ही उस संपत्ति को खरीद रहे हैं। कई बार हम दलाल या बिल्डर की चिकनी चिपुड़ी बातों में आकर जल्द बाजी में करार को बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देते हैं और उसके बाद बिल्डर को दोष देने का सारा अधिकार खो देते हैं।

एक बार जब परियोजना पूरी हो जाती है तो बिल्डर को कम्प्लीशन सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है। किसी भी निर्माण के लिए संबंधित योजना प्राधिकरण से एनओसी लेना होता है। योजना प्रारंभ प्रमाण-पत्र, समाप्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण एवं चयन योजना, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षरित फ्लोर का क्षेत्र गणना शीट, कर अदायगी के दस्तावेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की योजना संबंधित दस्तावेज जरूरी है इसलिए आप समझ सकते हैं कि आक्यूपेशन प्रमाण-पत्र क्यों जरूरी है। किसी भी संपत्ति का कब्जा देते वक्त बिल्डर को संबंधित अधिकारियों/विभागों के पास सारी जानकारी भेजनी होती है। अधिकारी इसके बदले में एक ऑक्यूपेंसी या एनओसी जारी करते हैं जोकि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और संपत्ति खरीदते समय इसे देखा जाना बहुत जरूरी

अशोक कुमार
सहायक महाप्रबंधक



है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि जिस इमारत में आप रहने जा रहे हैं उसे स्वीकृत योजना के अनुसार तैयार किया गया है। यह भी नोट करें यदि आपके पास आक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको सीवरेज, जल आदि सुविधा नहीं मिल पाएंगी।

यह भी जरूरी है कि संपत्ति खरीदते समय देख लिया जाए कि आवासीय परियोजना को सार्वजनिक निकाय द्वारा स्वीकृत योजना मैप के अनुसार तैयार किया गया है। यदि स्वीकृत लेआउट के हिसाब से निर्माण नहीं किया है तो बाद में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक प्रतिष्ठित डेवलपर का नोएडा एक केस इस का ज्वलंत उदाहरण है। अगर आपके पास इस बारे में ज्यादा जानकारी सुलभ न हो तो किसी अच्छे वकील की मदद लेना श्रेयस्कर होगा।

अगर कोई संपत्ति कम दाम में मिल रही है तो उसमें भी सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा तो यह होगा कि विक्रेता यदि किसी वकील की मदद से उस



संपत्ति के बारे में निल इन्कंन्ब्रेस प्रमाण-पत्र हासिल करें ताकि भविष्य के किसी भी जोखिम की संभावना दूर हो सके। यह भी सलाह दी जाती है कि कई बार किसी प्रतिष्ठित बैंक या फाइनांस कंपनी से लोन लेना भी ठीक रहता है क्योंकि ये बैंक और कंपनियां लोन देने से पहले प्रापर्टी के टाइटल के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेते हैं क्योंकि लोन लेने वाले के द्वारा यही प्रापर्टी बैंक के पास बंधक रखी जाती है। अस्पष्ट स्वामित्व वाली संपत्ति पर बैंकों द्वारा लोन नहीं दिए जाते हैं। घर खरीदने में कभी उतावलापन नहीं दिखाएँ और न ही सस्ते के फेर में पड़ें। वैसे भी कहावत है कि सस्ता रोए बार-बार और महंगा रोए एकबार। अर्थात थोड़े महंगे दाम पर ही सही अपने सपनों का घर ठोक बजाकर ही लें।



जब करें डेवल्पर्स के साथ सौदा



रंजन कुमार बरुन
सहायक महाप्रबंधक

अगर आप पिछले 10 सालों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि देश के टीयर 2 और टीयर 3 क्षेत्र में भूसंपदा का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़े व्यवसायिक घराने इस क्षेत्र में पैसा लगा कर मुनाफा बना रहे हैं। यह भी देखा जा सकता है कि टीयर 1 और टीयर 2 में काफी नई आवासीय परियोजनाएं आ रही हैं उदाहरण के तौर पर यमुना एक्सप्रेस-वे के आस-पास के क्षेत्र में शुरू हुए कई आवासीय परियोजनाएं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है। आज लोगों में



प्राइम लोकेशन में जमीन या प्लैट खरीदने की इच्छा घर कर गई है। पिछले कुछ समय से यह भी देखा गया है कि लोग सोने की तरह जमीन, प्लैट आदि में निवेश कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें डेवल्पर्स से संपर्क करना पड़ता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक आम आदमी का मकसद भू-संपदा में निवेश कर मुनाफा कमाना है। इसके लिए यह जरूरी है कि आवासीय संपत्ति निवेश से पहले डेवल्पर्स का ट्रैक रिकार्ड देखा जाए। क्योंकि हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग डेवल्पर की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गए और मुनाफा कमाने के चक्कर में पैसे तो लगा दिया लेकिन उन्हें अपनी गलतियों के कारण लाखों रुपए गवाने पड़े।

वैसे देखा जाए तो किसी नए डेवल्पर से सम्पत्ति खरीदना उतना ही सुरक्षित हो सकता है जितना किसी प्रतिष्ठित व पुराने डेवल्पर से सौदा करना। कुछ जानकारों के अनुसार ऐसे सौदे में कुछ अतिरिक्त फायदे भी मिल सकते हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी नए डेवल्पर से सौदा करके मुनाफा कमा सकते हैं। अपनी रकम की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने की जिम्मेदारी आप पर ही होती है। इसके लिए

जरूरी है कि कुछ खात बातों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि पैसा जब आपका है तो ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा।

- ☞ कोई भी सम्पत्ति खरीदने से पहले डेवल्पर के बैकग्राउंड और उनके कामकाज की पूरी जानकारी प्राप्त करें। इसकी जरूरत तब और ज्यादा होती है जब डेवल्पर की परियोजना प्री-लांच स्टेज में हो या कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल शुरूआती दौर में।
- ☞ खरीद के वक्त किए गए करार के मुताबिक तय वक्त में सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिए खरीदारों को ऐसी परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए जिनके पूरा होने में कोई दिक्कत न दिख रही हो।
- ☞ अगर संभव हो तो पूरी तरह या लगभग तैयार हो चुकी परियोजनाओं में निवेश करें। इससे आपके पैसे के डूबने की संभावना न के बराबर होगी और कम समय में आप लाभ भी कमा सकते हैं।

यदि किसी आवासीय परियोजना को किसी बैंक या वित्तीय संगठन (प्राथमिक ऋणदाता संस्थान) से वित्तीय सहायता मिल रही होती है तो आप को मालूम होना चाहिए कि इसके लिए पहले ही अनुमोदन मिलता है और ऐसे मामलों में खरीददारों के लिए जोखिम कम हो जाता है। हमें



पहले से प्रतिष्ठित डेवल्पर से ही भू-संपत्ति खरीदनी चाहिए क्योंकि पहली बार परियोजना तैयार कर रहे डेवल्पर्स अप्रत्याशित समस्याओं से निपटने में उतने सक्षम नहीं होते हैं जितने पुराने डेवल्पर्स। क्योंकि कई बार देखा गया है परियोजना में लगने वाली लागत का सही आकलन नहीं होने से परियोजना रुक जाती है। हालांकि अगर डेवल्पर द्वारा बैंक से ऋण चरणबद्ध तरीके से ली जा रही है तो इसकी संभावना कम होती



है। ऐसे कई वाक्या हैं जिसमें एक आवासीय परियोजना का पैसा दूसरे परियोजना में लगा दिया गया इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।

संपत्ति खरीददार को यह भी पता कर लेना चाहिए कि वह जो जमीन खरीद रहा है वह अनाधिकृत तो नहीं है। भूखंड की वैधता की जानकारी के लिए कलैक्टर या अंचल कार्यालय से पता कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त डेवलपर के पास परियोजना के निर्माण के लिए अलग-अलग विभागों से मंजूरी जरूरी है। किसी भी परियोजना के लिए डेवलपर्स को करीब 40 से 50 तरह की मंजूरीयों की जरूरत पड़ती है। इनमें अग्निशमन से लेकर पर्यावरणीय विभाग तक से स्वीकृति शामिल है। परियोजना की ड्राइंग, इंटीमेशन ऑफ डिस्अप्रूवल जैसे अन्य दस्तावेज भी



जांच लेने चाहिए। सुनिश्चित कर लें कि सम्पत्ति को लेकर कोई कानूनी विवाद नहीं है और उसके आधार पर कोई कर्ज तो नहीं लिया गया है क्योंकि देखा गया है कि कई बार डेवलपर्स इन चीजों को छिपाने की कोशिश करता है ऐसे में यह हमारा दायित्व हो जाता है कि हम ऐसे मामलों की जांच पड़ताल कर लें। वरना ऐसे विवादास्पद संपत्ति पर पैसा लगाना कई बार घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है।

परियोजना के हर पहलू से संतुष्ट होने के बाद नागरिक निकाय ऑक्व्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओ.सी.) जारी करती है इसलिए इस दस्तावेज की मांग करना सबसे अधिक जरूरी है। विभिन्न दस्तावेजों के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर या सूचना के अधिकार की सहायता से जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा टाइटल और प्रूफ ऑफ राइट के दस्तावेज, सरकार से मंजूर बिल्डिंग प्लान, अदा किए गए प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, सिविक अथॉरिटी की ओर से जारी कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी के गिरवी न रखे होने की जानकारी देने वाला संबंधित सब-रजिस्ट्रार की ओर से जारी सर्टिफिकेट और ऑक्व्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसे कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज भी खरीदार को जांच लेने चाहिए।

सम्पत्ति का निवेशक या उपभोक्ता होने के नाते आपको देखना चाहिए कि करार आपके हिसाब से तैयार किया जाए। कई बार डिवैलपर इस करार में 'एक्सकेलेशन क्लॉज' डाल देते हैं। डिवैलपर से इसे हटाने को कहें। अगर यह रहेगा तो डिवैलपर बाद में कोई भी वजह बता कर सम्पत्ति का मूल्य बढ़ा या अन्य शुल्क लगा सकता है। डिवैलपर से परियोजना पूरी होने की निश्चित तारीख भी करार में लिखें। देरी होने पर इस डिवैलपर से हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है। करार में डिवैलपर की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाओं के जिक्र के अलावा अदायगी के तरीके, ऑक्व्यूपेंसी सर्टिफिकेट का विवरण तथा इमारत के बीमे की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

यहां यह भी आगाह किया जाता है कि जब करार पर निवेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं तो उससे पहले उसकी एक प्रति लेकर किसी अच्छे वकील से उसको जांचवाना भी अपेक्षित है क्योंकि बहुधा इस विषय में भी धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं। जो लोग डेवलपर्स के साथ सीधे सौदा करने में हिचक रहे हों वे होम लोन का विकल्प चुन सकते हैं। होम लोन आपको दोहरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक तो बैंक पहले ही अपने पैसे की हिफाजत के लिए जांच-पड़ताल पूरी कर चुका होता है। दूसरी तरफ जब वह आपको होम लोन देता है तो वह उससे पहले आपके रिकॉर्ड के साथ परियोजना के बारे में भी पूरी जांच पड़ताल कर लेता है। जिससे धोखे की संभावना समाप्त हो जाती है और आपका पैसा डूबने से बच जाता है। इसके अलावा वे निर्माण के चरणों में देरी होने या



परियोजना पूरी होने में देरी होने पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है और उन्हें बेवजह या डेवलपर्स की कमियों की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। इसलिए सौदा करने से पहले इस प्रक्रिया की सभी बारीकियों पर ध्यान दें और अपने निवेश की रक्षा करें।

हम यह आशा करते हैं कि आप आवास संपत्ति में निवेश करने से पहले उक्त बिंदुओं पर गौर करेंगे और चुनाव की जाने वाली संपत्ति का सावधानीपूर्वक चुनाव कर अपने मकान का सपना पूरा करेंगे।






घर और हिन्दी सिनेमा



ए.पी. सक्सेना
महाप्रबंधक

फिल्मों को समाज का दर्पण कहा जाता है। माना जाता है कि फिल्में वही दिखाती हैं जो समाज में घटित हो रहा होता है या फिर हो गया है। हिंदी सिनेमा की प्रशंसा और आलोचना करने वाले कई मिल जाएंगे और यही परंपरा भी है। लेकिन इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय सिनेमा ने भारतीय समाज और लोगों के सभी पहलुओं को बखूबी से दर्शाया है। वह चाहे परंपरा हो, कोई धारणा हो, धर्म हो या संप्रदाय या फिर लोगों के जीवन के विभिन्न पहलू। हमने



हमेशा हिंदी सिनेमा के धार्मिक संदर्भ, प्रेम, ईर्ष्या, सामाजिक कुरतियों, आतंकवाद, बाजारवाद पर बात की है। हिंदी सिनेमा ने जितनी बखुबी से इन सभी चीजों को दर्शाया है वह सराहनीय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा ने हमारे घर, "सपनों के घर" को भी अलग-अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। यह सच है कि घर की कमी, पूरी तरह घर पर केन्द्रित फिल्में नहीं बनी हैं लेकिन घर के संदर्भ से भारतीय सिनेमा शुरू से ही जागरूक रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और इसका सबूत है 1937 में आई फिल्म प्रेसीडेंट जिसमें प्रसिद्ध गायक एवं अभिनेता के.एल. सहगल ने काम किया था। फिल्म का एक गीत "एक बंगला बने न्यारा। रहे कुनबा जिसमें सारा। सोने का बंगला। चंदन का जंगला। विश्वकर्मा के द्वारा। अति सुंदर प्यारा-प्यारा" आज भी लोगों को याद है लेकिन अगर गौर से इस गाने को सुना जाए तो जहां एक ओर हमें एक घर कैसा हो इसके बारे में जानकारी मिलती है तो वहीं समाज उस समय घर के बारे में क्या सोच रखता था यह भी पता चल सकता है। इस गाने में जहां घर का वर्णन है वहीं एक ओर यह भी बताता है कि उस समय संयुक्त परिवार का चलन था।

इसके बाद 1953 में एक फिल्म आई थी "दो बीघा जमीन" यह फिल्म अपनी कहानी, विमल रॉय के निर्देशन और बलराज साहनी के अभिनय के कारण आज भी जानी जाती है और इसकी कहानी आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इस फिल्म में शंभु महतो (बलराज साहनी) किसान अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अपनी दो-बीघा जमीन पर निर्भर रहता है। लेकिन गांव का जमींदार उससे वह पाना चाहता है ताकि वह अपनी मिल वहां लगा सके। शंभु शहर जाता है पैसा कमाने लेकिन फिल्म के अंत में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उसकी जमीन उसे वापस नहीं मिलती। यह फिल्म वैसे तो औद्योगिकरण और किसान के बीच के संदर्भ की कहानी है लेकिन दरअसल वह किसान यह सब क्यों करता है, अपने घर और परिवार के लिए। इस फिल्म में किसान का अपनी जमीन के लिए संघर्ष दिखाया गया है। अर्थात एक किसान के लिए उसका घर, जमीन, परिवार कितना महत्व रखता है इसे इस फिल्म में दर्शाया गया है।

1972 में एक फिल्म आई थी "पिया का घर"। यह फिल्म वैसे तो नवविवाहित जोड़े की कहानी है। लेकिन इसमें फिल्म का अभिनेता मुंबई में रहता है जबकि अभिनेत्री छोटे से गांव से। फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बड़े शहरों में जगह की कितनी दिक्कत है। अभिनेता का पूरा परिवार एक कमरे के अपार्टमेंट में रहता है जिस कारण



उन्हें निजता नहीं मिल पाती। गांव में सब कुछ है लेकिन पैसे की कमी है। इन सबसे जूझते कैसे उन्हें अपना घर मिलता है यही है इस फिल्म की कहानी। जो यह संदेश देती है कि बड़े शहर तो हैं लेकिन वहां घर खरीदना इतना आसान नहीं है।

1977 में आई फिल्म "घरौंदा" को कौन भूल सकता है। अमोल पालेकर,



जरीना बहाब अभिनीत इस फिल्म में अभिनेता तीन अन्य लोगों के साथ किराए के मकान में रह रहा करता है। दोनों शादी से पहले अपना एक घर चाहते हैं। जिसके लिए वे एक-एक पैसा जोड़ते हैं। वे अपने बजट के अनुसार घर खोजने निकलते हैं। आखिरकार उन्हें एक फ्लैट मिलता है। वह खुश हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद बिल्डर का प्रोजेक्ट रद्द हो जाता है और निवेशकों के पैसे डूब जाते हैं। इस फिल्म की कहानी आज के समय में भी प्रासंगिक है। आज भी कई वाकिए ऐसे होते हैं जिसमें निवेशकों का पैसा डूब रहा है और कई बार तो लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं और इसके डूबने के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। फिल्म का गाना “दो दीवाने शहर में। रात में या दोपहर में। आवोदाना ढूंढते हैं। एक आशियाना ढूंढते हैं।” किसे याद नहीं है। यह गाना भी अपने आप में यह बताने की कोशिश करता है कि कैसे बड़े शहरों में लोग एक आशियाने के लिए दर-दर भटकते हैं।

1982 में आई फिल्म “साथ-साथ” भी कहीं न कहीं एक परिवार के घर के सपने को दर्शाती फिल्म है। फिल्म का गाना “ये तेरा घर ये मेरा घर” आज भी लोगों के जेहन में है। फिल्म के माध्यम से हिंदी सिनेमा ने समाज के हर एक मुद्दे को केवल गंभीरता से ही नहीं दर्शाया बल्कि कई बार हास्य फिल्मों के द्वारा भी इस पर कटाक्ष किया गया है। घर के मामले में मुझे जो फिल्म याद आती है वो है 2001 में आई फिल्म “ये तेरा घर ये मेरा घर”। जिसमें फिल्म का अभिनेता अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहनों की शादी के लिए शहर के अपने घर को बेचने का फैसला लेता है और वहां रह रहे किराएदार को घर छोड़ने को कहता है। इस किराएदार का भी अपना परिवार है। किराएदार घर खाली करने से मना कर देता है। जिस पर मकान मालिक उन्हें कानूनी तरीके से मकान खाली करवाने की कोशिश करता है।

अगर हम फिल्म की दृष्टि से देखें तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर इसे एक समस्या के रूप में देखें तो यह ऐसी कहानी है जो बड़े

शहरों में काफी देखने को मिल रहा है। किराया आवास के मकान मालिक और किराएदार दोनों तरफ से अविश्वास का माहौल उत्पन्न हुआ है। जहां कई मामलों में मकान मालिक को अपने ही घर को खाली करवाने में कानून का सहारा लेना पड़ रहा है तो कई मामलों में किराएदार को अचानक घर छोड़ने या फिर उसके सामान जब्त होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह फिल्म वैसे तो कॉमेडी थी लेकिन इसने ज्वलंत मुद्दे को उठाया था।

ऐसी कई और फिल्में बनी हैं जिसमें या तो एक घर की चाहत में पूरी जिंदगी बीत गई या फिर घरों में क्या दिक्कत होती है उन सभी पहलुओं को दर्शाया गया है। मसलन घर, घर-संसार, घर हो तो ऐसा, घर का सुख, घर एक मंदिर, पराया घर, छोटा सा घर, घर द्वार, मेरा घर मेरे बच्चे, घर-परिवार, स्वर्ग जैसा घर, घर-घर की कहानी, घर बसा के देखो।

भारतीय सिनेमा ने हमें बहुत कुछ दिया है, दिखाया है। वह चाहे गंभीर फिल्मों के माध्यम से हो या फिर हास्य के। घर हमेशा से हर व्यक्ति का सपना रहा है। ऐसे में भारतीय सिनेमा इस विषय पर चुप कैसे रह सकती थी। ऊपर दिए फिल्मों के उदाहरण इसी को दर्शाते हैं कि भारतीय सिनेमा ने समय के साथ बदलते घर और उससे जुड़ी चीजों को भी उतनी बखूबी से दर्शाया है जितनी बखूबी से अन्य विषयों को। आपको विश्वास नहीं होता। तो फिर हम आपको इस गाने के साथ छोड़ जाते हैं ताकि आप भी सोच सकें कि भारतीय सिनेमा ने घर के विषय में क्या किया है। इस गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं “लोगों के घर में रहता हूं। कब अपना कोई घर होगा। दीवारों की चिंता रहती है। दीवार में कब कोई दर होगा।” (यह लेख फिल्मों में घर जैसे संजीवा विषय को किस-किस तरह से प्रदर्शित किया है, उन संस्मरणों पर आधारित है। विषय वस्तु को सिनेमा के माध्यम से आपको अतीत के यादों में भ्रमण कराने का प्रयास है। लेखक इस विषय वस्तु को संग्रहित करने में सौरभ शेखर झा की सहायता की सराहना करते हैं।)





प्रकृति, संस्कृति और भाषा



सौरभ शेखर झा
पत्रकार एवं अनुवादक

एक दिन की बात है। काफी समय के बाद प्रकृति, संस्कृति और भाषा तीनों बहने मिली थी। काफी खुश थी तीनों। लेकिन यह खुशी उनके चेहरों पर दिख नहीं रही थी। वो तो बस इसलिए खुश थी कि बहुत दिनों बाद तीनों बहने मिली थी। तभी उनका इकलौता और प्यारा भाई जो उम्र में तो उनसे काफी छोटा था लेकिन उसमें समझ अपनी बहनों इतनी ही थी, वह आया। उसका नाम समाज था। वे सब एक-दूसरे से मिलकर काफी प्रसन्न थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो पहले वाली चमक नहीं थी और इन सबका कारण था प्रकृति का बेटा मनुष्य। हालांकि प्रकृति के कई बच्चे थे लेकिन संस्कृति और भाषा ने केवल मनुष्य को ही अपना ज्यादा प्यार दिया। समाज भी अपने इस भांजे को ज्यादा तबज्जो देता था। लाड़-प्यार का नतीजा यह हुआ कि मनुष्य की आदतें खराब होती चली गईं। जब वह बड़ा हुआ तो वह अपनी मां, मौसियों और मामा की इज्जत

हुआ तब से उसने बुद्धि के सौतेले भाई कुबुद्धि के कहने पर मुझे ही तोड़ने का बीड़ा उठा लिया है। विकास, भूमंडलीकरण और औद्योगिकरण ने न जाने क्या पिला दिया है, मनुष्य मुझे ही पाखंड, कुप्रथा का दोषी मानने लगा है। जबकि यह बात तो तुम लोगों को भी मालूम है कि पाखंड और कुप्रथा कितने दुष्ट और धूर्त लोग हैं, इन्होंने भी मनुष्य को बरगला कर ही मेरे यहां प्रवेश किया और अब जब मनुष्य को तीन नए दोस्त मिल गए हैं तो वह मुझे ही इन धूर्तों के लिए दोषी मानने लगा है और जहां-तहां मेरी बुराई करता फिरता है और कहता है कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना अपमान तो मेरा प्रकृति के बाकी बच्चों, जिनको मेरे सखा बुद्धि का वरदान प्राप्त नहीं है, उन्होंने भी नहीं किया। वो आज भी मेरे द्वारा बनाए गए नियमों पर चल रहे हैं और इतना कहते-कहते रो पड़ा।

यह देख तीनों बहनों से भी नहीं रहा गया वो भी रो पड़ी। फिर भाषा ने अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। भाषा बोली “दीदी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनुष्य ने मेरे साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। जब वह नहीं बोल पाता था तब तुमने ही उसे बोलना सीखाने को कहा और आज वो इतना बड़ा हो गया है कि मेरे से बिना पूछे ही बाहरी देशों के शब्दों को मुझ पर थोप रहा है। उसकी दलील है इससे मेरी समृद्धि बढ़ेगी और मैं सरल हो जाऊंगी। ये बात तो सही है कि विकास,

भूमंडलीकरण और औद्योगिकरण ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मैं भी मानती हूँ कि बाहरी शब्द अगर मेरे घर में आएंगे तो मेरी समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन तुम ही बताओ क्या मैंने अपने अंदर दूसरे देशों के शब्दों को समाहित नहीं किया है। अगर ऐसा न होता तो फिर तत्सम, तद्भव देश और विदेशज कैसे पैदा होते। आज मनुष्य ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ। उसे समझना होगा कि मेरी मौलिकता के साथ खिलवाड़ कर वह मुझे समृद्ध नहीं मुझ पर बोझ डाल रहा है जिसका नतीजा होगा, एक दिन मेरी मौत। मैं अपने मूल रूप में ही ठीक हूँ और मनुष्य मेरी इज्जत करे बस।”

करना तो दूर उनकी बातों पर भी गौर नहीं करने लगा। यही बात इन भाई-बहनों को खाए जा रही थी। आज सभी भाई-बहन मिले तो एक-दूसरे की व्यथा सुनने लगे।

सबसे पहले समाज ने कहना शुरू किया। समाज बोला “बहन, तुम लोगों को क्या बताऊँ, मनुष्य ने तो जीना हराम कर दिया है, मैंने कितने अच्छे तरीके से संस्कृति बहन के कहे अनुसार मनुष्य के लिए एक सभ्य और बेहतर संरचना तैयार की थी। शुरू में तो वह इसमें बहुत खुशी से रहा लेकिन जब से उसका वास्ता विकास, भूमंडलीकरण, औद्योगिकीकरण से

भाषा का इतना कहना ही था कि लपककर संस्कृति भी बोल पड़ी, “रहने दो दीदी, तुम भी किससे आशा कर रही हो। जिसने मुझे नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या इज्जत देगा। मैंने उसे संस्कार दिए उसे प्रकृति दीदी के बाकी बच्चों से एक अलग पहचान दी। मेरे कारण ही उसे सभ्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं घमंड नहीं करती। लेकिन दीदी ने तो केवल उसका भरण-पोषण किया। उसे जीने का ढंग सीखाने में मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा उस नालायक को आज इससे कोई मतलब नहीं





है। मैंने भैया समाज को भी तो ज्ञान दिया था वो कहां भूले उसे। लेकिन दीदी का ये नालायक बेटा इसने तो हद ही कर दी। मैं बताऊं इसको ऐसा बनाने में भूमंडलीकरण विकास और औद्योगिकीकरण का भी कम हाथ नहीं है। न जाने बाहर देशों से आए ये लड़के खुद को क्या समझते हैं, एक दिन मुझे कह रहे थे कि मैं समाप्त हो जाऊंगी। वो सभी काम किसी रोबोट नामक चीज से करने की बात कर रहे थे। मैंने इन नालायकों को मनुष्य को यह समझाते हुए भी सुना कि मैं विकास के बढ़ने में रोड़ा हूं अब तुम ही बताओ प्रकृति दीदी, क्या मनुष्य ने बौद्धिकता, मानवता, सत्य, अहिंसा, से दोस्ती कर जो ख्याति पाई वह उसे मेरे इन बच्चों के बिना मिल सकता था। मेरा इतिहास इतना व्यापक है, मैंने बाकी देशों की अच्छाई को भी अपने में समाहित किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि अच्छाई और ज्ञान जहां से भी मिले हमें उसे अपने अंदर समाहित कर लेनी चाहिए। मैंने हमेशा मनुष्य को प्रगति का रास्ता दिखाया है तो फिर मैं किसी के लिए रोड़ा कैसे बन सकती हूं। वो तो एक दिन ये भी योजना




बना रहे थे कि मनुष्य को लालच, भ्रष्टाचार, सेक्स, क्रोध आदि का ऐसा रसपान कराएंगे कि वह खुद ही मेरा अंत कर दे ताकि उन पर कोई आरोप न लगे। सुना है ये बाहर देश से आया विकास गरीबी-अमीरी की ऐसी रेखा खींचने वाला है जिसमें उगाने वाला गरीब और खाने वाला अमीर होगा। मुझे तो लगता है मनुष्य पर इसका असर होने लगा है। वो उनकी सहायता के लिए मुझे नष्ट करने पर तुला है।

प्रकृति ये सब बातें सुन रही थी। जब संस्कृति ने अपनी बात खत्म कर ली। फिर प्रकृति बड़े ही गंभीरता से बोली “बहनों तुमने तो उसको पाला है, लेकिन मैंने उसको जन्म दिया है। मैंने अपने सभी बच्चों में उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया। तुम लोगों को भी उससे ही प्यार करने को कहा। लेकिन उसने मुझे कौन-सा छोड़ दिया है। तुम लोगों को तो मिश्रित होने का ही खतरा है न, मैं तो हर रोज जल रहा हूं। विकास का नाम लेकर मेरा खुद का बेटा, अपने भाइयों एवं बहनों यथा मिट्टी, जंगल, पहाड़, पर्वत, झरना, नदी, पशु आदि को मारने पर तुला है। विकास के नाम पर

जंगल के जंगल नष्ट कर कंक्रीट के टीले तैयार कर दिए गए हैं, औद्योगिकीकरण ने अपनी गंदगी मेरी प्यारी बेटे नदी में इतना ज्यादा उड़ेल दी है कि वो जीवन दायनी से मृत्युदायनी हो गई है, उसके कोख में पल रहे बच्चे मर रहे हैं। जंगल हमेशा मुझसे शिकायत करता है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। अगर सच कहूं तो जितना नुकसान वो मेरा कर रहा है उतना किसी का नहीं।

और हां, ये विकास, औद्योगिकीकरण और भूमंडलीकरण को क्यों दोष देना। उनमें भी कुछ अच्छाइयां हैं। लेकिन हमारे बेटे ने उनसे केवल बुराइयां ली तो इसमें उनका क्या दोष। मनुष्य तो इतना उदंड हो गया है कि अपने भाईयों-बहनों तक को नहीं सहेज रहा है। जबकि मैंने उनकी जिम्मेदारी इसे दी थी। जब भी मैं कुछ कहती हूं तो वह उसे टाल देता है।

कोई बात नहीं। अगर वो ऐसे ही दूसरों के कहने पर करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उसका खुद का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो रही है, ओजोन सुरक्षा कवच टूट रहा है, नदियां तांडव रूप दिखा रही हैं, जंगल क्रोधित हो जल रहे हैं, भूकंप धरती को हिला रहा है, अगर जल्द ही मनुष्य ने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाया तो उसका विनाश निश्चित है। हम सब तो रहेंगे ही, वह समाप्त हो जाएगा। तभी बाकी बहनों और भाई बोल पड़ा “नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमने अपने गोद में उसे खिलाया है, हम उसके विनाश के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इस पर प्रकृति बोली “जो जैसा कर्म करता है, उसे उसका फल मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को या तो सुधरना होगा या फिर विनाश के लिए तैयार रहना होगा।



दीदी की यह बात सुन सभी भाई-बहन स्तब्ध रह गए और टकटकी लगा दीदी के लाल रक्त की तरह क्रोधित आंखों को देखने लगे।



हमारा पर्यावरण और हमारी भाषा



एस.के. पाढ़ी
उप महाप्रबंधक

आज की विडंबना देखिए। मनुष्य विकास के दौड़ में इतना मशगूल हो गया है कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि वह अपने पीछे क्या भूलता जा रहा है, क्या बिगाड़ता जा रहा है और किसे छोड़ता जा रहा है। एक ओर जहां हम भौतिक विकास के इस दौड़ में पर्यावरण को बिगाड़ते गए वहीं हमने भाषाई विकास दौड़ में अपनी भाषाओं का भी कोई भला नहीं किया है। बाजारवाद के चुंगल में हम ऐसे फंसते गए कि भाषाई विरूपता तो हमें दिखाई ही नहीं दी। लेकिन आज प्रायः भाषाओं का यही विलाप है कि वह अपने मूल रूप में नहीं है।

भाषा का केवल आपका जीभ, आपका मन या दिमाग नहीं होता है। भाषा किसी एक का नहीं बल्कि एक समुदाय का होता है। भाषा एक बड़े समुदाय का दिल और दिमाग होता है जो अपने आसपास और सुदूर के संसार को देखने, परखने का संस्कार अपने में बहुत ही सहज तरीके से संजो लेता है मानो वो सब उसके अपने हों। ये संस्कार वे होते हैं जो उस समाज की मिट्टी, हवा, पानी में अंकुरित होते हैं, पलते-बढ़ते हैं और जिस प्रकार पर्यावरण में पेड़ के पत्ते गिर कर भी प्रदूषण नहीं बल्कि खाद बन जाते हैं वैसे ही संस्कार भी अपने खराब हिस्सों को भी समय के साथ ठीक कर उन अवगुणों के रिक्त स्थानों को अच्छे गुणों से भर देता है और कभी भी खालीपन का एहसास नहीं होने देता है। पर्यावरण में जहां सूखे पत्ते खाद का काम करते हैं वहीं समाज में यह खाद असफलता होती है जिसके ठोकरो के अनुभव से भी समाज को कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है और वह इन असफलताओं से कुछ नया सीखता है।

लेकिन जिस प्रकार पेड़ के हर पत्ते एक समान नहीं रहते वैसे ही समाज में भी कई विचारों के लोग होते हैं जिनके विचार धीरे-धीरे बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से जब तक जंगल में बहुत अधिक कटाई नहीं होने तक हम नहीं जान पाते कि जंगल का कितना नुकसान हुआ है उसी प्रकार समाज में भी कुछ लोगों का परिवर्तन भाषा को कितना बदल चुका है इसे कई बार समाज के सजग माने जाने वाले लोग भी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि कहीं न ही आज हम त्रासदी का हवाई अवलोकन करने में मशगूल हो गए हैं इसलिए जमीनी हकीकत का पता लगाना आसान नहीं रह गया है और कुछ ऐसा ही हमारी भाषाओं के साथ भी हुआ है। जिस प्रकार आज पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा धीरे-धीरे करके बढ़ती जा रही है उसी प्रकार हमारी भाषा भी बाहरी शब्दों के खेप से प्रदूषित हो गई है। प्रदूषित इस अर्थ में कि भाषा को सरल बनाने के चक्कर में हम उसके साथ, उसके मौलिक शब्दों के साथ वैसे ही खिलावाड़ कर रहे हैं जैसा खिलावाड़ हमने अपने पर्यावरण के साथ किया है। आज दोनों की हालत कमोबेश एक जैसी ही है। दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और यह सब किया किसने। एक या दो नहीं बल्कि इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ा विलेन कौन है। कौन है जो दोनों का समान शत्रु बन कर उभरा है तो वो है

विकास। आप माने या नहीं माने लेकिन इस विकास ने जितना नुकसान पर्यावरण किया उतना किसी और ने नहीं किया। विकास नामक शब्द जैसे ही हमारे शब्दकोश में आया कि हम एकदम से अलग तरीके से व्यवहार करने लगे। कभी-कभी तो लगता है कि यह विकास एक साम्राज्यवादी ताकत है और हम इसके उपनिवेश। आज विकास के नाम पर जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। समाज जिस प्रकृति की पूजा करता था आज उस पर वश करना चाहता है। विकास का भूत हम पर ऐसा चढ़ा है कि हम उन जगहों को पिछड़ा कहने लगे हैं जहां से हमें खनिज, लौह-अयस्क मिल रहा है। आप एक बार सोच कर देखें कि जो जगह अपने को खाली कर इन बड़े शहरों को खड़ा कर रहा है जहां के लोग इन भवनों को खड़ा करने में अपना श्रम दे रहे हैं वे "पिछड़े" किस हिसाब से हैं। दरअसल यह नई परिभाषा कुछ मुट्टी भर लोगों के दिमाग का खुराफात है जिसे हम विकास के रथ में खुद को आगे दिखाने के चक्कर में भूल रह हैं। हमारा समाज इस विकास नामक शब्द के आने से पहले इतना संकीर्ण तो नहीं था।

जिस समाज की संस्कृति सबको साथ ले कर आगे बढ़ने की बात कहती रही हो वह अचानक से इतना कैसे बदल सकती है। दरअसल विकास को जब से हम बौद्धिक की जगह आर्थिक स्तर पर तौलने लगे हैं काम तभी से बिगड़ने लगा है। हमारे शहर जो पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते, जो खुद कुछ भी उगाते नहीं, जो उत्पादक नहीं बल्कि उपभोक्ता हो गए हैं वो किस विकास की बात कर रहे हैं यह तो समझ में नहीं आ रहा। आज आलम यह है कि कुछ मुट्टी भर लोग देश की देह को, उसके हर एक अंग का विकास करने में जुट गए हैं। ग्राम विकास की बात तो समझ में आती है लेकिन यह बाल विकास, महिला विकास क्या है भाई। खुद को समझे बिना, अपने समाज को समझे बिना उसका विकास कैसे हो सकता है यह तो समझ से परे की बात है। आज आलम यह है कि चाहे वे राजनैतिक दल हो या भी धार्मिक या सामाजिक संस्थाएं सभी इस विकास की नई परिभाषा को पूरा करने में लग गए हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस विकास की रेखा ने एक नई रेखा खींच दी है जो है गरीबी की रेखा। जो वैसे तो कहीं देखी या तय नहीं की जा सकती लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोगों के कमाल से यह खींची गई है चाहे वह किताबों में ही क्यों न हो। हां यह जरूरत है कि गरीब को अपने गरीब होने का एहसास हो या नहीं हो लेकिन यह रेखा उसे अपनी सीमा रेखा में रहने का ताना मारती रहती है और जिसका नतीजा है हर रोज बढ़ता अपराध का ग्राफ। समाज कभी भी कुछ मुट्टी भर लोगों से नहीं चला है और न ही चल सकता है और इसलिए हम विकास के नाम पर गांवों में रहने वाले आदिवासी लोगों को नजदअंदाज नहीं कर सकते हैं।

पर्यावरण की भाषा इस सामाजिक-राजनैतिक भाषा से थोड़ी भी अलग नहीं है। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के नाम पर जिस प्रकार से सराकरी हो या निजी विज्ञापन उनमें हिंदी के शब्दों और वर्तनी की स्थिति देखकर आपको क्या किसी को भी अचरज हो सकती है। सरलीकरण के नाम पर जिस प्रकार से हिंदी के साथ छेड़छाड़ की गई है वह कभी भी सही नहीं माना जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण और भाषा को उसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास करें वरना एक ओर जहां समाज को प्राकृति सूनामी का सामना करना पड़ेगा वहीं भाषाई सुनामी भी समाज को निगल जाएगी और पीछे रह जाएगा तो बस विकास के अवशेष।



जेठ की उजली दुपहरी थी। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लू के थपेड़े, घने पेड़ों के बावजूद, बदन पर आग की लपटों की तरह लपलपा रहे थे। इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज। दोपहर के इस घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज पेड़-पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी।

इस आवाज के सम्मोहन में ही मैं बाहर बगिया में निकल आया था और पेड़ के नीचे पड़ी खटिया पर पसर गया था। गौरैया चुप हो जाती तो लगता, पूरी कायनात धू-धू जल रही है, अभी सब कुछ जल कर राख हो जायेगा। गौरैया बोलती तो लगता, अभी प्रलय बहुत दूर है। पृथ्वी पर जीवन के चिह्न बाकी हैं।

लगातार एक जिज्ञासा हो रही थी कि क्या कह रही है यह गौरैया? पृथ्वी के अन्य प्राणियों की तरह थोड़ी देर सुस्ता क्यों नहीं लेती? मैं उसकी आवाज को लिपिबद्ध भी करना चाहता था, मगर वर्णमाला में उपयुक्त वर्ण नहीं मिल रहे थे। काफी देर तक इस उधेड़बुन में लगा रहा, जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मैंने यह कोशिश छोड़ दी और एक सीधा-सादा सरलीकरण स्वीकार कर लिया कि गौरैया 'हर-हर महादेव' कह रही है, गायत्री मंत्र का पाठ कर रही है। वेद की किसी ऋचा को याद कर रही है। नहीं, यह सरासर बकवास है। यह तुम्हारे भीतर का हिन्दू बोल रहा है। दरअसल गौरैया कह रही है - अल्लाह-ओ-अकबर, नारा-ए-तकबीर...। अल्लाह अल्लाह की रट लगाए हुए है गौरैया। नहीं, चिड़िया कह रही है - वाह गुरुजी का खालसा, वाह गुरुजी की फतेह। खालिस्तान की माँग कर रही है यह गौरैया। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं।

वास्तव में वह अपने प्रेमी को पुकार रही है। थक गयी है, उसे बूटे-बूटे और पत्ते-पत्ते पर खोज कर। अब निराश हो कर इसी पेड़ की किसी शाख पर बैठी है और उसे पुकार रही है। मालूम नहीं, कुछ खाया है कि नहीं। कहीं भूखी तो नहीं है यह गौरैया? कहीं आरक्षण के प्रश्न पर अनशन पर तो नहीं बैठ गयी? जानना जरूरी है कि कहीं आत्महत्या का निश्चय तो नहीं कर बैठी? उड़ते-उड़ते कहीं से घल्लूधारा का नाम तो नहीं सुन आई? जब इंसानों के दिल में तरह-तरह की खुराफातें जन्म ले रही हों तो ये पेड़-पौधे, जीव-जन्तु उससे कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। ये भी तो उसी वातावरण के अंग हैं, जहाँ लू से भी तेज चिलचिला रही है साम्प्रदायिकता, दुकानों-मकानों की छतों पर छोटी छोटी पताकाओं के रूप में फहरा रही है साम्प्रदायिकता, इशितहारों की शकल में दीवारों पर चस्पां कर दी गयी है साम्प्रदायिकता। इस जहरीले माहौल में यह नहीं सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है। मगर इसकी आवाज सुन कर आभास होता है कि वह अभी इस संक्रमण से मुक्त है।

थोड़ी देर तक गौरैया की आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक मेरी नजर खपरैल पर गयी तो मैंने देखा, गौरैया खपरैल के नीचे बल्ली पर बैठी है। न जाने कब से वह एक नन्हा-सा घोंसला बनाने में व्यस्त थी। इस वक्त भी उसकी चोंच में सूखी घास का एक तिनका था।

घास नहीं, यह रामशिला है। यह घोंसला नहीं, राममन्दिर के निर्माण में संलग्न है, सियाराममय सब जग जानी। अचानक मस्जिद से अजान के

स्व. रवींद्र कालिया



स्वर उठे तो मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं भी जूनून में क्या-क्या सोचता चला जा रहा था। मुझे याद आया, इस इमारत के ठीक पीछे मस्जिद है और सामने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमानजी का मन्दिर। इस समय जहाँ मैं बैठा था, वहाँ से सामने देखने पर मन्दिर का कलश और पीछे देखने पर मस्जिद का गुम्बद दिखाई देता है। अगर मैं पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाऊँ तो कह सकता हूँ बायें मन्दिर है और दायें मस्जिद। बीच में मेरा घर है। गौरैया ने भी बहुत समझदारी का परिचय देते हुए ठीक मन्दिर और मस्जिद के बीच अपने नीड़ के लिए स्थान चुना था। वरना कौन रोक सकता था इसे मन्दिर के किसी झरोखे अथवा मस्जिद के किसी वातायन में अपने लिए छह इंच जगह का जुगाड़ करने से। मगर नहीं, गौरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। मैं देर तक उसे नीड़-निर्माण के कार्य में संलग्न देखता रहा। वह तिनके खोज कर लौटती, कुछ देर सुस्ताती, दो एक बार अपनी कोयल जैसी सुरीली कूक से सन्नाटा तोड़ कर ईंट गारा की तलाश में फिर गायब हो जाती। क्यों बना रही है वह अपने लिए एक सुंदर नीड़? अभी तक कहाँ रह रही थी? अपनी सुहाग की सेज तैयार कर रही है अथवा प्रसूति गृह का निर्माण, अनेक प्रश्न मन में उठ रहे थे।

अगले दिन सुबह देखा, उसका घोंसला बन कर तैयार था। अब वह बाकायदा इस ढा र क ी



सदस् य ा हो गयी थी। अब उसका पता भी वही था, जो मेरा पता था। वह बेखटक अपने प्रेमी से पत्राचार कर सकती थी। अपना राशनकार्ड बनवा सकती थी। अपना वोट बनवा सकती थी अथवा पहचान पत्र। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गयी। एक दिन तो रोशनदान पर आ बैठी और मुझे जवाब तलब कर लिया, आज बाहर क्यों नहीं आये। मेरे सामने बैठ कर सिगरेट क्यों नहीं फूँके।

'अच्छा बाबा आता हूँ, तुम राग शुरु करो। मैं आता हूँ।' मैंने कहा।



दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा था। अपनी एक सप्ताह की मित्रता में ही उसने मुझे राग-भैरवी से ले कर राग जै जैवन्ती तक सुना डाले।

मैंने महसूस किया, इसकी आवारागर्दी कुछ कम हो गयी है। हमेशा अपने नीड़ में नजर आती। एक दिन सुबह तो मैं खुशी से पागल हो गया, जब मैंने देखा, उसके अगल-बगल दो नर्हीं गौरैया और बैठी थीं। घर में उत्सव हो गया। नये सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। घर जैसे सोहर गाने लगा : भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशलया हितकारी... बारो घी के दिये... सतगुरु नानक परगटिया...

गौरैया के बच्चे पूरे परिवार के सदस्यों के संरक्षण में पलने लगे। उनकी छोटी से छोटी हरकत पर चर्चा होती। एक दिन पता चला, गौरैया सुबह से गायब है और बच्चे अकेले पड़े हैं। दोपहर को बाहर गया तो देखा, गौरैया अभी तक नहीं लौटी थी।

दोनों बच्चे टुकुर-टुकुर मेरी ओर निहार रहे थे, जैसे माँ की शिकायत कर रहे हों। मैं उनकी मदद करना चाहता था, मगर समझ नहीं पा रहा था, इस वक्त इन्हें किस चीज की जरूरत है। शाम हो गयी, गौरैया नहीं लौटी। मैं चिन्तित हो उठा, क्या होगा इन बच्चों का? कौन कराएगा इन्हें भोजन? ये तो अभी उड़ान भी नहीं भर सकते। यह गनीमत थी कि गौरैया ने काफी ऊँचे स्थान पर अपना नीड़ बनाया था, वरना बिल्ली अब तक इन्हें डकार चुकी होती। मैंने कई बार बिल्ली को इन बच्चों की ओर हसरत भरी निगाहों से ताकते देखा था। बिल्ली थोड़ी देर उछल कूद भी मचाती थी, मगर ये बच्चे उसकी पहुँच के बाहर थे, थक हार कर वह लौट



जाती।

गौरैया को नहीं आना था, नहीं आई। मैंने रात को भी कई बार टॉच जला कर देखा, दोनों बच्चे चुपचाप अकेले बैठे थे। शायद सोच रहे थे, कहाँ रह गयी उनकी माँ, कहाँ रास्ता तो नहीं भटक गयी? वे कब तक भूखे प्यासे पड़े रहेंगे?

कल तक जिस गौरैया पर मुझे लाड़ आ रहा था, आज मैं उससे बेहद नाराज था। मैंने उसकी छवि एक ममतामयी माँ के रूप में देखी थी। मेरी कल्पना में भी नहीं था कि वह अपने नन्हें मुन्नों के प्रति इस कदर निर्दयता और क्रूरता दिखाएगी। इस समय मैं इतने क्रोध में था कि वह सामने पड़ जाती तो एक-दो झापड़ रसीद कर देता। ढाढ़स बँधाने के लिए मैंने बच्चों को पुकारा। अँधेरे में पुचकार सुन कर बच्चों ने पंख

फड़फड़ाए। मैंने घोंसले में लाई चने के कुछ दाने फेंक दिए और आ कर खिन्न मन से लेट गया।

‘अब सो जाओ चुपचाप। एक चिड़िया के पीछे पागल हो रहे हो।’ पत्नी ने कहा, ‘हो सकता है, वह बीच में किसी समय बच्चों को खिला पिला गयी हो।’

‘नहीं, वह आई ही नहीं। बच्चे भूख से निढाल पड़े हैं।’ मैंने पत्नी को बताया, ‘घोंसले में लाई-चने डाल आया हूँ। शायद चुग लें।’

‘जाओ, बोटल से दूध भी पिला आओ।’ पत्नी ने व्यंग्य से कहा और करवट बदल ली।

‘सब औरतें स्वार्थी होती हैं, गौरैया की तरह।’ मैंने जलभुन कर जवाब दिया और आँखें मूँद लीं।

सुबह जब नींद खुली तो मैं आँख मलते हुए घोंसले की तरफ लपका। यह देख कर संतोष हुआ कि गौरैया दोनों बच्चों के बीच एक गर्वीली और समझदार माँ की तरह बैठी थी और बारी-बारी से दोनों बच्चों की चोंच में अपनी चोंच से कुछ खिला रही थी। मैं भी कुर्सी डाल कर बैठ गया और देर तक माँ बच्चों का लाड़-प्यार देखता रहा। बच्चों के प्रति आश्चर्य हो कर मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर होते-होते गौरैया ने चहचहाना शुरू कर दिया और उसने पूरी बगिया जैसे सिर पर उठा ली। मगर मुझे मालूम नहीं था, दोपहर बाद मुझे एक और आघात मिलने वाला है।

शाम को जब बाहर निकला तो पाया, घोंसले से न केवल गौरैया गायब थी, बल्कि एक बच्चा भी लापता था। सहमी हुई छोटी गौरैया अकेली बैठी थी। मुझे आशंका हुई, कोई चील तो झपट्टा मार कर बच्चे को उठा कर नहीं ले गयी? मगर यह संभव नहीं लग रहा था। घोंसले के ऊपर खपरैल का रक्षा कवच था। चील की नजर ही नहीं पड़ सकती इस नीड़ पर। फिर कहाँ गयीं दोनों गौरैया? मुझे ज्यादा देर परेशान नहीं रहना पड़ा। छोटी गौरैया रबर प्लांट के नीचे बैठी थी। मैं उसकी ओर बढ़ा तो वह उड़ कर मुँडेर पर जा बैठी। वहाँ से उड़ान भर कर अनार के पेड़ पर उतर आई। वह रह-रह कर छोटी-छोटी उड़ाने भर रही थी। साफ लग रहा था, वह उड़ने का आनंद ले रही है, अपनी क्षमता से खुद ही रोमांचित हो रही है। प्रत्येक उड़ान में वह छोटा-सा सफर तय करती। फिर वह चिड़ियों के झुण्ड में शामिल हो गयी। उनके बीच वह राजकुमारी लग रही थी। चिड़िया चुग रही थी और उनके बीच वह गर्दन उटाए बड़ी शान से बैठी थी, जैसे प्रत्येक चिड़िया को उसका संरक्षण प्राप्त हो।

‘तुम भी कुछ चुग लो। तुम्हें क्या चुगना नहीं आता?’ मैंने कहा, ‘खुद खाओ और अपनी बहन को भी खिलाओ।’


गौरैया ने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और जा कर घोंसले में स्थापित हो गयी। अब दोनों गौरैया सट कर बैठी थीं और एक दूसरे की ओर टकटकी लगा कर देख रही थीं। बड़ी गौरैया जैसे किसी मूक भाषा में अपनी प्रथम उड़ान का अनुभव बयान कर रही थी। अब वह भला घोंसले में क्यों बैठी, थोड़ी ही देर में वह वहाँ से फिर गायब हो गयी। अब माँ बेटे दोनों गायब थी। मैंने बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की मगर दोनों का कुछ अता पता नहीं था।



‘आवारा निकल गयी।’ मैंने घोंसले में बैठी गौरैया की तरफ देखते हुए कहा, ‘तुम्हारी माँ और बहन दोनों आवारा निकल गयीं। किसी का डर नहीं रहा उन्हें। दोनों आवारागर्दी पर निकली हुई हैं। अब लौट के आँ तो बात मत करना उनसे। कुट्टी कर लेना। उन्हें देखते ही मुँह फेर लेना।’ देर रात तक दोनों गायब रहीं। मैं कुछ ऐसे परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटी घर से गायब हों। गौरैया की आवारागर्दी का तो मुझे एक रोज पहले ही आभास हो चुका था, उस नन्हीं गौरैया के व्यवहार से मैं बहुत क्षुब्ध था, जिसे पैदा हुए अभी जुम्मा-जुम्मा चार दिन भी न हुए थे।

‘इसी को कहते हैं, पर निकलना। नये-नये पर निकले हैं न, इसी का गुमान है।’ मैंने मन ही मन कहा। बाहर जा कर फिसड़ी गौरैया की भी खबर नहीं ली। गौरैया के पूरे खानदान से मेरी अनबन हो गयी थी।

सुबह तक फिसड़ी गौरैया के भी पंख निकल आये थे। वह अपने अकेलेपन से एकदम अनभिज्ञ थी, बल्कि लग रहा था अपने अकेलेपन से प्रसन्न है। वह बार-बार घोंसले से उतरती और रबर के चौड़े पत्ते पर बैठने की कोशिश करती, मगर ज्योंही पत्ते पर बैठती, पत्ता झुक जाता



और वह फिसल जाती। हर बार वह गिरते-गिरते रह जाती। कुछ देर घोंसले में विश्राम करती और दुबारा इसी खेल में लग जाती।

‘मूर्खा, पत्ते पर नहीं, डाल पर बैठो।’ मैंने उससे कहा। उसने मेरा परामर्श नहीं माना और फिसलने का अपना खेल जारी रखा। दोपहर तक वह गमलों के बीच फुदकने लगी।

‘लगता है इसके भी पर निकल आये हैं।’ मैंने कहा।

वह जिस प्रकार निश्चिंततापूर्वक नीचे गमलों के बीच चहलकदमी कर रही थी, मुझे लगा, इसे बिल्ली का शिकार बनते देर न लगेगी। मैं देर तक उसकी रखवाली करता रहा। न उसे अपनी चिन्ता थी, न माँ-बहन को उसकी चिन्ता। इन चिड़ियों को मुफ्त का चौकीदार जो मिल गया था। मैं बुदबुदाया। जब तक वह घोंसले में नहीं लौट गयी, मैं बगिया में बैठा रहा। मन ही मन मैंने तय कर लिया था, इन चिड़ियों पर और समय नष्ट नहीं करूँगा। नादाना और बेवफाई इनकी रग-रग में भरी है। पहले ये अपनी आवाज से रिझाती हैं, हरकतों से सम्मोहित करती हैं, उसके बाद पर निकलते ही बेवफाई पर आमादा हो जाती है। मैंने तय किया आज दोपहर को बाहर नहीं जाऊँगा।

शाम को हस्बेमामूल जब मैं निकला तो देखा, घोंसला खाली पड़ा था।

उसमें चिरई का पूत भी नहीं था। मैंने तमाम पेड़-पौधों पर नजर दौड़ाई, पत्ता, बूटा-बूटा छान मारा, गौरैया परिवार का नाम निशान नहीं था। मुझे ज्यादा आघात नहीं लगा, क्योंकि मैं मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुका था कि यह अन्तिम गौरैया भी मुझे धता बता कर गायब होने वाली है। मैंने राहत की साँस ली और फूलों पर मँडराती तितलियों का नृत्य देखने लगा। बीच-बीच में मैं गमलों के बीच भी निगाह दौड़ा लेता कि कहीं कोई गौरैया मुझसे लुकाछिपी न खेल रही हो। थोड़ी देर बाद मेरी दृष्टि मन्दिर के कलश पर पड़ी तो मैं देखता रह गया। गौरैया का पूरा परिवार वहाँ बैठा था – निर्द्वंद्व! निश्चिन्त! प्रसन्न। थोड़ी-थोड़ी देर में उनकी चोंच-से-चोंच मिलती और अलग हो जाती। उनकी आजादी से मुझे ईर्ष्या हो रही थी। तीनों अत्यंत मौज मस्ती में वहाँ बैठी पिकनिक मनाती रहीं।

पत्नी पास से गुजरी तो मैंने उसे रोक लिया, ‘वह देखो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तीनों आजाद पंछी की तरह इत्मीनान से मन्दिर के कलश पर बैठी हैं।’

‘कितना अच्छा लग रहा है, तीनों को एक साथ देख कर।’

‘जानती हो, मन्दिर के कलश पर क्यों बैठी हैं?’

‘क्यों बैठी हैं?’ ‘क्योंकि इन्होंने एक हिन्दू के घर जन्म लिया है। कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं। यह अकारण नहीं है कि विश्राम के लिए इन्होंने मन्दिर को चुना है।’

‘फितूर भर लिया है तुम्हारे दिमाग में।’ पत्नी बिफर गयी, ‘अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, तीनों मस्जिद के गुम्बद पर बैठी थीं। अजान के स्वर उठे तो मन्दिर पर जा बैठीं। लाउड-स्पीकर का कमाल है यह।’

मैं निरुत्तर हो गया। मन्दिर में आरती शुरू हुई तो तीनों अलग अलग दिशा में उड़ गयीं। थोड़ी देर बाद तीनों बगिया में उतर आईं। उस दिन



से आज दिन तक उन्होंने घोंसले की तरफ मुड़ कर भी न देखा था।

बहरहाल, गौरैया मुझे भूली नहीं। दिन में एक-दो बार बगिया में दिखाई दे जाती, कभी एक और कभी तीनों। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है इन्हें यहाँ? जन्मभूमि नाम से ही मुझे दहशत होने लगी। मगर मुझे विश्वास है, यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि यहाँ एक चिड़िया ने जन्म लिया था, भगवान ने नहीं।



बेटियों को यहां जगह क्यों नहीं?



सौरभ शील
उप महाप्रबंधक

हमेशा से कहा जाता रहा है कि भारत में पितृसत्तात्मक समाज रहा है। लेकिन इस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। आज भी उत्तर-पूर्व के कई समाज, भारत में रहने वाले आदिवासी समाज की कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि यह देश हमेशा से शक्ति का उपासक रहा है। शक्ति अर्थात् औरत। यह पितृसत्तात्मकता तो बाद के समय की परिकल्पना है। लेकिन यह भी उतना ही सम है कि इस समाज में औरतों का सम्मान या तो केवल इतिहास, वेद, पुराण में रह गया है या फिर देश में कुछ मुट्ठी भर समाज के बीच। लेकिन पिछले कुछ दो-तीन वर्षों में जैसे हमारी अन्नपूर्णा खुद उपभोग की वस्तु बन गई है। कुछ चिंता पैदा करती है। उस पर से समाज की कुछ प्रथाएं जिसमें लड़कियों का पैदा होना ही सिर दर्द बना दिया है। फिर हमारी सोच जो हमेशा से औरत को मर्दों से कम मानने लगी है। लेकिन अगर आप वेद, पुराण और इतिहास उलट कर देखें तो ऐसी बात है ही नहीं। जब महिषासुर को कोई देवता नहीं मार पाए तो उन्हें मां दुर्गा की सहायता लेनी पड़ी। जब सारे राजा अंग्रेजों से हार रहे थे तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवा दिए। जब संसार को अन्न की कमी हो गई तो मां पार्वती ने ही अन्नपूर्णा बन कर समाज का भरण-पोषण किया। ऐसे में समाज में औरतों को लेकर ऐसी भावना का उपजना की वह कुछ नहीं कर सकती है कितना न्यायोजित माना जा सकता है।

समाज में बिगड़ते लिंगानुपात के लिए हम चाहें जितना विज्ञान और तकनीक को कठघरे में खड़ा करें। सरोगेसी और अल्ट्रासाउंड मशीनों ने लोगों को वह सुविधा दे दी है कि अपने बच्चे के लिंग का चयन कर सकें, उसके लिंग का पता लगा सकें और यदि वह बेटा है, तो उसे गर्भ में ही मारने के प्रबंध कर सकें। हो सकता है कि भविष्य में डीएनए तकनीकों के सहारे लोग अपनी इस सोच के मुताबिक कि उन्हें बेटा ही चाहिए, गर्भ में ही बच्चे को डिजाइन भी करवा लें। लेकिन गर्भ की विकृतियों का पता लगाने के मकसद से अल्ट्रासाउंड मशीनों का जो इस्तेमाल दुनिया में शुरू हुआ था, उसके बारे में तो शायद उसके आविष्कर्ताओं ने भी नहीं सोचा होगा। खास तौर पर भारत में इन मशीनों का ऐसा खराब इस्तेमाल हो रहा है कि अदालतों से लेकर समाज को लेकर चिंतित हर शख्स को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि बेटियां कहां हैं? इधर यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्य सरकारों से पूछा है जिन्होंने हर तीन महीने में बेटियों के जन्म पंजीकरण की रिपोर्टें केन्द्र सरकार की संबंधित कमेटी को नहीं भेजी है। अदालत का आदेश है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्य ऐसी अनुपालन रिपोर्टें केन्द्र सरकार की कमेटी को नियमित अंतराल पर भेजें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी प्रसंग में अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि देश में जो लिंगानुपात 970 के आस-पास था, वह 2011 की जनगणना में घट क्यों गया? इस जनगणना

के अनुसार, 2011 में लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या 940 थी। अदालत का सवाल था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों?

निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है, वह भी राज्यों से लेकिन कहीं न कहीं यह समाज से भी पूछा गया सवाल है क्योंकि लिंग परीक्षण को अपराध घोषित करने वाला कानून तो अदालत और सरकार की ही देन है। इसी कानून के तहत कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिंग परीक्षण को अपराध घोषित कर रखा है। वह बात अलग है कि इस कानून पर सख्ती से अमल में लापरवाही के कारण देश भर में अल्ट्रासाउंड जांच करने वाले क्लीनिकों का धंधा जोरों पर चल रहा है। ये क्लीनिक गर्भ की जांच की आड़ में चोरी-छिपे यह सच जानने और बताने का काम करते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटा। और यदि बेटा है, तो उन्हें असल में करना क्या है। यह कानून अमल में आने के दशक भर बाद तक तो किसी को इन मामलों में पकड़कर सजा तक नहीं दी गई, जबकि इस बीच गर्भ में ही लाखों कन्या भ्रूणों को नष्ट करने की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती रहीं। माना जाता है कि देश में करीब 50 लाख बेटियों की बलि चढ़ने के बाद इतिहास में पहली बार गर्भ में लिंग परीक्षण करने के दोषियों को वर्ष 2007 में सजा दी गई। हरियाणा के पलवल में एक क्लीनिक चला रहे डॉक्टर और उसके सहायक को दोषी मान कर हरियाणा की एक अदालत ने सजा सुनाई थी। उन्हें अपने क्लीनिक में भ्रूण की लिंग जांच करते हुए अक्टूबर, 2001 में रंगे हाथों पकड़ा गया था।

यह उम्मीद भी की गई कि इससे हमारा समाज कुछ सबक लेगा और लैंगिक अनुपात में आये भयावह अंतर के सिलसिले पर कोई रोक लग सकेगी। लेकिन पकड़ में आने वाले मामले इतने कम हैं कि उससे इस अपराध के प्रति लोगों में कोई भय नहीं पैदा हो सकता है। यही वजह है कि



हमारा समाज बेटियों के साथ जो कुछ घृणित काम हो सकता है, वह कर रहा है। जैसे बताया जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में अस्पतालों में लगातार बेटों का ही जन्म होता है। यह सिलसिला इसलिए सतत् जारी है, क्योंकि भ्रूण के लिंग की जांच का काम न सिर्फ बेहद आसान है, बल्कि इसमें किसी के फंसने की आशंका बेहद न्यूनतम है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे समृद्ध राज्यों में अगर कन्या भ्रूण हत्याओं के आंकड़े में सतत् बढ़ोत्तरी हो रही है, तो इसकी मुख्य वजह संबंधित लोगों का पकड़ा नहीं जाना, सबूतों का अभाव होना, न्यूनतम



खतरे के साथ अत्यधिक लाभ की संभावना होना और दोनों पक्षों (भ्रूण की जांच कराने आए अभिभावक और चिकित्सा तंत्र) की मिलीभगत होना है। यह भी माना जा रहा है कि भ्रूण के लिंग की जांच के काम ने देश में एक वृहद व्यवसाय का रूप ले लिया है। अगर यह अनुमान लगाया जाए कि हर साल 10 से 15 हजार की फीस के बदले लगभग पांच से सात लाख कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं तो इस कारोबार की व्यापकता का पता चलता है। ऐसे में, स्वाभाविक है कि डाक्टर इन खास, मकसदों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों का दुरुपयोग तब तक नहीं रोक सकते, जब तक कि ऐसा काम करने वालों की भारी संख्या में धरपकड़ नहीं होती और उन्हें कड़ी सजाएं नहीं दी जाती हैं। हमारे देश में दस-बीस बरसों में कन्या भ्रूण हत्याओं का घातक ट्रेंड स्थापित हुआ है। सभी जानते हैं कि लैंगिक अनुपात में आई इस घनघोर तब्दीली के सामाजिक-आर्थिक नतीजे बेहद डरावने हो सकते हैं, पर शायद ही कोई सबक लेने का इच्छुक है। हालांकि आदर्श स्थिति तो यह है कि समाज में बेटे और बेटियों की संख्या बराबर हो, लेकिन प्रति एक हजार बेटों पर 940-950 बेटियों की मौजूदगी को समाजशास्त्री भी व्यावहारिक मानने लगे हैं। 1991 की जनगणना में



प्रति हजार बेटों पर बेटियों की संख्या 945 थी, जो 2001 में 937 रह गई थी। 2011 की जनगणना में इस औसत में बेहद मामूली सुधार ही दिखाई दिया।

इस राष्ट्रीय औसत के भीतर कई राज्यों के चौंकाने वाले आंकड़े भी छिपे हुए हैं। जैसे पंजाब में बेटियों का औसत 800 से भी नीचे पहुंचे हुए अरसा हो गया। देश का सबसे खुशहाल राज्य ऐसे आंकड़ों के लिए फोकस में आ चुका है। इसके बाद ही भ्रूण परीक्षण पर रोक के लिए कानून बने हैं और अकाल तख्त जैसी धार्मिक संस्था ने समाज को राह पर लाने की कोशिश की है। ये आंकड़े इस बात की घोषणा करते हैं कि सपन्नता से साथ-साथ बेटियों की गर्भ में ही हत्याओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अमीरी और बेटियों की गुमशुदगी के बीच जो प्रतिकूल रिश्ता बन गया, वह बेहद चिंताजनक है। इसका एक अर्थ यह है कि सपन्नता सदियों पुराने लैंगिक भेदभाव को हकीकत में बदलने का जरिया बन गई है। यह पुत्र मोह की सामंती चाह का विस्फोट है, जो बताता है कि आधुनिक रहन-सहन, पब-बार, फैशन-हॉलीवुड, आईटी-आईआईटी और कार-मोबाइल के बावजूद हम सदियों पहले की किसी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहां बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। न हमारे दिलों में और न ही समाज और उसके विकास में उन्हें भागीदार बनाकर उन्हें भी जीने का बराबर हक

दिलाने में। बेटियों के खिलाफ निपट आक्रामकता रखने वाला ऐसा समाज तो शायद पहले कभी नहीं था। क्या 21वीं सदी में विकसित राष्ट्र का हमारा सपना हमसे बेटियों को बलि मांग रहा है? लेकिन हम कहीं यह तो नहीं भूल रहे कि विकसित होने के लिए रथ में दो पहियों की जरूरत होती है और हम सब पहिए को कमजोर कर रहे हैं। लड़कियों को पीछे रखकर हम किस विकास की बात कर रहे हैं। कई विद्वानों ने जिस आश्चर्यजनक तेजी की बात कही है हम उसे खुद ही पीछे तो नहीं धकेल रहे। क्योंकि आधी ताकत अगर कम कर दी जा रही है तो हम पूरी ताकत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमें इस पर सोचने की जरूरत है।

सच्चाई यह भी है कि न्यायालय या राज्य सरकारें चाहे कुछ भी कर ले लेकिन जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारा यह मानना है कि हम ऐसा करके लड़कियों या औरतों पर कोई एहसान करेंगे यह भी खुद को धोखे में रखने से ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि सृष्टि पुरुष और प्रकृति के मिलन से पूरी होती है। प्रकृति को हम बांध कर नहीं रख सकते और न ही हम उसे कमतर भांपने की भूल कर सकते हैं। जिसका प्रमाण है आप की सफल औरतें। आज चाहे वह मुट्ठी भर हों लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं की हम शक्ति को ज्यादा दिन तक रोक कर नहीं रख सकते हैं, वह बढ़ेगी क्योंकि उसकी नियती में बढ़ना लिखा है। हम हमेशा से उसके बिना आधे रहे हैं और आधे ही रहेंगे। तभी तो भगवान शंकर कहते हैं कि "पार्वती तुम मेरा आधा अंग हो। तुम्हारे बिना मैं कोई काम पूरा नहीं कर सकता। मैं इस संसार का संचालन तभी सही तरह से कर पा रहा हूँ जब तुम अन्नपूर्णा बनकर इनका भरण-पोषण कर रही हो। इस प्रसंग का तात्पर्य यह है कि हम बेटियों को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जननी है, अन्नपूर्णा है, शक्ति प्रदायनी है।



हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम और हमारा समाज इस भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्यों से कितना जल्दी निजात पा ले उतना अच्छा होगा। वरना वह समय दूर नहीं जब समाज को जोड़ने वाली, पूरा करने वाली हमारी बेटियां नहीं रहेंगी। हम उसके बाद चाह कर भी इस समाज को नहीं बचा पाएंगे। समय रहते सावधानी बरतने से बड़ी बुद्धिमानी और कुछ नहीं हो सकती है इसलिए समय आ चुका है कि पुरुष फिर से प्रकृति का सहभागी बन जाए वरना प्रकृति के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा पाएगा।



बूढ़ी आबादी की हो चिंता



विशाल गोयल
उप महाप्रबंधक

काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं कि यूरोप बूढ़ा हो रहा है लेकिन कई सर्वे से पता चला है कि चीन में बुजुर्गों की तादाद 21.2 करोड़ पहुंच गई। चीन ही नहीं पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है। भारत भी इसको लेकर चिंतित है। लेकिन यहां चिंता का कारण बूढ़ों की बढ़ती तादाद नहीं है क्योंकि यह जवान होता देश है। सभी ओर इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत अपने युवाओं के बल पर विकसित भारत का सपना पूरा करेगा। यहां के युवा विश्व में हर जगह अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि युवा-युवा के इस शोर में अपने वृद्धों की अनदेखी कर रहे हैं।

जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश होने के नाते भारत की आबादी पिछले 50 सालों में हर 10 साल में 20 फीसद की दर से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब 20 करोड़ से भी अधिक रही जो दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है। इस आबादी में आधे लोगों की उम्र 25 साल से कम है लेकिन बाजारवाद के दौर में ऐसा लगने लगा है कि इस जवान भारत में बूढ़े लोगों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। टूटते पारिवारिक मूल्य, एकल परिवारों में वृद्धि व उपभोक्तावाद की आंधी में घर के बड़े-बूढ़े पीछे छूटते जा रहे हैं। जीवन प्रत्याशा में सुधार के परिणामस्वरूप 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संस्था में वृद्धि हुई है। 1901 में भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मात्र 1.2 करोड़ थे। यह आबादी बढ़कर 1951 में 2 करोड़ तथा 1991 में 5.7 करोड़ तक पहुंच गई और 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा 10 करोड़ के पार हो गया है। 'द ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स' के एक अध्ययन में 91 देशों में गुणवत्ता के हिसाब से बुजुर्गों के लिए स्वीडन दुनिया में सबसे अच्छा देश है और अफगानिस्तान सबसे बुरा। इस सूची में भारत 73वें पायदान पर है। यह एक चिंतनीय विषय है। खासतौर पर इसीलिए क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं रही है। हमें बचपन से बड़े-बूढ़ों का आदर, सम्मान करने के लिए सिखाया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी बुजुर्गों का सम्मान करने की सलाह दी गई है।

यजुर्वेद में कहा गया है कि जिन माता-पिता ने अपने अथक प्रयत्नों से पाल-पोसकर मुझे बड़ा किया है, अब मेरे बड़े होने पर जब वे अशक्त हो गए हैं तो वे "जनक-जननी" किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो, इस हेतु मैं उसी सेवा-सत्कार से उन्हें संतुष्ट कर अपना ऋण के भार से मुक्त हो रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि जिस देश की संस्कृति में ही बूढ़ों की सेवा को इतना उपर रखा गया है वहां भारत का 73वें पायदान पर रखना किस ओर इशारा कर रहा है।

वृद्धावस्था में सुरक्षित आय व स्वास्थ्य जरूरी है। उम्र का बढ़ना अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक बदलाव होता है पर भारत जैसा देश, जो मूल्य और संस्कार के लिए जाना जाता है, वहां ऐसे आंकड़े चौकाते नहीं हैरान करते हैं कि देश में बुढ़ापा काटना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा समस्या

अकेलेपन के एहसास की होती है। बूढ़े लोगों के लिए किसी के पास कोई समय नहीं होता। वे बच्चे जिनके भविष्य के लिए माता-पिता अपना वर्तमान कुर्बान कर देते हैं, या तो अपने करियर की उलझनों में फंसे रहते हैं या जिन्दगी का लुप्त उठा रहे होते हैं और बूढ़े माता-पिता रह जाते हैं अकेले। ऐसे में अकेलेपन का संत्रास किसी भी व्यक्ति को तोड़ देगा।

एक पेड़ जितना ज्यादा बड़ा होता है, वह उतना ही अधिक झुक जाता है, यानि वह उतना ही विनम्र और दूसरों को फल देने वाला होता है। यही बात समाज के उस वर्ग पर भी लागू होती है, जिसे आप तथाकथित युवा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी बूढ़ा कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। वह लोग भूल जाते हैं कि अनुभव का कोई दूसरा विकल्प दुनिया में है ही नहीं।

भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत में वृद्ध लोगों की आबादी 160 मिलियन (16 करोड़) से बढ़कर 2050 में 300 मिलियन (30 करोड़) यानी 19 फीसदी से भी ज्यादा आंकी गई है। बुढ़ापे पर डब्ल्यूएचओ भी गंभीरता की वजह कुछ चौकाने वाले आंकड़े भी है। जैसे 60 वर्ष की उम्र या इससे ऊपर की उम्र के लोगों में वृद्धि की रफ्तार 1980 के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वृद्ध 2050 तक तीन गुना बढ़कर 395 मिलियन हो जाएंगे। अगले 5 वर्षों में ही 65 वर्ष से ज्यादा के लोगों की तादाद पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों की संख्या से ज्यादा होगी। 2050 तक देश में 14 वर्ष



तक की उम्र के बच्चों की तुलना में वृद्धों की संख्या ज्यादा होगी और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि अमीर देशों की अपेक्षा

निम्न अथवा मध्य आय वाले देशों में सबसे ज्यादा वृद्ध होंगे।

संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार व्यवस्था आज की सच्चाई बन चुका है। कभी भरा पूरा रहने वाला घर सन्नाटे को ही आवाज देता है। बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया बसा कर दूर निकल जाते हैं और घर में रह जाते हैं अकेले माता-पिता। आज के बूढ़े माता-पिता सालों पहले अपनी जड़ों से कट कर गांव से शहर आए थे इसलिए उनका कोई अनौपचारिक सामाजिक दायरा उस जगह नहीं बन पाता जहां वे रह रहे होते हैं। गांव से नगर, नगर से महानगर तक के इस चक्र के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है बेहतर अवसरों की तलाश। ये तो बात हो गयी शहरों की पर ग्रामीण वृद्धों का जीवन शहरी वृद्धों के मुकाबले और भी दोहरी समस्याओं से भरा है। अकेलेपन के साथ बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण उनका जीना और मुहाल होता है। बेहतर जीवन की आस में शहर चले गए बच्चे वही के होकर रह जाते हैं। गांव में रह रहे माता-पिता से अक्सर उनकी मुलाकात तीज त्यौहार पर ही होती है। उनकी देखभाल के नाम पर उन्हें एक मात्र समाधान यही नजर आता है कि उम्र के इस पड़ाव पर वह बूढ़े माता-पिता को उनकी जड़ों से काट कर अपने साथ शहर ले आते हैं। लेकिन यह इलाज मर्ज को कम नहीं करता बल्कि और बढ़ा देता है। अपनी जड़ से कटे वृद्ध जब शहर



पहुंचते हैं तो वहां दुबारा अपनी जड़े जमा ही नहीं पाते। औपचारिक सामाजिकता के नाम पर हम उम्र लोगों से उनका दुआ सलाम तक का ही साथ रहता है। घर में बूढ़े मां-बाप को सिर्फ अपने साथ रखकर बच्चे बेशक संतुष्ट हो लेते हैं कि उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है पर उम्र के इस मुकाम पर बूढ़ों को अपनी भौतिक जरूरतों के साथ बच्चों के साथ संवाद की भी जरूरत होती है ताकि उनकी मानसिक सेहत बनी रहे। लेकिन बच्चे अपनी दिनचर्या में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि मां-बाप यादों और अकेलेपन के भंवर में खो रहे होते हैं। सच पूछें तो बुढ़ापे में विस्थापन गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसको नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। सामाजिकता बनाने और निभाने की एक उम्र होती है।

जिस घर को बनाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, बूढ़े होने के बाद उसे उसी घर से तुच्छ वस्तु समझ लिया जाता है। बड़े बूढ़ों के साथ यह व्यवहार देखकर लगता है जैसे हमारे संस्कार ही मर गए हैं। जीवन की इस अवस्था में उन्हें देखभाल और यह एहसास कराएं जाने की जरूरत होती है कि वे हमारे लिए बहुत खास महत्व रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम उसमें पीछड़ते जा रहे हैं।

समस्या का एक पक्ष सरकार की ओर भी मुड़ता है। बूढ़े लोग क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं देते, इसलिए वे अर्थव्यवस्था पर बोझ ही माने जाते हैं। यही कारण है कि सरकारी योजनाओं का रुख बूढ़े लोगों के लिए कुछ खास लचीला नहीं होता। सरकारों का सारा ध्यान युवाओं पर केन्द्रित रहता है क्योंकि वे लोग अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रहे होते हैं, हालांकि भारत में वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। 1999 में केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के आरोग्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई। 2007 में "माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक" संसद में पारित किया गया। इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। 9 अगस्त, 2010 को भारत सरकार ने गैर-संगठित क्षेत्र के कामगारों तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दी और उसके बाद यह योजना पूरे देश में स्वावलंबन योजना नाम से लागू की गई। इस योजना के तहत गैर-संगठित क्षेत्र के कामगारों को अपनी वृद्धावस्था के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना में केन्द्र सरकार लाभार्थियों के एनएफएस खाते में प्रतिवर्ष 1000 का योगदान करती है।

इसी के साथ वर्तमान सरकार और राज्य सरकारों ने भी इस ओर कदम उठाए हैं और सरकार की तरफ से इस वर्ग की ओर ध्यान देने की कोशिश की है। सरकार ने योजनाएं जरूर शुरू की है पर यह उस भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए अपर्याप्त है जो उन्हें अकेलेपन से मिलती है। विकास और आंकड़ों की बाजीगरी में बूढ़े लोगों का दावा कमजोर पड़ जाता है। विकास की इस दौड़ में अगर हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यूं ही बिसरा दिया जा रहा है तो ये यह प्रवृत्ति एक बिखरे हुए समाज का निर्माण करेगी। जिंदगी की शाम में अगर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अकेलेपन से गुजर रहा है तो यह हमारे समाज के लिए शोचनीय स्थिति है क्योंकि इस स्थिति से आज नहीं तो कल सभी को दो चार होना है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजर अंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से दूर हो जाएंगे, जो हम को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है।

कर्म का अर्थ है मेरी करनी, दूसरे का इससे कोई लेना-देना नहीं



आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं या जिनसे आप बहुत घृणा करते हैं, उन दोनों के साथ ही आपका बहुत सारा कर्म बंधन है। कई बार होता है कि आप किसी इंसान से कभी नहीं मिले, फिर भी आप उससे नफरत करते हैं। तो कर्म इस वजह से नहीं होता, क्योंकि आप जीवन में किसी से संबंध बनाते हैं, बल्कि कर्म इसलिए है कि आप अपने अंतर्मन में किस तरह जूझ रहे हैं। यह ऐसी चीज है, जो जीवन आपके साथ नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। इसलिए आप अपने साथ किस तरह का कर्म करते हैं, इसका चुनाव आपको खुद करना है। आप चाहें तो आप आनंदमय हो सकते हैं, आप चाहें तो दुखी रह सकते हैं। आप चाहें तो कृतज्ञता में जी सकते हैं, आप चाहें तो बिना कारण खुद को तकलीफ दे सकते हैं। सब कुछ आपका ही किया-धरा है। कर्म का अर्थ है: करनी। किसकी करनी? मेरी अपनी करनी। आपको समझ लेना है कि जीवन स्वयं आपका रचा हुआ है। मैं जो कुछ भी हूँ वह मेरा ही किया हुआ है। इसलिए इससे मुक्ति पाई जा सकती है। अगर यह भगवान की करनी होती तो आप इसका तोड़ कहां से निकाल पाते? चूंकि इसे आपने बनाया है, इसलिए आप ही इसे तोड़ सकते हैं। आप आसपास मौजूद इंसान का इस्तेमाल अपने कर्म को तोड़ने, मुक्ति का कर्म करने या फिर बंधन का कर्म करने के लिए कर सकते हैं।

इस तरह आप लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप जागरूक हैं तो मुक्ति का कर्म करेंगे, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो बंधन का कर्म करेंगे। बंधन का कर्म करने के लिए आपका विवाहित होना जरूरी नहीं है। इसे तो आप खुद-ब-खुद भी कर सकते हैं। कर्म के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने साथ कर रहे हैं। तो कर्म किसी और के बारे में नहीं है। आपके प्रियजन हों या दूर का कोई और इंसान, इससे कोई फर्क नहीं। कर्म वो है जो आप अपनी भीतर कर रहे हैं। जिस पल आप सोचते हैं कि मेरा कर्म मेरी पत्नी के कारण है तो आप भ्रम में हैं। कर्म उसके या किसी और के कारण नहीं है। दो व्यक्ति साथ रहते हों, बहुत से काम साथ करते हों, लेकिन संभव है कि एक मुक्त हो जाए और दूसरा बंधनों में उलझ जाए। छोटी-छोटी बातों में उसका दिमाग फंस जाए। वह लालसा की दौड़ में शामिल हो जाए। एक इस करनी का उपयोग बंधनों में उलझने के लिए करता है और दूसरा मुक्ति के मार्ग पर बढ़ने के लिए क्योंकि यह उनकी स्वयं की करनी है। कर्म का अर्थ है: यह मेरी करनी है, इससे किसी दूसरे का कोई लेना-देना नहीं है।

संकलन व प्रस्तुति
मोहित कोल
क्षेत्रीय प्रबंधक



रेडियो से सामुदायिक रेडियो



संजीव श्रीवास्तव,
उप महाप्रबंधक

जून 1923 को ब्रिटिश भारत में एक नई संचार क्रांति। और इस संचार क्रांति का नाम था रेडियो। जी हां, आप माने या नहीं माने लेकिन जब मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। लगा मानों कुछ अनोखा यंत्र हाथ लगा है। हालांकि यह काफी छोटे पैमाने पर किया गया था लेकिन धीरे-धीरे इसकी धमक बढ़ने लगी और 23 जुलाई, 1927 को जब भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने मुंबई में भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत की तो फिर यह तय हो गया कि यह संचार साधन निश्चित तौर पर भारत में एक क्रांति लेकर आएगा। लेकिन संचार का यह साधन अब तक जन सामान्य तक पहुंच नहीं बना पाया था। लेकिन फिर आया साल 1936 जब 16 जनवरी को ऑल इंडिया रेडियो से पहला न्यूज बुलेटिन प्रसारित हुआ। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी कई जगहों पर लोकल स्टेशन खोलकर लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया। नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद सब ने इस साधन का बखूबी इस्तेमाल किया। 1947 में भारत आजाद हुआ और इसी के साथ हमारा रेडियो भी अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया और इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। जो इसके भारतीय होने की

कार्यक्रम लोगों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते रहे। सन 2000 आते-आते आकाशवाणी ने कई मील के पत्थर स्थापित किए रंगीन टीवी का आना और लोगों के घरों तक इसकी आसान पहुंच, रेडियो के प्रति लोगों के रुझान में कमी, सरकारी बेरुखी और विज्ञापन की कमी के कारण अब धीरे-धीरे रेडियो सिमटने लगा। लोगों को लगने लगा कि संचार का यह साधन समाप्त हो जाएगा और सारी परिस्थितियां भी ऐसी ही हो गई थी।

लेकिन इसी बीच रेडियो अपने आप को बदला रहा था और एक नए अवतार को श्रोताओं के सामने लाया और वो नया अवतार था एफएम रेडियो का। 23 जुलाई 1977 को चेन्नै में एफएम प्रसार की शुरुआत हुई और 1990 के दशक के दौरान यह बढ़ी। लेकिन समस्या यह थी कि ये सेवाएं सरकारी थीं और कार्यक्रम के हिसाब से बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिल रहे थे तभी 1993 में अहमदाबाद में टाइम्स एफएम जो कि अब रेडियो मिर्ची के नाम से जानी जाती है उसने काम करना शुरू किया। लेकिन सन 2000 से पहले तक निजी एमएफ चैनलों पर सरकार बहुत स्पष्ट नहीं थी। सन् 2000, निजी एफएम चैनल या यूँ कह लें कि रेडियो के पुनर्जन्म का काल था जब सरकार ने भारत भर में 108 एफएम फ्रीक्वेंसी की बोली की घोषणा की। उसके बाद से एक बार फिर से रेडियो ने लोगों के बीच अपने इस नए रूप के साथ पकड़ बनानी शुरू की और अब ट्रांजिस्टर की जगह छोटे सेटों ने ले ली और रेडियो मोबाइल तक में समा गया और आज आलम यह है कि आज यह अलग-अलग रूप में लोगों के साथ है। एफएम रेडियो के साथ एक दिक्कत यह रही कि ये कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित हैं और यह मनोरंजन मात्र कर रहे हैं हालांकि निजी एफएम चैनलों पर भी समाचार बुलेटिन देने की छूट की

मांग की गई हैं और सरकार का इस ओर सकारात्मक रवैया है। लेकिन जिस बृहत स्तर पर और विविध तरीके के कार्यक्रम आकाशवाणी में प्रसारित होते रहे हैं उसे एफएम पूरा नहीं कर सका और यह स्थानीय समस्याओं को भी उस गंभीरता से नहीं उठा पाया ऐसे में एक नए प्रकार के रेडियो की जरूरत महसूस होने लगी जो कि स्थानीय भाषा में हो, स्थानीय मुद्दा उठाए और इस प्रकार जन्म हुआ सामुदायिक रेडियो का।

सामुदायिक रेडियो रेडियो सेवा का ही एक प्रकार है जो वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवा से परे रेडियो प्रसारण का एक तीसरा मॉडल है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक समुदाय विशेष से जुड़े विषयों पर सेवा प्रसारित करते हैं। वे ऐसी सामग्री का प्रसारण करते हैं जो किन्हीं स्थानीय/विशिष्ट श्रोताओं में लोकप्रिय है, जिसे

वाणिज्यिक या जन-माध्यम प्रसारक प्रसारित नहीं कर रहे हैं। दरअसल ऐसे स्टेशन ऐसे ही समुदायों द्वारा चलाई जाती है और इनका स्वामित्व भी उन्हीं के पास होता है जिनके लिए ये सेवा प्रदान करते हैं। इस प्रकार के रेडियो का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि यह व्यक्ति विशेष, समूह और समुदायों में प्रचलित लोक कथाओं, संगीतों और नृत्यों आदि के बारे में अनुभवों को बांटने में सहयोग प्रदान करते हैं। जहां तक बात सामुदायिक रेडियो के आरंभ की है तो चलिए पहले हम यह जाने कि आखिर इसका मॉडल क्या है और विश्व के अन्य राष्ट्रों में इसका आरंभ कैसे और क्यों हुआ। सामुदायिक रेडियो के दो मॉडल हैं, एक तो सेवा या



पहचान थी। 3 अक्टूबर, 1957 को जब विविध भारती सेवा शुरू की गई तो रेडियो की लोकप्रियता सातवें आसमान पर पहुंच गई। अब रेडियो प्रचार का एक सशक्त माध्यम बन चुका था और हर किसी के घर में रेडियो ने अपनी दस्तक दे दी थी। अब चाहे गांव का जमींदार हो या सुदूर गांव में बैठा किसान। सबके हाथ में रेडियो पहुंच चुका था। और इसी बीच 1 नवंबर, 1959 को दिल्ली में पहले टीवी स्टेशन की शुरुआत हुई और लोगों को लगने लगा कि इसके आने के साथ ही रेडियो की चमक फीकी पड़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दशकों तक रेडियो के विविध भारती, सिबाका गीतमाला, बीबीसी, रेडियो सिलोन जैसे



समुदाय—मानसिकता पर जोर देता है अर्थात् स्टेशन समुदाय के लिए क्या कर सकता है और दूसरा श्रोता की सहभागिता और भागीदारी पर जोर देता है। सेवा मॉडल के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीयता का महत्व होता है, जैसे कि सामुदायिक रेडियो बड़े परिचालनों की तुलना में अधिक स्थानीय या समुदाय विशेष पर केंद्रित सामग्री प्रदान कर सकता है। जबकि भागीदारी मॉडल में सामग्री के निर्माण में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी को एक बेहतर बात के तौर पर देखा जाता है।

जहां तक विश्व स्तर पर सामुदायिक रेडियो की बात है तो दुनिया के कई भागों में सामुदायिक रेडियो स्वयंसेवी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर-सरकारी सेगठनों हेतु बेहतर सामुदायिक विकास तथा प्रसारण उद्देश्यों के कार्य क्षेत्र में एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। विश्व के कई देशों में इसकी कानूनी परिभाषा लिखी गई है जिसमें सामाजिक लाभ, सामाजिक उद्देश्य जैसे वाक्यांश शामिल किए गए हैं जो मोटे तौर पर यह बताते हैं कि यह एक प्रकार से समाज कल्याण का एक माध्यम है। सामुदायिक रेडियो ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग देशों में अलग-अलग ढंग से पला-बढ़ा है। मसलन सबसे पहले आयरलैंड का ही उदाहरण लें तो

यहां 1970 के दशक के अंत से सामुदायिक रेडियो अपने पूरे वजूद में आ गया और वहां के सामुदायिक रेडियो के नीति निर्धारकों ने समुदाय रेडियो में प्रक्रिया (कार्यक्रम निर्माण में समुदायों द्वारा भागीदारी) और उत्पाद (कार्यक्रम निर्माण की आपूर्ति के जरिये समुदाय को सेवा प्रदान करना) दोनों को शामिल किया है। समुदाय की आवश्यकताओं के

आधार पर प्रक्रिया और उत्पाद का मिश्रण निर्धारित होता है और समुदाय द्वारा नियंत्रित एक प्रबंधन संरचना के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाता है। आयरलैंड के स्टेशन भौगोलिक रूप और अभिरुचि या हित के समूह दोनों पर आधारित हैं।

अगर हम बात ब्रिटेन की करें तो यहां 1960 के दशक के आरंभ में ही बीबीसी के रूप में स्थानीय रेडियो की अवधारणा को साकार होते देखा जा सकता है। यहां पर समुदाय आधारित सेवाओं पर अधिक जोर दिया गया। लंदन, बर्मिंघम, ब्रिस्टल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में 1970 के अंत और 1980 के आरंभ में बड़ी तादाद में अफ्रीकी-कैरिबियाई और एशियाई लोग जो अल्पसंख्यक अप्रवासी समुदाय से आते थे, उनसे संबंधित प्रसारण ईस्ट लंदन रेडियो और रेडियो एएमवाई: ऑल्टरनेटिव मीडिया फॉर यू जैसे स्टेशनों से जुड़ने लगे। हालांकि ब्रिटेन में अधिकांश अप्रवासी स्टेशन शुद्ध रूप से विशिष्ट संगीत शैलियों पर केंद्रित रहे। अपनी संरचना के निर्माण के अंतर्गत समुदाय के स्वामित्व और नियंत्रण के साथ ब्रिटेन की समुदाय रेडियो सेवाएं अलाभकारी आधार पर संचालित होती यूके ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ऑफकॉम द्वारा कोई 200 ऐसे स्टेशनों को लाइसेंस दिया गया। इस तरह के ज्यादातर स्टेशन, आम तौर पर लगभग 25 वॉट (प्रति-प्लेन) के विकिरण शक्ति स्तर पर, एफएम पर प्रसारण करते हैं,


यद्यपि विशेषकर अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ एएम (मीडियम वेव) पर भी संचालित होते हैं। वहीं अगर बात अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की करें तो अमेरिका में, सामुदायिक रेडियो स्टेशन लाभ के लिए नहीं होते, समुदाय-आधारित परिचालनों को एफएम बैंड के गैर-वाणिज्यिक, सार्वजनिक भाग में प्रसारण के लिए फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। अमेरिका के अन्य सार्वजनिक रेडियो केंद्रों से ये स्टेशन भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें प्रसारक के रूप में सामुदायिक स्वयंसेवकों को सक्रियता के साथ हिस्सा लेने की अनुमति मिलती है।

जहां तक भारत में सामुदायिक रेडियो की बात है तो जैसे ही उदारीकरण के नाम पर बाजार खुला, देश में कई माध्यमों की अवधारणाओं का अंकुर फूट पड़ा। यह वह दौर था, जब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सूचना का अधिकार जैसे माध्यम गांव तक बेअसर हो रहे थे। इन माध्यमों को प्रभावी बनाने के साथ-साथ बाजार में खड़ा करने की पुरजोर कोशिशों के बीच ही सामुदायिक रेडियो की अवधारणा पनपी। बाद में यह अवधारणा गांव कस्बों से निकलकर आदिवासी इलाकों तक जा पहुंची। इसी अवधारणा के तहत एशिया का पहला महिला सामुदायिक रेडियो

स्टेशन आंध्र प्रदेश के मेडक जिले के पास्तापुर से प्रसारित किया जा रहा है। संघम रेडियो नात का यह एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जिसमें ग्रामीण और महिलाओं के सशक्तिकरण की वास्तविक कहानियों के बारे में बताया जाता है। और इसका संचालन दो दलित महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के

भाबरा क्षेत्र में बसी भील जनजाति के पास अब अपना रेडियो स्टेशन है। यह रेडियो स्टेशन इस जनजाति की ठेठ बोली में प्रसारित होता है। कुछ लोगों का यहां तक मानना है भाबरा रेडियो स्टेशन दुनिया का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र है, जिसे यह समुदाय खुद संचालित करता है। इस रेडियो की खासियत यह है कि यह अपने राज्य और वहां के लोगों के दुखदर्स से लेकर, समस्याओं को भी समझता है। अब जब ग्रामवासी रेडियो स्टेशन लगाते हैं तो उन्हें उनकी ही आवाज में विचारविमर्श, गाने और अपनी हर चिंता और समस्या का समाधान सुनने को मिलता है। और यह एक नए युग पवितर्न की ओर बढ़ने का संकेत है।

हम आशा करते हैं कि सामुदायिक रेडियो एक ऐसा मंच बन कर उभरे जहां समुदाय के लोग अपने विचारों को रख सकें और स्थानीय स्तर पर अगर कोई समस्या दिख रही हो तो उसका तेजी से निवारण किया जा सके। सामुदायिक रेडियो के तहत खेती, पशु पालन, खादी, जैसे उद्योगों पर भी जानकारी प्रदान की जा सकती है और इस समय जब देश में अन्न की कमी हो रही है और हर तरफ इस पर ध्यान देने पर जोर देने की बात कही जा रही है ऐसे में शायद सामुदायिक रेडियो वो कार्य कर सकता है जिसकी हमें जरूरत है। क्योंकि यह सेवा है आपकी और आपके लिए।





जीने की कला



नितिन अग्रवाल

उपप्रबंधक

निदा फाजिली साहेब की लिखी ये पंक्तियाँ आज के दौर में कितनी सटीक लगती हैं –

“बच्चों के छोटे हाथों को चॉद सितारे छूने दो
चार किताबें पढ़ कर वो भी हम जैसे हो जायेंगे”

अक्सर हम दुख व्यक्त करते पाये जाते हैं कि फिर से बचपन के दिन लौट आते तो कितना अच्छा रहता पर वहीं दूसरी तरफ आज के भौतिक परिवेश में हम यह नहीं देख पा रहे कि हमारे बच्चों उस बचपन से दूर होते चले जा रहे हैं। बड़ा अजीब है कि एक तरफ तो हम अपने बचपन के लिये तड़पते हैं और दूसरी ओर अपने बच्चों से तर्कसंगत व्यवहार की अपेक्षा उनके पैदा होते ही करने लगते हैं।

दरअसल मनुष्य अगर सबसे ज्यादा भयभीत है तो समय से है। हमें लगता है कि समय भाग रहा है पर वास्तविकता यह है कि भयवश हम समय का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हर पल अपने में एक बचपन समेटे हुये है। समय कभी वृद्ध नहीं होता वह सदैव नूतन है एक बच्चे की तरह। समय नहीं भाग रहा, हम भाग रहे हैं मोह-माया की अंधी होड़ में। इस कभी ना समाप्त होने वाली दौड़ के कारण हम प्राकृतिक सौंदर्य से दूर होते जा रहे हैं। ढेरों पैसा कमाने के बाद भी हमारा मन व्याकुल है उसे चैन नहीं। जीवन का मूल्य इन भौतिक लाभों से कहीं ज्यादा है। सूरज के प्रकाश को और चंद्रमा की शीतलता को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। शरीर पैसे की तरह ही है समय के साथ खर्च हो जायेगा पर इसमें बसी आत्मा अमर है। जीवन को आनंदित करने के लिये अपने आप से साक्षात्कार करने की जरूरत है। एक बार जिसने अपने अंतर्मन में छलांग मार ली फिर समय का यह भय अपने आप समाप्त हो जायेगा। हर पल हममें बदलाव आता है जरूरत है उसे महसूस करने की, उससे रोमांचित होने की। वास्तविकता तो यह है की बिना बच्चा बने आत्मज्ञान सम्भव नहीं। बच्चा बनने से तात्पर्य यह है कि अपने आस-पास की सभी वस्तुओं में नवीनता को ढूँढना। किसी ने खूब कहा है कि—

“उन्हे नफरत हुई सारे जहाँ से
नई दुनियाँ कोई लाये कहाँ से”

जीवन पल-पल को जीने का नाम है। प्रकृति से बड़ा कोई अभिभावक नहीं है बस हमें अपने आप को उसे सौंपने की जरूरत है। हमारा पूरा समय दूसरों को खुश करने में ही लगा रहता है, पर बिना अपने आप को जाने हम किसी के काम नहीं आ सकते। मात्र कर्म कर देने से सुख की अनुभूति न होगी, परमानंद के लिये उस कर्म का निष्काम होना आवश्यक है। निष्काम की अवस्था प्राप्त होने पर हमारा मन शांत होता चला जायेगा। श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म की सर्वोत्तम व्याख्या की गई है। उगता सूरज, बहते झरने, खिलते फूल, घिरते बादल इन सब की अपनी कोई अभिलाषा नहीं होती। ये निरंतर निष्काम कर्म किये जा रहे हैं जिस कारण इनकी नवीनता बनी रहती है। एक भूखे गरीब का पेट भरने से मिली संतुष्टि व्याख्या से परे

है। जीवन के रहस्य को भी न कोई समझ सका है और न ही समझने में कोई आनंद है। जीवन तर्क से परे है। तर्क से हम दूसरे को संतुष्ट करना चाहते हैं पर इसमें आनंद कहाँ। तर्कों से परे जब हम अपने अंतर्मन में गोता लगाते हैं तब शून्यता की स्थिति आती है और तब हम ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, यही परमानंद की अवस्था है। अहं को त्यागने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई आनंद नहीं। प्रकृति से अलग रह कर अपने आप को समझना मूर्खता है। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा अगर दूसरों की दृष्टि से देखते रहे, पर स्वयं से साक्षात्कार हो जाने पर अस्तित्व की अनावश्यक खोज से ही मुक्ति मिल जायेगी। ये सारा संसार, ये पेड़-पौधे, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये धरती, ये आकाश ये सब हमारे हैं, ये निरंतर हमें अपने पास बुलाते हैं, पर हम मूर्खतावश इन्हें निर्जीव समझ कर इनमें आत्मसात नहीं हो पाते। मन के इस द्वैत भाव को समझने की आवश्यकता है। हममें प्रेम और घृणा दोनों भाव समान रूप से चलते रहते हैं, इन विरोधी भावों के साथ-साथ होने से परमानंद क्या आनंद की प्राप्ति भी सम्भव नहीं। मातृप्रेम से आनंद की अवस्था बड़ी सहजता से प्राप्त होती है क्योंकि इसमें कोई द्वैत नहीं कोई विरोधाभास नहीं। समर्पण से विरोधाभास समाप्त हो जाता है, यही कारण है कि गुरु-शिष्य के संबंध में समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। विरोधाभास तब तक का ही है जब तक कि हम प्रकृति से अनभिज्ञ हैं। परमानंद की अवस्था सभी भावों से परे है, इसमें दुख-सुख, जीवन-मृत्यु सब एक है। पल का आनंद लेने की कला आ जाने पर दुख-सुख, जीवन-मृत्यु के हिसाब से मुक्ति मिल जाती है। पल का आनंद हम तभी ले पायेंगे जब अपेक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। अपने आप को हल्का करते जाना है, कुछ भी साथ नहीं ले जा पायेंगे, शरीररूपी बोझ क्या कम है कि व्यर्थ ही अपेक्षाओं का बोझ बढ़ा रहे हैं। माँ अगर अपने बच्चे से अपेक्षा रखने लगे तो वात्सल्य का आनंद ही ना रहेगा। सृष्टि अपेक्षा से परे है इसी लिये उसमें नूतनता है। नूतनता का, बचपने का, आयु से कुछ लेना देना नहीं। आयु शरीर को जीर्ण कर सकती है पर आत्मा आयु से परे है। शरीर रूपी गाड़ी से कैसा मोह, एक ना एक दिन तो इससे उतरना ही है। वक्त रहते ही मोह त्याग देंगे तो अंत समय में कष्ट ना होगा। असल सुख बाहर नहीं भीतर है, बाहर के इस शोर से भीतर के सुकून की ओर जाना है। योग-साधना, कुंडलनी-जागरण, इन सब का यही आशय है कि हम प्रत्येक क्षण को देख सकें, महसूस कर सकें, उसका आनंद ले सकें। वैज्ञानिक तरीके से परमानंद की प्राप्ति सम्भव नहीं, क्योंकि परमानंद की अवस्था क्यों, क्या, कब, कैसे आदि से परे है। जब तक मन में सवाल रहेंगे हम उसके जवाब ढूँढने में ही लगे रहेंगे। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, गाड से ज्यादा पूजनीय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं, पर क्या हम इनकी कल्पना वैज्ञानिक तरीके से कर पायेंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलना ही परमानंद है और आध्यात्मिक पथ के बिना इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं। आध्यात्मिक पथ बहुत ही सहज है इसमें वैज्ञानिक परिकल्पनाएं और गणितीय समीकरण नहीं है, इस पथ पर तो हमें केवल धीरे-धीरे, आनंदित होते हुए चलते जाना है, कर्ता भाव से मुक्त हो कर बस चलते जाना है, जहां कर्ता भाव से मुक्ति मिली वहीं निष्काम कर्म का परमानंद मिल जायेगा।

“सब कुछ जान कर क्या मिल जायेगा
खुद को खो दिया गर तो खुदा मिल जायेगा”



सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग




भारत में मीडिया का विकास तीन चरणों में हुआ। पहले दौर की नींव उन्नीसवीं सदी में उस समय पड़ी जब हुकूमत के खिलाफ असंतोष की छाया में सार्वजनिक जीवन की रूपरेखा बन रही थी। दूसरा दौर आजादी मिलने के साथ प्रारम्भ हुआ और अस्सी के दशक तक चला। इस लम्बी अवधि में मीडिया के प्रसार और गुणवत्ता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। नब्बे के दशक में भूमण्डलीकरण के आगमन के साथ तीसरे दौर की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। निजी क्षेत्र में चौबीस घंटे चलने वाले उपग्रहीय टीवी चैनलों और एफएम रेडियो चैनलों का बहुत तेजी से प्रसार हुआ। मीडिया का कुल आकार अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा। नयी मीडिया प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। भारत में भी लगभग वही स्थिति बन गयी जिसे पश्चिम में 'मीडियास्फेयर' कहा जाता है।

जैसे-जैसे इंटरनेट सेवाएं सस्ती होती चली गयीं, सारे देश में कम्प्यूटर बूम की आहटें सुनी जाने लगीं। पर्सनल कम्प्यूटरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और साथ ही इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या भी। ई-कॉमर्स की भूमि तैयार होने लगी। नेट ने व्यक्तिगत जीवन की क्वालिटी में एक नए आयाम का समावेश किया। रेलवे और हवाई जहाज के टिकट बुक कराने से लेकर घर में लीक होती छत को दुरुस्त करने के लिए नेट की मदद ली जाने लगी। नौकरी दिलाने वाली और शादी-ब्याह संबंधी वेबसाइट अत्यंत लोकप्रिय साबित हुई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सहारे नेट आधारित निजी रिश्तों की दुनिया में नए रूपों का समावेश हुआ।

मौजूदा समय में इंटरनेट की दुनिया में पैठ बना चुका हर व्यक्ति आज किसी न किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को नई जानकारी मिलती है और उन्हें नई सोच का पता चलता है। इसमें कोई संशय नहीं है सोशल मीडिया का मंच आज अभिव्यक्ति का नया और कारगर माध्यम बन चुका है। इससे जुड़े लोग बेबाकी से अपनी राय इस मंच के माध्यम से जाहिर करते हैं। बीते कुछ सालों में भारत में सोशल नेटवर्किंग साइटों के इस्तेमाल में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। समय बीतने के साथ ही इसकी गति और तेज होती जा रही है और आगे भी इसके और तेज होने का अनुमान है। हालांकि इसके बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, परंतु इसके पीछे युवाओं की भागीदारी सबसे अहम है। एक अनुमान के अनुसार यदि इस गति से सोशल साइटों का इस्तेमाल देश में बढ़ता रहा तो 2016 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा फेसबुक उपयोगकर्ता देश हो जाएगा। वहीं, अन्य सोशल साइटों मसलन ट्विटर आदि पर युवाओं की तादाद खासी बढ़ी है। टीन एजर्स के अलावा बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया में रुचि लेने लगे हैं। व्हाट्स-एप व फेसबुक टीन एजर्स में काफी पॉपुलर हैं। राजनैतिक दल और नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए फेसबुक व ट्विटर जैसी वेबसाइटों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।

हालांकि, सोशल मीडिया के प्रति बढ़ती दीवानगी जहां कई मायनों में सार्थक नजर आती है, वहीं इसके दुरुपयोग के मामले में भी सामने आते रहते हैं। जिस रफ्तार से सोशल मीडिया लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है

पंकज चड्ढा,
प्रबंधक



उसी रफ्तार से इसका दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों के द्वारा जिस कदर हो रहा है, वह अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। गलत लोगों के चक्कर में पड़कर टीन एजर्स अपनी तस्वीर व वीडियो वायरल कर देते हैं। फ्लर्ट का शिकार होने के बाद टीन एजर्स लड़कियां अपनी बदनामी तो कराती हैं, परिवार को भी परेशानी में डाल देती हैं। बदनामी के डर से लड़की या उसके घर वाले मामले को दबा देते हैं। उक्त सभी मामलों में लोगों के जागरूक नहीं होने एवं इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जाने से मनचलों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।

बीते समय में सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, अफवाह फैलाने के मामले में सोशल मीडिया के माध्यम का दुरुपयोग सामने आया। इससे चेतने और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बीते समय में इसके भयावह दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। कुछ समय पहले, पंजाब सहित कुछ राज्यों में आतंकवाद फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया जोकि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कई घटनाएं सामने आईं।

साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा ऐसा है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस मंच के जरिये गलत विचारों के साझा करने से जहां देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, ऐसे में इसके खिलाफ सख्त नियमन अभी तक क्यों नहीं बनाए गए? देश जैसे-जैसे आधुनिकीकरण के रास्ते पर बढ़ रहा है, नई चुनौतियां उभर रही हैं। ऐसे में साइबर अपराधों और हमलों को लेकर काफी सजग रहने की दरकार है। इस तरह के गंभीर खतरे को लेकर पैनी नजर रखने की जरूरत है।

लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा समर्थन किया जाना चाहिए मगर सुरक्षा की कीमत पर नहीं। साइबर दुनिया के गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगाना जरूरी है और शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सोशल मीडिया का सदुपयोग संवाद संप्रेषण तक हो तो अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग जनमानस एवं समाज पर बुरा असर डाल रहा है। अभिभावकों को भी सजग होकर बच्चे को सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ने से रोकना होगा, ताकि बच्चे की लाइफ खराब न हो। देश में समस्या पैदा करने के लिए सोशल मीडिया माध्यम का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। इन सबके बीच देश के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। आज सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक की नितांत आवश्यकता है ताकि देश के दुश्मन फिर कोई दंगा या तनाव भड़काने में कामयाब न हो सकें।



संगीत के जादू का रहस्य



मेनका राणा
सहायक प्रबंधक

मैं हमेशा से ही संगीत से प्रभावित रही हूँ। शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जो इसके प्रभाव से अछूता रहा हो। संगीत की मिठास हर किसी के मन-मस्तिष्क में माधुर्य घोल देती है। जैसे कलम क्रांति लाने की क्षमता रखती है वैसे ही संगीत भी हमें अलग-अलग परिस्थितियों में सामना करने की ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करता है। जैसे कलम की धार से हर कोई वाकिफ है वैसे ही संगीत के प्यार पर हर कोई मोहित है।

सचमुच, कैसा होता हमारा जीवन यदि इसमें संगीत न होता। यकीनन यह समस्त विश्व एक शांत क्षेत्र और जीवन नीरस होता। मेरे लिए तो संगीत औषधि स्वरूप है। संगीत के इस रहस्य, जादू को मैंने हर अवस्था हर परिस्थिति में महसूस किया है। फिर चाहे वह मेरे अंदर एक नया जोश भरने के लिए हो, किसी कार्य के प्रति मेरी रूचि को उभारने के लिए हो, मेरे चित्त को शांत और आनंदमय करने के लिए हो अथवा तनाव से मुक्ति पाने के लिए हो।

संगीत तो हर किसी के जीवन को सूक्ष्म रूप से छूता है। वास्तव में संगीत के जादू का अंदाजा हम इस उदाहरण से ही लगा सकते हैं कि निर्माता राकेश रोशन जी द्वारा निर्देशित फिल्म “कोई मिल गया” में भी एक ग्रह को दूसरे ग्रह से संपर्क स्थापित करने के लिए संगीत की ध्वनि को ही उपयुक्त माना गया। यह एक रचनात्मक व्यायाम है जो न केवल दिमाग को अधिकतम प्रयोग में लाती है बल्कि बुद्धि की भी वृद्धि करती है।

परंतु कुछ लोग इसके फायदे को स्वीकार नहीं करते या करना नहीं चाहते। इसके महत्व को समझना नहीं चाहते। अभी कुछ दिनों की बात है मेरी एक मित्र से बातचीत हो रही थी। इधर-उधर की बातें करते हुए संगीत का जिक्र आया। मेरे मित्र ने मुझे यह कह कर अचंभे में डाल दिया कि नाच गाना सब बेकार की चीजें हैं। आखिर गला फाड़ना, बेमतलब इधर-उधर हाथ पांव फेंकना और ठुमके लगाना बेकार की हरकतें नहीं तो क्या हैं? मनुष्य चिंतनशील प्राणी है उसे संजीदगी से पेश आना चाहिए और इन शर्मनाक हरकतों से बचना चाहिए। मैं मित्र से सहमत नहीं थी परंतु मेरे पास उस समय उनकी बातों का प्रतिवाद करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं था।

वैसे संगीत और नृत्य का महत्व जग जाहिर है। हाथ कंगन को आरसी क्या? संगीत और नृत्य अगर वास्तव में बेकार होते तो आदि काल से मानव जाति पर इनका इस कदर प्रभाव क्यों है? कुछ धुनें कर्णप्रिय क्यों होती हैं? क्यों गानों के, संगीत के कैसेट्स लाखों की तादाद में हाथो हाथ बिक जाते हैं? क्यों संगीत के टीवी चैनल और एफएम रेडियो इतने

लोकप्रिय हैं? क्यों दर्दभरे गीत हमें रूला जाते हैं और देशभक्ति के गीत हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं? संगीत के इस जादू का रहस्य क्या है? मेरे मित्र की बात ने मुझे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने को मजबूर कर दिया। चिंतन और अध्ययन से जो मैं समझ पायी उसे आपके साथ बाटना चाहती हूँ।

संगीत के तीन प्रमुख अंग हैं सुर, ताल और छंद। तीनों में अलग-अलग जादू दिखाई देते हैं। एक बात गद्य में कही जाए इसका असर इतना नहीं होता। वही बात छंदबद्ध कही जाए तो इसका असर हजार गुना बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपको 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बारे में यह बताए कि उस समय अलग-अलग प्रांतों के राजा महाराजा अंग्रेजों की मनमानी से तंग आ गए थे और गुलामी का जुआ गले से उठा कर फेंक देना चाहते थे तो इस बात का आप पर माध्यमिक असर ही होगा। पर अब यही बात जरा छंदबद्ध कविता में सुनिए—

सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी
चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।

छंद से न केवल किसी बात का असर कई गुना बढ़ सकता है पर छंद हृदय में घर कर लेते हैं। जो बात छंद में कही गई हो वह जीवन पर्यंत याद रह सकती है। यह बात आप स्वयं परख सकते हैं। बचपन की कितनी बातें आपको याद हैं? और कुछ याद हो न हो मां की गाई लोरियां, बचपन में सुने गीत और कुछ मनपसंद कविताएं आपको अवश्य याद होंगी। हमारे अपने घर में यज्ञ होता था और वेद मंत्र पढ़ कर आहूतियां दी जाती थीं। हम बच्चे संस्कृत ठीक से न जानते थे पर सुन-सुन कर वे वेद मंत्र हमें कंठस्थ हो गए थे। आज भी कई दशकों बाद जब यज्ञ होता है तो वह वेद मंत्र अपने आप ही मुंह से निकलने लगते हैं। छंद की इस ताकत को हमारे देश में आदिकाल से भलीभांति समझा गया है। हमारे पूर्वजों ने अधिकतर ग्रंथों की रचना मात्राबद्ध पद्यों में की। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण और उपनिषद सभी छंदबद्ध श्लोकों में लिखे गए हैं। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व अरब विद्वान अलबरूनी भारत आया और उसने इस देश की संस्कृति का विस्तृत अध्ययन किया। अलबरूनी के लेखों में भारतीय लोगों की छंदप्रियता का वर्णन मिलता है। वह लिखता है कि हिंदुओं को अगर किसी विदेशी भाषा में प्राप्त ग्रंथ का अध्ययन करना हो तो वे तुरंत इसका अनुवाद छंदबद्ध संस्कृत श्लोकों में करने लगते हैं छंदों में कही गई बात न केवल आसानी से याद रखी जा सकती है पर ऐसी धरोहर में आसानी से शब्दों की हेरा-फेरी नहीं की जा सकती। इससे छंद में निहित संदेश अक्षुण्ण रहता है और किसी के लिए भी मूल मंत्र में अपनी इच्छानुसार तोड़-मरोड़ करना अत्यंत कठिन होता है। सहस्रों वर्षों तक



हमारी आध्यात्मिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह मात्र सुन-सुन कर अथवा अनगिनित व्यक्तियों की स्मृति मंजूषाओं में सुरक्षित रही। छंद न होता तो यह कैसे संभव होता? छंद के कृतज्ञ तो हम हमेशा रहेंगे।

सत्य में भारत एक कवितामय देश है। छंद हमारी रग-रग में रचा बसा है। पर यह प्रश्न फिर भी रहता है कि छंद के जादू का कारण आखिर है क्या। छंद मात्राबद्ध होते हैं और बद्ध भी। छंद और ताल का गहरा रिश्ता है। विख्यात चिंतक विल डूरेंट लिखते हैं कि जीवन के लिए सांसां के आने जाने की और दिल के निरंतर धड़कने की ताल अत्यंत आवश्यक है और इन ध्वनियों का क्रमबद्ध उठना और गिरना हमारे जीवन का अंतरंग हिस्सा है। कह सकते हैं कि यह आंतरिक तालें जीवन का मूल है। अगर डूरेंट का कथन सत्य है, जैसा कि प्रतीत होता है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन की इन्हीं अनिवार्य आंतरिक तालों में संगीत के छंद और ताल की कर्णप्रियता जुड़ी हुई हैं क्योंकि जग में जो वस्तु जितनी अधिक अनिवार्य होती है उतनी ही अधिक वह हमें प्रिय लगती है। हम सब संगीत की ताल पर टुमकते हैं तब एक तरह से अपनी आंतरिक हृदय की धड़कनों का जश्न मनाते हैं।



आजकल छंदमुक्त कविता लिखने की परंपरा भी बढ़ी है। इस नई कविता के रचनाकार कहते हैं कि जब भावनाओं की लहर आती है तब भावों को जैसे का तैसा व्यक्त करना चाहिए और इसे छंद में बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तर्क ठीक है पर छंदमुक्त कविता स्मृति में उस तरह रच बस नहीं सकती जैसे कि छंदबद्ध कविता। अगर कवि को पाठकों के दिलोदिमाग पर दीर्घकाल तक राज्य करना हो तो छंद का कोई विकल्प नहीं है।

सुर की भी अपनी महिमा है। विज्ञान का सोचना है कि प्राणियों में बोली का विकास अवश्य नर मदाओं में प्रजनन की गुहार के लिए हुआ होगा। बोली से गीत का उदगम हुआ जिसकी प्रेरणा निसंदेह प्रेम से आई। प्रेम क्रीड़ा की अभिव्यक्ति के रूप में नृत्य का विकास हुआ और गीत एवं नृत्य

से संगीत का विकास हुआ। महान वैज्ञानिक डारविन का मानना है कि सुर हमारी आंतरिक सहज वृत्तियों से जुड़े हैं। कोयल आदि पक्षियों के मधुर गीतों से हम परिचित हैं। डारविन एक गिबबन की प्रजाति का भी वर्णन करते हैं जिसके सदस्य कोमल और तीव्र स्वरों सहित संगीत की सभी सुरध्वनियों को क्रमबद्ध निकाल सकते हैं। उनका कहना है कि शायद संगीतमयी ध्वनियों का उदगम बोलचाल में ध्वनि प्रयोग से भी पहले विकसित हुआ होगा। प्राणियों में प्रजनन वृत्ति सबसे शक्तिशाली वृत्ति होती है। जीवन विकास क्रम में वही प्रजातियां जीवित रहती हैं जो कि प्रकृति और पर्यावरण के अनुरूप अपने को ढाल लेती हैं। प्रजनन इसमें एक मूल तंत्र है। जो प्रजातियां बदलते परिपेक्ष में भी प्रजनन द्वारा अपनी संख्या को कायम रख सकती हैं या बढ़ा सकती हैं वही विकास क्रम में सफल रहती हैं वरना डायनोसोर प्रजातियों की तरह लुप्त हो जाती हैं। प्रजनन प्रक्रिया में जो भी गुण सहायक होता है वही उस प्रजाति द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अपना लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्राणी द्वारा कोई विशेष ध्वनी करने से प्रजनन क्रिया में सहायता मिलती हो तो उस प्रजाति में इस ध्वनि विशेष का विकास होगा। इसी तरह नृत्य जैसे हाव-भाव अगर यौन आकर्षण का कारण बनते हैं जिससे प्रजनन

क्रिया को सहायता मिलती है तो ऐसे हाव-भाव पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होते जाएंगे। इसी सिद्धांत से सुरमय ध्वनी का विकास होता गया। सुरों का प्रजनन जैसी शक्तिशाली वृत्ति से जुड़ना सुरों के विलक्षण जादू का मूल कारण लगता है। यही कारण है कि किसी भी शक्तिशाली भावना के अतिरेक में उसे व्यक्त करने के लिए अगर भाषा का प्रयोग किया जाए तो वह प्राकृतिक रूप में सुरों में ढल कर निकलती है। वाल्मीकि ने जब रतिक्रिया रत क्रॉच पक्षियों के जोड़े में से एक का व्याघ के तीर से वध होने पर दूसरे पक्षी का विलाप सुना तो उनके हृदय में करुणा की अत्यंत बलशाली तरंग उठी और तब उनके होठों पर सुरबद्ध श्लोक अनायास ही मुखरित हुए। हम देखते हैं कि दुख की चरम सीमा में विलाप भी सुरमय होता है। उस समय यह पता नहीं चलता कि आदमी गा रहा है कि रो रहा है। हम लोग प्रसन्न होते हैं तो गाते हैं,

दुखी होते हैं तो भी गाते हैं। भावनाओं के तीव्र वेग को व्यक्त करने के लिए गद्य एक सक्षम माध्यम नहीं है। इसके लिए तो गीत का माध्यम ही अनिवार्य प्रतीत होता है।

गीत सुर और ताल से हमारा नाता बेहद पुराना है। संगीत हमें क्यों अच्छा लगता है नृत्य क्यों लुभाता है और सुर ताल पर हम क्यों थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं यह समझने में कठिनाई इसी लिए होती है कि इस जुड़ाव का मुख्य कारण मानव जाति के लाखों वर्षों के विकास से संबंध रखता है। हम इसे महसूस तो करते हैं पर समझने में अपने को असमर्थ पाते हैं। संगीत का महत्व दिमाग से नहीं जाना जा सकता। यह तो हृदय से ही महसूस किया जा सकता है। अब मुझे अपने मित्र से पुनः मिलने की प्रतीक्षा है। आखिर उन्हें संगीत का रहस्य जो बताना है।





भारतीय संविधान



सचिन शर्मा
उप प्रबंधक

26 जनवरी / गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन जब भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनाए जाने वाले नियमों को समूहबद्ध किया गया। इन्हीं नियमों के आधार पर राज्य का निर्माण होता है और शासन चलाया जाता है। इन आधारभूत नियमों का संकलन संविधान कहलाता है। संविधान वह ग्रंथ है जो शक्तियां देता भी है तो उनकी सीमाएं भी निर्धारित करता है। अधिकार देता है तो कर्तव्य भी देता है। जिन्हें मानना और पालन करना प्रत्येक देशवासी का प्रथम दायित्व है।

इन नियमों का संकलन कौन करे। राजतंत्र में नियमों का निर्धारण राजा का स्व-विवेक करता है तो गणतंत्र में जनता। जनता इन नियमों के निर्धारण के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है तथा वह प्रतिनिधि विचार विमर्श कर संविधान के निर्माण के लिए प्रयत्न करते हैं।

भारतीय संविधान अगर आज इतना सुदृढ़ दिखाई देता है तो उसका पूर्ण श्रेय उस संविधान सभा को जाता है जिसने इस संविधान के निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया था। इस संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान इस देश ने सहर्ष स्वीकारा तो कारण था उन सदस्यों का आम भारतीयों के बीच सम्मान।



भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक सभा के गठन के बारे में 1934 में एम.एन. रॉय ने एक विचार रखा या कहे एक बीज रखा। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार ऐसी मांग अधिकृत तौर पर सामने रखी थी। इस बीज में अंकुरण फूट चुके थे और संविधान सभा का यह वृक्ष क्रिप्स मिशन से आगे निकल कैबिनेट मिशन तक जा पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने इस संविधान सभा के गठन की विस्तृत रूपरेखा रखी। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की वह मांग टुकरा दी जिसके चलते 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा

प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव सफल न हो सका था और वह मांग थी भारत के दो स्वायत्त हिस्सों की दो स्वायत्त संविधान सभाएं। हालांकि कैबिनेट मिशन ने अन्य उपायों द्वारा मुस्लिम लीग को तुष्ट जरूर कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार:-

(क) संविधान सभा के कुल सदस्य - 389

(ख) ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों के सदस्य - 292

(ग) देशी रियासतों के सदस्य - 93

(घ) मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के सदस्य - 04

(2) हर प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें

(3) प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुसलमान, सिख एवं सामान्य में बांटा गया वह भी जनसंख्या अनुपात के आधार पर

(4) प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को चुना

(5) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के ऊपर था।

ज्ञात हो कि संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। अर्थात् संविधान सभा आंशिक रूप से नामांकित तथा आंशिक तौर पर चुनी हुई थी।

1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस के 208 मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य के 15 सदस्य चुनकर संविधान सभा में आए। देशी रियासतों ने खुद को इस सभा से दूर ही रखा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई जिसकी अध्यक्षता पी. सच्चिदानंद सिंहा ने की। संविधान सभा की इस बैठक का मुस्लिम लीग के सदस्यों ने अलग पाकिस्तान की मांग रखते हुए बहिष्कार किया। बाद में 11 दिसंबर को हुई बैठक में डा0 राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चयनित हुए।

इसके पश्चात 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने "उद्देश्य प्रस्ताव" पेश किया जिसे देख कर आने वाला संविधान का खाका साफ-साफ समझ में आता था।

03 जून, 1947 की माउंटबेटन योजना के पालन के क्रम में पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से सम्बद्ध मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए और संविधान सभा के वास्तविक सदस्य 389 से घटकर 299 रह गए। जिसमें देशी रियासतों द्वारा नामित सदस्यों की संख्या 93 से घट कर 70 कर दी गई।

संविधान सभा की आठ मुख्य कमेटियां थी जो निम्न प्रकार थी :-

	नाम	अध्यक्ष
क)	संघ शासित समिति	- पं. जवाहर लाल नेहरू
ख)	संघीय संविधान	- पं. जवाहर लाल नेहरू



ग)	प्रांतीय संविधान	–	सरदार वल्लभ भाई पटेल
घ)	प्रारूप समिति	–	डॉ० भीमराव अंबेडकर
ङ)	मौलिक अधिकारों एवं अल्प-संख्यको संबंधी परामर्श समिति	–	सरदार वल्लभ भाई पटेल
च)	प्रक्रिया नियम समिति	–	डा० राजेन्द्र प्रसाद
छ)	राज्यों के लिए समिति	–	पं. जवाहर लाल नेहरू
ज)	संचालन समिति	–	डा० राजेन्द्र प्रसाद

संविधान सभा की इन प्रमुख समितियों में से प्रारूप समिति काफी अहम थी। डॉ० अंबेडकर के अलावा इसके सदस्य थे : श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर, श्री ए. कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डा० के.एम.

मुंशी, वी.एल. मित्र, श्री डी.पी. खेतान।

प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किया तथा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। लोगों के विचार तथा शिकायतों को ध्यान में रखते

हुए द्वितीय प्रारूप अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। इसके पश्चात 04 नवंबर, 1948 को अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। फिर बहसों का विचारों का संशोधन का लम्बा दौर चला और भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया।

26 नवंबर, 1949 को यह संविधान अपनाया गया था। भारत का यह संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान था। भारत का यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था पर अन्य संविधानों से श्रेष्ठ बातों के लेने में परहेज नहीं किया गया। भारत का संविधान जितना कठोर है उतना लचीला भी। यह संविधान कठोरपन व लचीलेपन का अद्भुत संगम है।

डॉ० अंबेडकर को उनके इस प्रयास के कारण उन्हें भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। वे भारत के संविधान के शिल्पकार थे और शायद यही कारण है कि उन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। वर्ष 2016 का अप्रैल माह उनके 125वीं वर्षगांठ बना रहा होगा। ऐसे में उन महापुरुष को शत-शत नमन।

समाधि है निद्रा



हम सब रोज सोते हैं, लेकिन सोने का अर्थ क्या है? सोना यानी किए हुए कार्य की विश्रान्ति और आगे के कार्य की तैयारी। इस दृष्टि से सोना एक समाधि है। समाधि का अर्थ है मन-बुद्धि का परमात्मा में लीन होना। समाधि यानी ऐसी अवस्था, जिसमें आत्मा की शक्ति का आविर्भाव हो। समाधि में मन-बुद्धि परमात्मा में लीन होकर आत्मा की शक्ति का आविर्भाव होता है। समाधि के बाद मन-बुद्धि जो आत्मशक्ति से आविर्भूत हो गई है, इससे हमारा व्यवहार पवित्र हो जाता है। निद्रा का यही अर्थ है। निद्रा के बाद हमारे कार्य अधिक पवित्र आविर्भूत हो जाते हैं। हम उत्साहयुक्त होकर काम करने लगते हैं। सच्चे कर्मयोगी के लिए निद्रा एक समाधि ही है। सोना यानी 'सोना' ही है। जागना तो 'चांदी' है। कर्मयोगी की निद्रा समाधि का रूप लेती है। वह निःस्वप्न होती है। उसमें विचारों का विकास होता है। वह तमोगुण का चिह्न नहीं होती, साम्यावस्था का चिह्न होती है। हां, जागने के बाद निद्रा या तंद्रा का असर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जागृति में चित्त में सतत कोई न कोई विचार-चक्र चालू रहे। सहज साक्षित्व रहे, यह शुद्ध जागृति का लक्षण है। यह माना जाता है कि यदि कोई ध्यान करता है, तो यह आध्यात्मिक साधना करता है। जैसे देखा जाए, तो गाढ़ी निद्रा से बढ़कर कोई ध्यान नहीं हो सकता है। हमारा अपना अनुभव है कि गाढ़ी नींद, निःस्वप्न निर्दोष निद्रा से विचारों का जितना उत्तम विकास होता है, उतना निर्विकल्प समाधि छोड़कर दूसरी किसी मामूली स्थिति में नहीं होता। यदि पशु निद्रा लेता है, तो वह आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी दिन भर परिश्रम करके सो जाता है, उसको निःस्वप्न निर्दोष निद्रा में वे सारे अनुभव आ सकते हैं, जो निर्विकल्प समाधि छोड़कर दूसरे किसी में नहीं आते। खेत में बीज बोकर ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। तो बीज दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी अंदर ही अंदर वह विकसित होता है। जब उसमें अंकुर फूटता है, तब पता चलता है कि अंदर कितनी सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न हुई। इसी तरह प्रार्थना, ध्यान और चिंतन करने वाले मनुष्य पर निद्रारूपी मिट्टी डाल दी जाए, तो कभी-कभी जागृति में जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, वह निद्रा में हो जाता है। कई बार सुबह उठते ही बड़े सुंदर निर्णय हो जाते हैं। कभी-कभी विचारों की गहराई में उतरने के बावजूद किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाता, वह निद्रा की प्रक्रिया में मिल जाता है।

प्रस्तुति व संकलन: पुनीत चौहान, उप प्रबंधक





डिजिटल इंडिया - प्रारूप एवं अर्थव्यवस्था में इसकी उपयोगिता



धीरज कुमार,
उप प्रबंधक

भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, एवं वाणिज्य आदि से संबंधित क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसी संदर्भ में सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के रूप में परिकल्पना की गई है। ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समस्त सरकार की समकालिक और समन्वित भागीदारी द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए सुशासन लाने के उद्देश्य से इस अकेले कार्यक्रम के अधीन विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है।

यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों और/सरकारों के सहयोग से तैयार और समन्वित किया गया है। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की निगरानीराज्य समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए डिजिटल इंडिया के अधीन गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी की जा रही है। सभी वर्तमान और आगामी ई-शासन पहलों को डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुसार संशोधित कर तैयार किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों आदि के क्षेत्रों का समुचित विकास करने का भी है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह 7 अगस्त, 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान कार्यक्रम के प्रारूप पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुपालन और सरकार के सभी मंत्रालयों को इस विशाल कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए है जो सरकार के सभी क्षेत्रों पर रोशनी डालती है।

यह कार्यक्रम वर्तमान वर्ष से 2018 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्रकृति का है जो यह सुनिश्चित करेगा की सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में अधिकतर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए धन का स्रोत केन्द्रीय या राज्य सरकारों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से होता है। डिजिटल

इंडिया की परियोजना(ओं) के लिए धन की आवश्यकताओं का आकलन संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाएगा।

डिजिटल इंडिया के कार्यान्वित क्षेत्र

डिजिटल इंडिया का विजन तीन मुख्य क्षेत्रों पर केन्द्रित है

- डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में।
- मांग पर शासन एवं सेवाएं।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

उपरोक्त विजन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल जुड़ाव के लिए वैश्विक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, सरकार में सुधार प्रौद्योगिकी के माध्यम : शासन, ईक्रांति आपूर्ति की जानकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आयात शून्यलक्ष्य, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और शीघ्र हार्वेस्ट कार्यक्रम उपलब्ध कराने का है।

- एक कोर उपयोगिता के रूप में उच्च गति का इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा।
- जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान – अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणिक मोबाइल फोन और बैंक खाता व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय प्रक्षेत्र में भाग लेने के लिए सक्षमता प्रदान करेगा।
- उनके इलाके में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा।
- पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी जगह।
- देश में निरापद और सुरक्षित साइबर-स्पेस।

इस कार्यक्रम का समग्र कार्य-क्षेत्र:

- भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करना
- परिवर्तन को साकार करने के लिए महसूस करना – आईटी (इंडियन टैलेंट) + आईटी (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) = आईटी (इंडिया टुमोरो)
- परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केन्द्रीय बनाना
- एक शीर्ष कार्यक्रम बनना जो कई विभागों तक पहुंचे

यह एक बड़ी संख्या में विचारों और सोचों को एक एकल और व्यापक दृष्टि में पिरोता है जिससे उनमें से प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में देखा जा सके। इस कार्यक्रम का प्रत्येक अंश अपने आप में पूर्ण है



साथ ही वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एक साथ जोड़ने पर यह समग्रता में मिशन को परिवर्तनकारी बना देता है।

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में कई मौजूदा योजनाओं को पुनर्गठित और पुनर्केंद्रित एवं एक सुगठित ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के रूप में कार्यक्रमों की आम ब्रांडिंग, उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

देश में सूचना क्रांति के पहले कदम 1985 में पड़ने के बाद से सरकार और जनता ने कितनी तेजी से अब पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना शुरू किया यह आज सभी को पता है पर भारत में आधारभूत ढांचे को खड़ा करने और उसके सही तरह से संचालित होने में आने वाली कठिनाइयों के कारण आज भी हम उस स्तर पर प्रगति नहीं कर पाये हैं जो हमारे देश की क्षमता के अनुरूप कही जा सकती हो। देश को पूरी तरह से डिजिटल करने की कोशिश में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी डिजिटल इंडिया परियोजना अपने आप में बहुत कारगर हो सकती है यदि इसके क्रियान्वयन में सरकारी क्षेत्र के साथ आम जनता को भी जोड़ने का काम किया जा सके। सरकार इस योजना के तहत देश में

नौकरियां और रोजगार सृजित करने की बात कर रही है और देश के बड़े उद्योगपतियों ने जिस तरह से पीएम मोदी के सामने केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम किया उससे यही लगता है कि इस योजना से देश को उतना लाभ नहीं मिलने वाला है जितना सोचा जा रहा है क्योंकि पिछले कई वित्तीय वर्षों में बड़ी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को भी जिस तरह से इस योजना का हिस्सा बताया गया है वह निजी क्षेत्र और सरकार की मंशा जाहिर कर देता है।

देश के शहर अपने आप ही डिजिटल युग में किसी भी तरह से पहुंचते ही जा रहे हैं और इसके साथ हमारे गांवों के लिए वही समस्या बनी रहने वाली है जो आजादी के बाद से ही स्थायी भाव के रूप में मौजूद है सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी निजी कंपनी आज तक भी देश के दूर दराज क्या शहरों से लगे हुए गांवों में अपनी किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं देना चाहती है क्योंकि उसे वहां पर व्यापार की संभावनाएं कम ही नजर आती हैं पिछले दस वर्षों में हुई मोबाइल क्रांति की बात भी हम करें तो यह भेद स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि निजी क्षेत्र की दिलचस्पी केवल शहरी क्षेत्रों में ही अधिक रही है और वे उन स्थानों पर

ही अच्छा निवेश और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां से उन्हें बहुत अच्छी आय दिखाई देती है यदि गौर से देखा जाए तो यह बड़े शहरों के आसपास की आबादी वाले गांव आज भी सरकारी क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर हैं और निजी क्षेत्र वहां से पूरी तरह गायब ही है। डिजिटल इंडिया में सरकार के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं होगा जिसके अंतर्गत यह कहा जा सके कि वह निजी क्षेत्र को भी देश के गांवों तक पहुंचने के लिए मदद करने के लिए बाध्य कर सकती है जिससे शहर और गांवों के बीच की खाई पूरी तरह से बढने की भी पूरी संभावनाएं हैं।

देश की साक्षरता दर अभी भी 75% तक ही पहुंच पायी है और इसमें से भी देश के अधिकांश लोगों के पास अभी भी कम्प्यूटर और मोबाइल नहीं है तो सरकारी डिजिटल सेवाओं के लिए उनके पास एक बार फिर से उन्हीं दफ्तरों के चक्कर काटने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहने वाला है। यदि कोई स्पष्ट रूप से इन बातों पर विचार करे तो आम लोगों के लिए डिजिटल इंडिया अगले डेढ़ दशक तक सपना ही रहने वाला है हां यदि सरकार चाहे तो एक केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से निजी क्षेत्र के



साथ मिलकर हर गांव में एक सौर ऊर्जा संचालित डिजिटल इंडिया केन्द्र की ग्राम सभा में स्थापना कर लोगों को आसानी से यह सब उपलब्ध कर सकती है कारण किसी भी योजना की देश भर में बिजली की उपलब्धता की सफलता पहले ही संदिग्ध हो जाती है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता है अब इसे निपटने के लिए भी राष्ट्रीय सौर मिशन की परिकल्पना पर तेजी से आगे बढ़ने के बारे में सोचने की आवश्यकता भी है बेशक डिजिटल इंडिया को बहुत अच्छे तरह से लांच किया गया है पर इसमें किसी भी नयी बात का समावेश नहीं किया गया है क्योंकि ये सारी योजनाएं पहले भी अलग-अलग नामों से देश में संचालित की जा रही हैं पर पीएम के इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाने के बाद क्या यह अपनी गति को बढ़ा पाएगी या यह भी स्वच्छ भारत अभियान और योग दिवस जैसा एक बड़ा शो ही बनकर रह जाने वाला है।



समझें अपनी सांसों का इशारा



संजीव कुमार सिंह
उप प्रबंधक

अपनी सांसों का ख्याल रखें। क्योंकि सांस है तो जीवन है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए आपकी सांसों का सही रहना जरूरी है। सांसों में दिक्कत का मतलब है कि जीवन पर खतरा। सांस की सामान्य गति सामान्य जीवन का द्योतक है। लगातार अधिक शारीरिक श्रम करने पर सांस चढ़ने लगती है। जल्दबाजी व तनाव की स्थिति में भी सांसें उखड़ जाती हैं, पर ऐसी स्थितियों में सांसों की गति जल्द ही सामान्य भी हो जाती है। कई बार नियमित व्यायाम व जीवनशैली में सुधार करके भी आराम मिल जाता है। पर यदि हर समय सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो ध्यान देना जरूरी है। चलिए हम उन रोगों के बारे में जानने की कोशिश करें जो सांस लेने में परेशानी की वजह से होती है:-

फेफड़ों की समस्याएं

सांस नली के जाम होने पर या फेफड़ों में छोटी-मोटी परेशानी होने पर सांस छोटी आने लगती है। किसी प्रोफेशनल की मदद से इस स्थिति से जल्दी ही राहत पाई जा सकती है। लेकिन यदि ऐसा लम्बे समय से है तो यह किसी दूसरी बीमारी का लक्षण हो सकता है, जैसे-

अस्थमा - सांस की नली में सूजन आने की वजह से वो संकरी हो जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। सांस लेते समय घरघराहट और खांसी रहती है। यह कई बार अनुवांशिक भी हो सकता है लेकिन प्रायः यह पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण होता है। इसमें फेफड़े में कफ जम जाता है।

पलमोनरी एम्बोलिज्म - इसमें फेफड़ों तक जाने वाली धमनियां वसा कोशिकाओं, खून के थक्कों, ट्यूमर सेल या तापमान में बदलाव के कारण जाम हो जाती हैं। रक्त संचार में आए इस अवरोध के कारण सांस लेने और छोड़ने में परेशानी होती है। छाती में दर्द भी होता है। घबराहट होती है।

क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पलमोनरी डिजीज (सीओपीडी) - इस स्थिति में सांस नली बलगम या सूजन की वजह से संकरी हो जाती है। सिगरेट पीने वालों और प्रदूषण में रहने वाले लोगों को यह खासतौर पर होती है।

निमोनिया - यह बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के एक कीटाणु की वजह से होती है। दरअसल वह बैक्टीरिया श्वास नली में एक खास तरह का तरल पदार्थ उत्पन्न करता है, जिससे फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। खून में ऑक्सीजन की कमी के चलते होठ नीले पड़ जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाता है और छाती अकड़ी हुई सी लगती है।

हृदय रोगों भी हो सकते हैं कारण

दिल की बीमारियों के चलते भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दिल के रोग मसलन, एन्जाइना, हार्ट अटैक, जन्मजात दिल में परेशानी या एरीथमिया आदि में सांसों की कमी होती है। दिल की मांसपेशियां कमजोर होने पर वे सामान्य गति से पंप नहीं कर पाती। फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे लोग रात में जैसे ही सोने के लिए लेटते हैं, उन्हें खांसी आने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।

इसमें पैरों या टखनों में भी सूजन आ जाती है। सामान्य से ज्यादा थकान रहती है।

बेचैनी भी हो सकती है वजह

बेचैन रहना या बात-बात पर चिंता करना भी सांस को असामान्य बना देता है। दरअसल बेचैनी हाईपरवेंटिलेशन की वजह से होती है यानी जरूरत से ज्यादा सांस लेना। सामान्य स्थिति में हम दिन में 20,000 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। ओवर-व्रीदिंग में यह आंकड़ा बढ़ जाता है। हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और उसी के अनुसार कार्बन डाईऑक्साइड भी छोड़ते हैं। शरीर को यही महसूस होता रहता है कि हम पर्याप्त सांस नहीं ले रहे। कई बार सांस व रोगों के बारे में बहुत सोचते रहने पर भी ऐसा होता है। पैनिक अटैक में ऐसा ही होता है। सांसों पर नियंत्रण रखने की बहुत अधिक कोशिश करने तक से ऐसा हो जाता है।

हो सकती है एलर्जी

कई लोगों का प्रतिरक्षी तंत्र संवेदनशील होता है, जिससे उन्हें प्रदूषण, धूल, मिट्टी, फफूंद और जानवरों के बाल आदि से एलर्जी होती है। सांस फूलने लगता है। बेहतर है कि चिकित्सक से संपर्क करें। कुछ टैस्ट के जरिए डॉक्टर एलर्जी के कारकों को जानते हैं। इसके अलावा जीवनशैली पर गौर करके भी एलर्जी के कारकों को समझने में मदद मिल सकती है।

मोटापा घटाने की बारी

शोधकर्ताओं का दावा है कि मोटापा बढ़ते ही सांस की पूरी प्रणाली प्रभावित हो जाती है। सांस के लिए मस्तिष्क से आने वाले निर्देश का पैटर्न बदल जाता है। वजन में इजाफा और सक्रियता की कमी रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करने लगते हैं। थोड़ा सा चलने, दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने पर परेशानी होती है। सांस लेने में परेशानी होना, वजन कम करने और व्यायाम की जीवनशैली में शामिल करने का भी संकेत है।

कुछ अन्य कारण भी है जिसके चलते हमारी सांसे सामान्य नहीं रहती है मसलन

शरीर में कैंसर कोशिकाओं के कारण सांस नली पर दबाव बढ़ता है और सांस लेने में परेशानी होती है। गर्भाशय व लिवर कैंसर में पेट में तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे पेट में सूजन आ जाती है। डायफ्राम पर पड़ा दबाव फेफड़ों को खुलने नहीं देता और सांस लेने में परेशानी होती है। शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया होने की स्थिति में भी सांस लेने में परेशानी की समस्या होती है। इस दौरान रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर के सब हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी का कारण शरीर में आयरन, विटामिन बी-12 या प्रोटीन की कमी होना है। गठिया, किडनी की समस्या, विटामिन डी की कमी व अधिकता के कारण भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

कई बार लोगों को लगता है कि सांस की समस्या हमारी किसी बीमारी के कारण होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं न कहीं इसमें हमारी कुछ असावधानियां भी शामिल हैं जैसे कि :

- व्यायाम करते हुए अनजाने ही सांस रोक लेना। इससे सांस लेने में छोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जल्द ही थकावट होने लगती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। व्यायाम करते समय कंधों को आरामदायक स्थिति में रखें। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें।
- सांस ढंग से न लेना यानी फेफड़ों की क्षमता का पूरा उपयोग न करना। सांस लेना, पर ढंग से छोड़ना नहीं, जिससे फेफड़ों में



कार्बन डाईऑक्साइड एकत्रित हो जाती है। पूरी सांस लें और छोड़ें। सांस लेने के साथ पेट बाहर की ओर व छोड़ते समय भीतर की ओर जाना चाहिए।

- हर समय मोबाइल, लैपटॉप व कंप्यूटर पर लगे रहना सर्विकल स्पाइन पर जोर डालता है। कमर दर्द होता है। कंधे झुक जाते हैं। अपने पॉस्वर का ध्यान रखें।

अचानक सांस लेने में परेशानी होने पर क्या किया जाए ?

- व्यक्ति को तुरंत खाने या पीने की कोई चीज न दें। अगर छाती में चोट है तो उसे हिलाएं नहीं।
- सिर के नीचे तकिया न रखें, इससे सांस नली पर असर पड़ता है। व्यक्ति को हवादार जगह में ले जाएं। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। इस बीच व्यक्ति की सांस और धड़कन की जांच करते रहें।
- व्यक्ति के पहने कपड़ों को ढीला कर दें।
- छाती या गले पर कोई खुली चोट है तो उसे तुरंत ढक दें।

ये उपाय देंगे राहत की सांस

- घर के वेंटिलेशन का रखें खास ध्यान। कार्पेट, तकिए और गद्दों पर धूप लगाएं। परदों की साफ-सफाई करें। रसोई और बाथरूम



में लगाएं एग्जॉस्ट फैन। एसी का इस्तेमाल कम करें।

- धूम्रपान न करें, सिगरेट पीने वालों से दूरी बनाएं।
- खाने में ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी केल (एक प्रकार की गोभी), पालक और चोलाई को शामिल करें।
- बाहर का काम सुबह-सुबह या शाम को सूरज ढलने के बाद करें। इस वक्त प्रदूषण का स्तर कम होता है। किसी फैंक्ट्री या व्यस्त सड़क के आस-पास व्यायाम न करें।
- चलें, खेलें और दौड़ें। सप्ताह में कम से कम तीन दिन आधे घंटे की दौड़ लगाएं या पैदल चलें।
- वजन कम करने पर ध्यान दें। अमेरिकी डायबिटीज एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार मोटापा फेफड़े को सही ढंग से काम करने से रोकता है।

- देर तक बैठे रहते हैं या अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो थोड़ी देर पर उठ कर टहलते रहें। सूजन का ध्यान रखें।
- कम दूरी वाले कामों के लिए वाहन का इस्तेमाल न करें।

जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो, कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। मसलन, घर के वेंटिलेशन सही रखें। अगर वेंटिलेशन सही होगा तो हवा की आवा-जाही नहीं रुकेगी और आपको हवा की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्पेट, तकिए आदि में धूप लगाएं। ताकि उसमें जो कीटाणु आदि हैं वो धूप के कारण मर जाते हैं और सफाई रहने से सांस लेने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। रसोई और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगाएं क्योंकि जब हम रसोई घर में खाना पकाते हैं तो वह भाप, गैस आदि भर जाती है और उससे घुटन होने लगती है। जबकि एग्जॉस्ट फैन उन धुओं को बाहर निकालकर हमें राहत की सांस देता है। एसी का कम इस्तेमाल करें। गर्मी में यह अच्छा तो लगता है लेकिन इसका गैस काफी हानिकारक होता है।

धूम्रपान कभी न किया जाए तो सबसे अच्छा है क्योंकि इससे न केवल आपको फायदा होता है बल्कि आप के आसपास के लोगों को भी बिना मतलब के विषैले धुएं से राहत मिलती है। धूम्रपान जहां एक ओर आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है वहीं उसका विषैला धुआं आपके आसपास खड़े किसी व्यक्ति के लिए दम घोटने वाला भी हो सकता है इसलिए धूम्रपान न करें और न करने दें।

खाने में पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, चोलाई जैसे हरी सब्जियों को शामिल करें जो आपके सांसों के लिए लाभदायक हो। आजकल लोग जगह की कमी होने के कारण पार्कों में व्यायाम करते हैं। लेकिन कई जगह उस पार्क के आस-पास ही कूड़े का ढेर होता है। ऐसी जगहों पर हवा प्रदूषित होती है और ऐसे जगहों में व्यायाम करना आपको सेहतमंद कम बीमार अधिक बना सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पर व्यायाम करने से बचें। सुबह या शाम को ही टहले क्योंकि इस समय प्रदूषण का स्तर नीचा होता है। हालांकि बड़े शहरों में शाम को भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक पाया जाता है। अतः सबसे अच्छा है कि सुबह के समय ही टहलने, व्यायाम करने की आदत डालें।

आज हम दस सीढ़ी चढ़ते नहीं हैं कि सांस फूलने लगती है। जोकि ठीक नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा चलने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम सप्ताह में तीन दिन आधे घंटे चलना चाहिए। यह आपके फेफड़ों के लिए काफी लाभदायक होता है।

मोटापा कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। मोटापे के कारण फेफड़े सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी शहरी जिंदगी में मोटापा एक बड़ी समस्या बन कर उभर रही है। हमें इसे नियंत्रित करने की जरूरत है।

अगर देर तक बैठकर काम करने वाला कार्य है तो थोड़ी-थोड़ी देर में उठकर टहल ले। कम दूरी के कामों के लिए वाहनों का इस्तेमाल न कर पैदल चलने का अभ्यास करें। इससे जहां एक ओर जल्दी-जल्दी सांस फूलने की बीमारी से निजात मिल पाएगा वहीं आपके मोटे होने की संभावना भी काफी कम होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और कहा भी गया है कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन का होना जरूरी है।





भूकम्प रोधी ऐतिहासिक इमारतें



संकलन व प्रस्तुति :
विजय कुमार, प्रबंधक

8.7 तीव्रता के भूकम्प भी कुछ बिगाड़ नहीं सके

1950 में रिक्टर स्केल पर 8.7 तीव्रता वाले भूकम्प सहित असम कई तीव्र भूकम्प झेल चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार ये इमारतें इस बात को ध्यान में रख कर ही तैयार की गई है कि इस इलाके में तीव्र भूकम्प आते हैं। अहोम काल में असम में कई ऐतिहासिक स्मारक बने। अहोम राजाओं के महल, मंदिर तथा खेल हेतु बने मंडप सभी के निर्माण में एक जैसी विधियों तथा तकनीक का प्रयोग किया गया।

बुरांजी नामक अहोम काल की पांडुलिपियों में उस वक्त निर्माण में प्रयुक्त तकनीक तथा विधियों का जिक्र मिलता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इन इमारतों में इस्तेमाल की गई तकनीक की वजह से ही ये तीव्र भूकम्प में भी खड़े रहे हैं।

किसी को भी आश्चर्य होगा कि 1897 में 8.3 तथा 1950 में 8.6 की तीव्रता के भूकम्प में भी ये इमारतें मजबूती से खड़ी रहीं। इनके अलावा भी इन्होंने अनगिनत भूकम्पों का सामना किया है।

मिट्टी, शिला खंडों तथा पानी का कमाल

ये इमारतें जिन आधार पर खड़ी हैं उन्हें मंच शिला खंडों पर बनाया गया है। शिला खंडों के नीचे मिट्टी की एक मोटी परत है। मंदिर के दोनों तरफ स्थित तालाबों तथा नालों में पानी शिला खंडों के मध्य खाली स्थानों में भर जाता है।

इन इमारतों की नींव चिकनी मिट्टी तथा नदी में मिलने वाले पत्थरों से बनाई गई है। इन इमारतों के आस-पास स्थित शिवसागर तालाब जैसे जलाशयों में जलस्तर को नींव के स्तर के समान रखा जाता था ताकि वे साल भर गीली रहें।

शिला खंडों के नीचे मिट्टी की मोटी परत तथा उनके बीच करीब स्थित तालाबों तथा नालों से पानी भरा रहना ही इन इमारतों को तीव्र से तीव्र भूकम्प में भी नुकसान से बचाए रखने का राज है। भूकम्प आने पर उसकी तीव्रता का प्रभाव मिट्टी की मोटी परत, शिला खंडों तथा उनके बीच पानी की वजह से कमजोर पड़ जाता है। अहोम काल में कई सौ तालाब

खोदे गए जिनमें से अधिकतर इमारतों के आस-पास थे। उनमें जलस्तर को तय स्तर तक बनाए रखने का भी खास ध्यान रखा जाता था। यह भी कहा जाता है कि इन तालाबों को अहोम काल में एक विशेष हाईड्रोलॉजी तकनीक की मदद से खोदा गया था जिस वजह से इनमें जलस्तर कभी बदलता नहीं था।

अहोम काल के विशेष तालाब

अहोम काल के राजाओं के दौर में बनाए गए उल्लेखनीय तालाबों में जलसागर तालाब भी शामिल है। कहते हैं कि देश में इंसानों द्वारा बनाया गया यह विशालतम तालाब 1.29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गौरीसागर तालाब 0.61 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अहोम काल में खोदा गया अन्य प्रमुख तालाब 130 एकड़ से अधिक बड़ा शिवसागर तालाब है।

असम की ऐतिहासिक इमारतों के तीव्र भूकम्पों में भी मजबूती से खड़े रहने की ताकत में तालाब तथा नालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि इन तालाबों व नालों से पानी निकाल दिया जाए या मानवीय गतिविधियों की वजह से इनके जलस्तर में बदलाव होता है तो ये इमारतें कमजोर पड़ जाएंगी।

आज इनमें से कई ऐतिहासिक इमारतें इसीलिए संकट में हैं क्योंकि उनके आस-पास स्थित तालाब तथा नाले सुखा दिए गए हैं।

इसकी एक वजह कई इमारतों के साथ बने जलाशयों में जलस्तर में कमी भी है। कई स्थानों में नहरों तथा तालाबों पर अतिक्रमण कर लिए गए हैं जबकि इनकी पर्याप्त देख-रेख के अभाव में इन इमारतों की नींव में पानी जाने

के रास्ते भी बाधित हो चुके हैं। यदि इन

तालाबों, नालों या नहरों से अतिक्रमण नहीं हटाए जाते हैं तो ऐतिहासिक इमारतें सूख जाएंगी और आगे भूकम्पों का सामना भी नहीं कर सकेंगी।

कुछ जानकारों के अनुसार इलाके में हो रहे अनियोजित निर्माण तथा विकास गतिविधियां भी इन ऐतिहासिक इमारतों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी हैं। यदि सरकार समय रहते इन इमारतों के साथ लगते जलाशयों की सम्भाल नहीं करेगी तो इन ऐतिहासिक धरोहरों को लम्बे समय तक बचाए रखना सम्भव नहीं होगा।





पथ की पहचान

हरिवंशराय बच्चन
(जन्म तिथि : 27 नवम्बर, 1907)



पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।
पुस्तकों में है नहीं
छापी गई इसकी कहानी
हाल इस का ज्ञात होता
है न औरों की जबानी

अनगिनत राही गए
इस राह से उनका पता क्या
पर गए कुछ लोग इस पर
छोड़ पैरों की निशानी

यह निशानी मूक होकर
भी बहुत कुछ बोलती है
खोल इसका अर्थपंथी
पंथ का अनुमान कर ले।

पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।
यह बुरा है या कि अच्छा
व्यर्थ दिन इस पर बिताना
अब असंभव छोड़ यह पथ
दूसरे पर पग बढ़ाना

तू इसे अच्छा समझ
यात्रा सरल इससे बनेगी
सोच मत केवल तुझे ही
यह पड़ा मन में बिठाना

हर सफल पंथी यही
विश्वास ले इस पर बढ़ा है
तू इसी पर आज अपने
चित्त का अवधान कर ले।

पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर
ले।
है अनिश्चित किस जगह पर
सरित गिरि गहवर मिलेंगे
है अनिश्चित किस जगह पर
बागवन सुंदर मिलेंगे

किस जगह यात्रा खतम हो
जाएगी यह भी अनिश्चित
है अनिश्चित कब सुमन कब
कंटकों के शर मिलेंगे

कौन सहसा छू जाएंगे
मिलेंगे कौन सहसा
आ पड़े कुछ भी रुकेगा
तू न ऐसी आन कर ले।

पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर
ले।



हम सामाजिक कर्ता



रामनारायण चौधरी
उप प्रबंधक

हम हैं एक जिम्मेदार बुद्धिजीवी कार्यकर्ता – 2
मानवाधिकार और प्रकृति का संरक्षण कर्ता
जीवों पर्यावरण पर घटित अन्याय देखकर, हृदय और मन दहल जाता
न्याय इंसाफ दिलाने के खातिर, कभी डगर से डग-मग नहीं होता
रास्ते में भले आए अनगिनत तूफान, विघ्न बाधाएं, फिर भी किसी से नहीं
घबराता

मानवीय मूल्यों की खातिर भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अनवरत लड़ाई लड़ता

हम हैं एक जिम्मेदार बुद्धिजीवी कार्यकर्ता – 2

मानवाधिकार और प्रकृति का संरक्षण कर्ता

हमें मालूम है, रास्तों में चुनौतियां है बड़ी कठिन

हौसला बुलन्द हो, इरादे नेक हों, कुछ भी नहीं है नामुनकीन

इतिहास गवाह है, सामाजिक कर्ता कितनी लड़ाईयां लड़ी हैं,

गहरी जड़वाली कु-प्रथा, कुरीतियां, अंधविश्वासों को भी मुंह की खानी पड़ी
है

मानवता, अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा हेतु अधिनियम पारित करवाना है

दुख है आज इसका सदी से पालन वही हो रहा,

कानून के रक्षक ही कानून का चौरहरण कर रहा

जरूरत है हमारी, लोगों में फैलाना जागरूकता

जगाना होगा जो कुम्भकरण की गहरी नींद सोता

हम हैं एक जिम्मेदार बुद्धिजीवी कार्यकर्ता

मानवाधिकार और प्रकृति का संरक्षण कर्ता


हमारे पास है कई औजार करने को सशक्तिकरण

भूख हड़ताल, पीआईएल तथा सोशल एक्शन

फिर भी बात नहीं बनी मिलकर करना होगा जन आंदोलन – 2

हम हैं एक जिम्मेदार बुद्धिजीवी कार्यकर्ता

यादें



पी.के. हाण्डा
भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक



यादें,
दोहराती हैं बातें
गुजरे जमाने की,
जीवन में मिले,
अच्छे बुरे इन्सानों की,
गुजरे हुये कल की,
हर एक पल की,
हंसने की, रोने की
पाने की, खोने की
जीत की, हार की
प्यार की, मार की ।

यादें,
सदा साथ में रहती हैं,
हम चाहें, न चाहें
फिर भी सब कहती हैं ।
बचपन की हमारी
शरारतें सुनाती हैं,
परियों के देश की,
सैर कराती हैं ।
जवान दिनों की,
उमंगों को जगाती हैं,
कभी टूट के बिखरे हुए
कुछ खाब दिखाती हैं ।

यादें,
जब चाहे चली आती हैं,
कभी महफिल को सजाती हैं,
कभी तन्हाई में आती हैं,
कभी गुदगुदा देती हैं,
कभी बेवजह रुलाती हैं ।
होके शुरु इक झरने सी,
दरिया सी ये बन जाती हैं,
बढ़ती चली जाती हैं,
बहती चली जाती हैं ।

यादें,
चाहता है हर कोई,
कटु यादें भुला देना,
जीवन की मधुर यादों को
इक बार बुला लेना,
पर ऐसा कहां हो पाता है,
बीते पल नहीं वापिस आते हैं,
चेतन, अवचेतन में सबके,
बस यादें बन बस जाते हैं ।

यादें,
चाहे हम कितना जतन करें,
यादों से बच नहीं पाते हैं,
फिर समय वो भी आ जाता है,
हम भी यादें बन जाते हैं,
बस यादें
.....





शहरी आवास निधि (यूएचएफ)

तमिलनाडु राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु

- उद्देश्य: पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु तमिलनाडु राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रदत्त उनके प्रत्यक्ष आवास ऋणों के संबंध में आवास वित्त कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी :
 - मौजूदा आवास इकाइयों के पुनर्निर्माण
 - आवास इकाइयों के मरम्मत/नवीनीकरण/उन्नयन
- आवास वित्त कंपनियों हेतु योजना
- पात्र ऋण
 - 10 लाख तक ऋण सीमा –
 - वैयक्तिकों को प्रत्यक्ष आवास ऋण
 - स्थल– तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित जिलों में अवस्थित आवास इकाइयों के संबंध में प्रदत्त (2011 की जनगणना के अनुसार घोषित)
 - व्युत्पत्ति की तारीख : 1 दिसंबर, 2015 को या उसके बाद लेकिन 30 जून, 2016 से पहले संवितरित ऋण
- पुनर्वित्त की अवधि– 3 वर्ष से 7 वर्ष
- ब्याज दर – पुनर्वित्त सहायता के तहत पुनर्वित्त 6.50% के ब्याज दर पर प्रदत्त होगी जो बिना किसी पुनर्निर्धारण के पूरे समय सीमा हेतु स्थिर रहेगा।
- ब्याज प्रभारण सीमा– पुनर्वित्त सहायता के तहत पुनर्वित्त के अंतर्गत आने वाले वैयक्तिक ऋणों पर ब्याज दर 8.50% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।

